Friday, 24 November, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
On 5-12-83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५९——अंक १ से १०——२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १——सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०–९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२–९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५–९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०९
प्रत्यर्पण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३८

विषय	पृष्ठ

अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . . . १३९–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ . . . १६५–८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . . १८४–२३९

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई . . . २४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २४०–४४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .

नव्वेवां प्रतिवेदन . . . २४४

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि . . . २४४–४५

समिति के लिये निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड . . . २४५

प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . . . २४५–४६

शिशिक्षु विधेयक . . . २४६–६६

विचार करने का प्रस्ताव . . . २४६–६२

खंड २ से ३८ और १ . . . २६३–६४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २६४–६६

वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ . . . २६६–६८

पारित करने का प्रस्ताव . . . २६६–६७

खंड २ से ५ और १ . . . २६७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २६७–६८

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २६८–६९

पारित करने का प्रस्ताव . . . २६९

खंड २ और १ . . . २६९

पारित करने का प्रस्ताव . . . २६९

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . . . २६९–७३

पारित करने का प्रस्ताव . . . २६९–७२

खंड २ से ४ और १ . . . २७३

पारित करने का प्रस्ताव . . . २७३

कॉफी (संशोधन) विधेयक . . . २७३–७६

खंड २ से १४ और १ . . . २७५–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७६

दैनिक संक्षेपिका . . . २७७–८९

अंक ३--गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . . २९२--३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६--५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४--४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२४--२८

विधेयक पर समिति के बारे में ४२८--२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९--३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . ४३१--३४

विचार करने का प्रस्ताव ४३१--३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४--३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४--३८

खंड १ से ७ . . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९--४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९--४०

खंड १ से ११ . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०--४८

दैनिक संक्षेपिक ४४९--६३

अंक ४--शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५--८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७--५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३--४४

स्थगन प्रस्ताव--

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५६
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोग्रा, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—६१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५	७६३–८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५९८ से ७०२ और ७०४ से ७०९	७८९–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन वि`यक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा	
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारि ों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४६० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

1434(Ai) LSD—1

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्ट कप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूजित आदिम जातिया)
चावल, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद ग्रमृत (बम्बई नगर--मध्य)
डामर, श्री ग्रमर सिंह (झाबुग्रा--रक्षित--ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--ग्रनुसूचित ग्रादिम जातयां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री ग्रली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री ग्र० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (ग्रासनसोल--रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--ग्रनुसूचित --जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुब, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देब, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)
नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)
नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़–दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

मानें, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (कैसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)

मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र—(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विलसन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)
वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)
वेद कुमारी, मोते (एलूरू)
वैरावन, श्री अ० (तंजौर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सर्वंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसुंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानी

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामी

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति
लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—**सभापति**

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—**सभापति**

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारयण सिंह—सभापति

श्री बैंरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बार्लिंगे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री –श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री–श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री–श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री –श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१

३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम प्रश्नों को लेते हैं । संख्या २०८ । श्रीमती इला पालचौधरी, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, श्री प्र० गं० देव, डा० राम सुभग सिंह, श्री दामानी ।

†**एक माननीय सदस्य** : वे सभी अनुपस्थित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि उन्हें उपस्थित रहने के लिये बाध्य करने का यही एक तरीका हो सकता है कि उनके नाम अगले दिन न पुकारे जायें ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : जो लोग यहां नहीं है, उन को टिकट न दिया जाय ।

लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

†*२०९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड के गठन और निदेश पदों को अंतिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1545 (Ai) LSD—1.

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: भूतपूर्व मध्य भारत उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने का निश्चय किया गया है। निर्देश पदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चेयरमैन के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री आबिद अली** : हम निम्नलिखित व्यक्तियों से बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने की प्रार्थना कर चुके हैं।

श्री दन्तवाला, श्री अर्थशास्त्री, श्री अकबर अली खां, संसद सदस्य, ...

†**श्री नाथपाई** : वह इससे किस प्रकार संबंधित हैं ?

†**श्री आबिद अली** : स्वतंत्र सदस्य। श्री एम० एस० राव, आई० सी० एस० सरकारी उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और श्री शरदेन्दु गुप्त गैर सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। जहां तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, सर्वश्री माईकेल जान और गोपेश्वर उनके प्रतिनिधि होंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बोर्ड की बैठक कब होने की आशा है, उसके निर्देश पद क्या हैं और क्या खाने उसके अन्तर्गत आयेंगी ?

†**श्री आबिद अली** : उसके निर्देश पदों के सम्बन्ध में अगले सप्ताह में अंतिम निर्णय किया जायेगा और उसके शीघ्र बाद ही हम इस बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी करेंगे। तब उनकी बै क का प्रश्न उत्पन्न होगा।

जहां तक खानों का सम्बन्ध है, यह मुलतः स्पात संयंत्रों के श्रमिकों से सम्बन्धित है और संभवतः खान श्रमिक उस में नहीं होंगे--मैं सम्भवतः कह रहा हूं क्योंकि सके सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्रमिकों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर नामांकित किया गया था। स्पात उद्योग की सत्यापित सदस्य संख्या कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : सभा को यह जान कर आश्चर्य होगा कि स उद्योग में लगभग ९२,००० श्रमिक हैं। उसमें से, सत्यापित सदस्य संख्या के अनुसार, 'इन्टक' की सदस्य संख्या ४०,३२० है--इसे समस्त केन्द्रीय संगठनों द्वारा स्वीकार किया जाता है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं--अखिल भारतीय ड ूनियन कांग्रेस की १५,१७३, यूनाइटेड ट्रेड युनियन कांग्रेस की ६,८०२ और हिन्द मजदूर सभा की १,००६। स कार उद्योग की लगभग ६३,००० की सत्यापित सदस्य संख्या में से 'इन्टक' की सदस्य संख्या ४०,३२० है और इस लिये उससे मजूरी बोर्ड में अपना प्रतिनिधि नामांकित करने के लिये कहा गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का जूट मजू ी बोर्ड की तरह लोहा तथा इस्पात मजरी बोर्ड के निर्देशपदों में भी अंतिम प्रतिवेदन के आने के पूर्व अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न सम्मिलित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** इस बात का विचार तो नहीं किया गया है परन्तु यदि मजूरी बोर्ड कोई अन्तरिम सिफारिशें करना चाहेगा तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। श्रमिकों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं और वे बोर्ड को वैसा सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री त० व० विट्ठल राव :** श्रमिकों के प्रतिनिधियों में से कोई सरकारी क्षेत्र का भी है अथवा दोनों गैर-सरकारी क्षे के हैं ?

†**श्री आबिद अली :** वे सं ुक्त हैं, हमने इन ोनों का विचार किया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, श्री माईकेल जॉन स्पात संयंत्रों के श्रमिकों, जो सरकारी क्षत्र में भी नियोजित हैं, से बहुत अधिक संबंधित हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** बोर्ड अपना प्रतिवेदन कब तक देगा ?

†**श्री आबिद अली:** हम कोई समय नहीं निश्चत करेंगे। वैसे े स्वयं शीघ्रता करेंगे और श्रमिकों के प्रतिनिधि इसके लिये प्रोत्साहित करने के लिये उसमें मौजूद हैं।

†**श्री च० द० पांडे:** यह देखा गया है कि जब कभी भी कोई मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाता है, चाहे वह जूट, चीनी अथवा कोई भी अन्य उद्योग हो तो मजूरी में वृद्धि का भार उपभोक्ता पर ही डाल दिया जाता है। क्या सरकार अब यह स्पष्ट कर देगी कि मजूरी में वृद्धि का भार उपभोक्ता पर न डाल दिया जाये वरन् उसका समायोजन उद्योग के लाभ और लागत ढांचे में किया जाना चाहिये ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :**यह प्रत्येक उद्योग की स्थिति पर निर्भर है कि नवनिर्मित भार का कितना भाग वर्तमान लाभों में खपाया जा सकता है और कितना उपभोक्ता पर डाला जा सकता है। हम उसको पहले से निर्धारित नहीं कर सकते।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् इस्पात संयंत्रों के समान मजूरी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। सभा में यह कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में समान मजूरियां नहीं हैं और स लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। क्या इस बोर्ड के निर्माण के पश्चात् इस मामले पर भी विचार किया जायेगा और क्या यह मजूरी बोर्ड सरका ी उद्योग क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं में प्रचलित मजूरियों के प्रश्न पर विचार करेगा ?

†**श्री नन्दा :** किसी भी उद्योग के मजूरी ोर्ड का प्रमुख कार्य प्रतिमान निर्धारण करना और उसके लिये भरसक प्रयत्न करना है।

†**अध्यक्ष महोदय:** यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हों तो वे उनको इसका निर्देश किये जाने के पूर्व माननीय मंत्री के पास भेज दें।

†**श्री आबिद अली :** और मजूरी बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों को भी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जहां तक मैं जानता हूं, इस मजूरी बोर्ड में एक विचित्र बात है क्योंकि यह पहला मजूरी बोर्ड है जो एक ऐसे उद्योग के सम्बन्ध में विचार करेगा जिसका कुछ भाग सरकारी क्षेत्र में है और कुछ गैर सरकारी क्षेत्र में। इस लिये मैं यह पूछना चाहता था कि क्या सरकार का निर्देश पदों का निर्माण करते समय बोर्ड को ऐसा निर्देश करने का विचार है कि वह सरकारी उद्योग क्षेत्र और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये अलग अलग निर्णयों पर विचार करे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बता चुके हैं। माननीय मंत्री ने कहा था कि समस्त देश के लिये समान प्रतिमान गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में बिना किसी अन्तर के स्थापित करने का विचार है।

अगला प्रश्न ।

कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना

+

*२१०. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा ज़िले में अखबारी काग़ज़ बनाने का कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पंजाब में स्थापित किये जाने वाले अखबारी कागज के कारखाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता ३०,००० टन से बढ़ा कर ६०,००० टन प्रतिवर्ष कर दी गई है।

संबंधित पक्ष ने विदेशी सहयोग की शर्तों आदि के अन्तिम प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किये हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि इस कारखाने के बारे में पहले जिस स्थान का निर्णय किया गया था वह कांगड़ा ज़िले की सीमा के अन्दर था ? और अब उसे वहां से किस कारण से हटाया जा रहा है।

श्री मनुभाई शाह : कोई स्थान तै नहीं हुआ था। अभी भी तै नहीं है। वह यह देख रहे हैं कि किस जगह सब से ज्यादा इकानमिक साइट होगी। होगा तो वह पंजाब ही में।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कम्पनी इस का निर्माण कर रही है और इस के लिये क्या उस को विदेशी सहायता मिल रही है ?

श्री मनुभाई शाह : करम चन्द थापड़ इस का निर्माण कर रहे हैं और कनेडियन्स कोलेबोरेशन कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार इस कारखाने की स्थापना के लिए किन किन पक्षों के साथ बातचीत कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह गैर-सरकारी उद्योग है और उद्योगपति प्राविधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कनाडियन फर्म और तीन सार्थसंघों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री आचार** : चूंकि अखबारी कागज की बहुत कमी है इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और अखबारी कागज की बहुत जरूरत पड़ेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** सभा को यह जानकर खुशी होगी कि देश को अखबारी कागज के संबंध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये अनेक व्यापक कदम उठाये गये हैं। पंजाब के इस कारखाने की क्षमता ६०,००० टन होगी। इतनी ही क्षमता के दो कारखाने मुरादाबाद और कराड (महाराष्ट्र) में खोले जायेंगे सरकारी क्षेत्र के 'नेपा' कारखाने की क्षमता ३०,००० से बढ़ा कर ६०,००० टन की जा रही है। आगामी तीन वर्षों में हमें २.५ लाख टन अखबारी कागज मिलने लगेगा।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फैक्टरी बन जाने के बाद क्या न्यूज़प्रिंट की जो कमी है वह पूरी हो जायगी ?

श्री मनुभाई शाह : हां।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव:** औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार हमें आर्थिक शक्ति के थोड़े से हाथों में केन्द्रीयकरण को बचाना चाहिये। फिर मेसर्स करम चन्द थापर एण्ड सन्स को लाइसेंस क्यों दिया गया है जिन के पहले ही बहुत से उद्योग हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं व्यक्तिगत मामलों की चर्चा यहां नहीं करूंगा परन्तु इन सब पहलुओं पर भली प्रकार विचार कर लिया गया है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हुकूमत की तै शुदा स्कीम है कि शुमाल की छोटी छोटी पसमांदा रियासतों में, चाहे वह जम्मू काश्मीर हो, या हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, जितने कारखाने कायम किये जाते हैं खास कर पेपर के, वह प्राइवेट सेक्टर को दिये जाते हैं। क्या इसकी यह वजह है कि हम इन चीजों को पबलिक सेक्टर में चलाने में नाकामयाब रहे हैं या कोई और वजह है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी कोई बात नहीं है। यह नई लाइन है इसलिये यह काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। इस के अलावा कंज्यूमर गुड्स का काम ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में रखा जाता है हालांकि जितने रिसोर्सेज़ हम को मिलते हैं उन को हम पबलिक सेक्टर में डाल कर उस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अ० मु० तारिक: प्राइवेट सेक्टर को क्यों यह काम दिया जाता है ? खास तौर पर करम चन्द थापर और शांति प्रसाद जैन को ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री हेमराज : पहले थापड़ इस कारखाने को कांगड़े में लगा रहे थे लेकिन अब व्यास बांध और पंडू बांध के बनने की वजह से उस को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं ; क्या यह बात सही है?

श्री मनुभाई शाह : फिलहाल जो उन की टैकनिकल एडवाइस है वह यह है कि पांडू और व्यास डैम के बीच में कोई सही जगह देखी जाये जहां कारखाना लगाया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय:** श्री त० ब० विट्ठल राव के इस प्रश्न के उत्तर में कि एक ही व्यक्ति को समस्त ठेके अथवा लाइसेंस क्यों दिये गये माननीय मंत्री ने कहा कि ये व्यक्तिगत प्रश्न है। यह ऐसा मामला है जिस के संबंध में सभा में स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** श्रीमान् वह सच नहीं है । इस पक्ष के बहुत कम कागज के कारखाने हैं . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त० ब० विट्ठल** राव : उन के दो कारखाने हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने यह निवेदन किया था कि यहां व्यक्तिगत मामलों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय:** जहां तक औद्योगिक नीति संकल्प का संबंध है उस में कहा गया है—अधिनियम भी यह कहता है—कि विकेन्द्रीकरण केवल क्षेत्र के सम्बन्ध में ही नहीं वरन् व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी होना चाहिये ।

†**श्री मनुभाई शाह :** हां श्रीमान् . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री अ० मु० तारिक :** उन का पंजाब में जगाधरी में एक कारखाना मौजूद है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न यह है कि दो भिन्न मामलों को मिलाया जा रहा है । यह अखबारी कागज का कारखाना है, उस राज्य में अखबारी कागज का कोई भी कारखाना नहीं है । यह सर्वथा नई लाइन है । दूसरे हम इन उपभोक्ता उद्योगों में सदा नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देते हैं जहां तक संभव होता है । पिछले पांच वर्षों में केवल कागज़ उद्योग में २० नए औद्योगिक उद्यमी उत्पन्न हो गये हैं ।

†**श्री हेम राज :** क्या हमारे विदेशी सहयोगियों के विदेशी विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** वे अभी उस पर विचार कर रहे हैं । पंजाब की लकड़ियों के नमूने वहां भेजे गये हैं ताकि रेशों की उपयुक्तता की परीक्षा और अन्य प्रविधिक बातों का निर्णय किया जा सके । यह एक कठिन उद्योग है और अंतिम परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के पूर्व विस्तृत गवेषणा कार्य करना होता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार सरकारी उद्योग क्षेत्र में बोदौन में एक कारखाना खोलना चाहती थी और उस को लाइसेंस नहीं दिया गया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । सभा को याद होगा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को कागज के वतमान कारखाने को चार इकाइयों में विभाजित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है । हम ने उन से यह भी कहा है कि यदि वे अथवा कोई अन्य व्यक्ति उस स्थान में कागज का कारखाना खोलना चाहते हों तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

†**श्री ब्रजलाल सिंह :** सरकारी उद्योग क्षेत्र में पंजाब में अथवा अन्यत्र इस कारखाने की स्थापना के लिए और किन पक्षों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** किसी ने नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** मेरा निवेदन है कि दूसरी योजना में आन्ध्र प्रदेश में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के लिए ५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था परन्तु वह कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया क्योंकि लाइसस नहीं दिया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** वह सर्वथा भिन्न चीज़ थी ? वह गन्ने की खोई से बनाया जाना था जबकि यह लकड़ी से खोई के संबंध में हुआ गवेषणा कार्य इतना अपूर्ण है कि भारत सरकार ने ऐसे अखबारी कागज़ के कारखाने की स्थापना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी अथवा व्यावहारिक नहीं समझी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मुरादाबाद में खोई का प्रयोग नहीं किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** बहुत सारी चीजों को एक में मिलाया जा रहा है । मुरादाबाद का कारखाना नवीनतम गवेषणाओं के आधार पर एक गैरसरकारी उद्योगपति द्वारा स्थापित किया जा रहा है । फिर भी प्रयोग जारी हैं। सभा को याद होगा कि दूसरी योजना में सकर नगर में एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का उपबन्ध था । हम जर्मनी तथा अन्य देशों को अपने नमूने भजते रहे और जब तक हमें विदेशी तथा भारतीय विशेषज्ञों के प्रविधिक प्रतिवेदनों से यह विश्वास नहीं हो जायगा कि वैसा करना लाभकारी होगा तब तक हम नेपा की गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं ।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच नहीं है कि स्वयं माननीय मंत्री सभा में अनेक बार यह कह चुके हैं कि खोई से अखबारी कागज बनाया जा सकता है और एकमात्र हिचक यह है कि सहयोगियों को गारंटी देनी चाहिये और वह गारण्टी नहीं मिल रही है ? ऐसी हालत में क्या किसी गैरसरकारी व्यक्ति को मौका दिया गया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं सभा में अनेक बार यह बता चुका हूं कि सकर नगर परियोजना को किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा है और उस के पीछे क्या कारण हैं । वे कारण अभी भी मौजूद हैं । तीसरी योजना में हम ने सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कारखाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है । सरकारी क्षेत्र में केवल नेपा कारखाने का विस्तार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन् हमारे देश में अखबारी कागज की जो कमी है उस को देखते हुए यह कारखाने का काम जल्दी से जल्दी शरू हो, इस के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार क्या सहायता दे रही है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा भी इरादा यही है : और सब मेहनत इसीलिये की जा रही है कि ये चारों कारखाने जल्दी बैठ जायें ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि यह काम प्राइवेट सेक्टर में रहेगा । मैं बताता हूं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ज्यादा शुगर फैक्टरीज़ हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और नार्थ बिहार, जहां इस प्रकार के ज्यादा कारखाने लग सकते हैं क्योंकि वहां बगास ज्यादा होता है । मैं जानना चाहता हूं कि वहां ये कारखाने लगाने में क्या दिक्कत है खास कर जब कि वहां की इकाजमी भी अच्छी नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : जिस इलाके की बात मेम्बर साहब कर रहे हैं वहां कई कारखाने लग रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य यह जानना चाहते ह कि यदि अन्ततः खोई कागज के निर्माण के लिये उपयुक्त पदार्थ सिद्ध हुई है तो यह योजना छोड़ क्यों दी गई ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सकर नगर कारखाना अखबारी कागज के लिये था । खोई से कागज बनाने में कोई कठिनाई नहीं है । भारत में ग्यारह कारखाने खोई

---

†मूल अंग्रेज़ी में

से कागज का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी योजना में आन्ध्र प्रदेश में खोई के आधार पर एक अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना का उपबन्ध था। यह प्रयोग, जो विभिन्न देशों में विदेशी प्रविधिज्ञों की सहायता से किया गया था, सर्वथा असफल रहा। इसलिये दूसरी योजना में उसे छोड़ दिया गया। बाद में मैक्सिको और क्यूबा में अमरीकी उद्योगपतियों के कुछ चीनी के कारखाने खोई का प्रयोग करने में किसी हद तक सफल हुए हैं और वही प्रक्रिया ये दो गैरसरकारी उद्योगपति अपनाने जा रहे हैं। चूंकि हम नेपा में एक बार असफल हो चुके हैं। इसलिये हम किसी प्रक्रिया को तब तक नहीं अपनाना चाहते जब तक कि हमें उसकी सफलता का पूर्ण विश्वास न हो जाये।

राज्य सरकारों को सहायता

+

†*२११. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के तरीके के बारे में योजना आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचा है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाये गये तरीके से यह किस तरह भिन्न है ; और

(ग) इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र):** (क) से (ग). राज्य की योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के स्वरूपों का तीसरी योजना के संदर्भ में हाल में पुनरीक्षण किया गया था। निष्कर्ष राज्यों को सूचित कर दिये गये हैं। और वे राज्यों के १९६२—६३ की वार्षिक योजनाओं के संबंध में लागू होंगे। जिसकी इस समय चर्चा की जा रही है। निर्दिष्ट योजनाओं के लिये सहायता के स्वरूपों के संकेत का मुख्य उद्देश्य राज्यों की प्रति वर्ष तैयार की जाने वाली योजनाओं में राष्ट्रीय योजना की प्रमुख अग्रिमताओं और उद्देश्यों पर जोर देना है। उन योजनाओं की संख्या कम करने, जिन पर कोई स्वरूप हैं, और साधारण स्वरूप लागू करने का प्रयत्न किया गया है। अनेक क्षेत्रों में सहायता के स्वरूप सरल बना दिये गये हैं। यह क्रिया कुछ अन्य क्षेत्रों में भी क्रियान्वित करनी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** उन राज्यों को क्या प्राथमिकता दी जाती है जिन के संसाधन बहुत कम ह ?

श्री श्या० न० मिश्र : माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते हैं उस पर राज्यों की योजनाओं के निर्माण के समय भली प्रकार विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त संभवत : वित्त आयोग भी इस पहलू पर विचार करेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** हमारे सामने प्रश्न सहायता के स्वरूपों का है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को दी जाने वाली सहायता के स्वरूप का निश्चय करते समय कम विकसित राज्यों को कोई अग्रिमता दी गई है और, यदि हां, तो किस हद तक ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** राज्यों को इन स्वरूपों के माध्यम से दी जाने वाली समस्त सहायता राज्यों को पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध की जाने वाली कुल सहायता के अन्तर्गत आ जाती है। इसलिये इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से मुख्य अग्रिमतायें देने के लिये कहा जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओं को, जो दूसरी योजना में सम्मिलित की गई थीं परन्तु प्रारम्भ नहीं की गई, जैसे दक्षिण रेलवे में बिजली से रेलें चलाना, बिना राज्य सरकारों के कहे ही अग्रिमता दी जायेगी ?

†**श्री श्या० न० मिश्र:** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य उन योजनाओं से है जो एक योजना में पूरी नहीं हो सकीं। इन योजनाओं को अवश्य ही सर्वाधिक अग्रिमता मिलेगी।

†**श्री तंगामणि :** वे प्रारम्भ ही नहीं की गई हैं ?

†**श्री नन्दा:** तीसरी योजना में समस्त अग्रिमताओं पर नये सिरे से विचार किया गया है। सामान्यत: जो योजनायें दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थी और पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें तीसरी योजना में स्थान दिया गया है।

†**श्री हेडा :** क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य अथवा केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं को सहायता देने के स्वरूप की समानता के कारण अधिक पिछड़े राज्य अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इस सहायता को काम में नहीं ला पाते हैं और, यदि हां, तो इस पहलू के सम्बन्ध में क्या विचार किया जाता है ?

†**श्री नन्दा :** इसके विपरीत मेरा विचार तो यह है कि सहायता की एकरूपता के कारण उन्हें सहायता के कारण अपनी योजनाओं के संबंध में अधिक अच्छा कार्य करना चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** उन राज्यों का क्या होगा जिनकी कुछ योजनाओं के लिये, जो तीसरी योजना के प्रारूप में सम्मिलित नहीं की गई थी, १९६२-६३ के लिये प्रावस्था-भाजित अग्रिमता थी ? क्या उन प्रावस्था-भाजित अग्रिमताओं वाली योजनाओं को १९६१-६२ की परियोजनाओं से अधिमान्यता दी जायेगी ?

†**श्री नन्दा :** मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पहले प्रश्न जसा ही है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओं को, जिन के लिये कुछ राज्यों ने प्रावस्था-भाजित अग्रिमतायें मांगी थीं और जिन्हें १९६२-६३ की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया था, उन योजनाओं से अधिमान्यता दी जायेगी जिन्हें १९६१-६२ की राज्य-योजनाओं में अग्रिमता प्राप्त थी ?

†**श्री नन्दा:** राज्य समस्त अग्रिमताओं का विचार करके ही अपनी योजनायें तैयार करते हैं और वार्षिक योजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जाता है। आजकल प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। जब कोई राज्य अपनी अग्रिमताओं के अनुसार कोई योजना पेश करता है तो उस पर पहले विचार किया जाता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** उड़ीसा सरकार ने १९६२-६३ की वार्षिक योजना में पंचायत उद्योगों की स्थापना के प्रश्न का सुझाव पेश कर चुकी है जो स्वयं तीसरी योजना में सम्मिलित

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं किये गये थे। क्या सरकार ने यह कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है और अग्रिमता दे दी है और उड़ीसा सरकार से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कह दिया है ?

†**श्री नन्दा :** वह राज्य-योजना अभी योजना आयोग के पास नहीं आई है। प्रत्येक नये कार्यक्रम की जांच करनी होती है और तभी उसे पास किया जाता है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी:** स्वरूप का कोई मानदण्ड होना चाहयि। मैं जानना चाहता हूं कि स्वरूप परिवर्तन करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है ? क्या सरकार इस पहलू पर कुछ प्रकाश डाल सकती है ?

†**श्री नन्दा:** उद्देश्य स्वरूपों की संख्या कम करना था। पहले उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अब उसे काफी कम कर दिया गया है जिससे पहले की जटिलतायें दूर हो गई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या यह सच नही है कि दूसरी योजना के क्रियान्वयन के दौरान कुछ राज्यों ने सहायता के स्वरूप के संबंध में कुछ कठिनाइयां सामने रखी थीं और, यदि हां, तो उन कठिनाइयों को किस प्रकार हल किया गया ?

†**श्री नन्दा:** भूतकाल की कठिनाइयों के कारण ही इस विषय पर पुनः विचार किया गया था। इस मामले में राज्यों की बात पूरी करने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** मैं यही बात तो जानना चाहता हूं। वे कौनसी कठिनाइयां हैं जो उन्होंने सामने रखी थीं ? उन्हें किस प्रकार दूर किया गया है ? माननीय मंत्री केवल यह कह रहे हैं कि कुछ कठिनाइयां थीं और उन्हें दूर किया गया। वे कठिनाइयां क्या थीं और उन्हें किस प्रकार दूर किया गया ?

†**श्री नन्दा:** पहले अनेक स्वरूप होने के कारण कुछ जटिलतायें थीं जो अब उनकी संख्या कम हो जाने से दूर हो गई हैं।

†**श्री कोडियान:** सरकार के विकास कार्यों के अतिरिक्त कुछ राज्यों को कुछ विशेष समस्यायें भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केरल की सहायता के स्वरूप के संबंध में इस वर्ष क्या निश्चय किया गया है ?]

†**श्री नन्दा :** विभिन्न स्वरूपों की एक सूची है और यदि राज्य की कोई योजना इन स्वरूपों में सम्मिलित नहीं है तब भी उसे क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि इन योजनाओं के लिये सहायता ऋणों के रूप में अभी भी उपलब्ध है।

†**श्री सम्पत :** क्या इस स्वरूप से वर्तमान प्रादेशिक असमानता दूर हो सकेगी ?

†**श्री नन्दा :** इस के सम्बन्ध में कोई प्रादेशिक पहलू नहीं है। इस का सम्बन्ध किये जाने वाले कार्यों के महत्व और प्राप्त किये जाने वाले राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में अग्रिमताओं से है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप माननीय मंत्री से अनुभव की गई कठिनाइयों और उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण पेश करने के लिए कह सकें तो बहुत अच्छा हो क्योंकि उस से हम उन को भली प्रकार समझ सकेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ; अगला प्रश्न ।

†**हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हमें वह नहीं मिल सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझाव तो देते हैं परन्तु माननीय मंत्री को उस के संबंध में विचार करने के लिये समय नहीं देना चाहते कि उन्हें स्वीकार किया जा सकता है या नहीं । सभा में सुझाव देने की अनुमति देना इसीलिए ठीक नहीं है । मैं ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दूंगा । (**अन्तर्बाधा**) माननीय सदस्य समझते हैं कि माननीय मंत्री को समस्त सूचना अपने पास रखनी चाहिये और उन का सुझाव तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये । अगला प्रश्न ।

नेपाल तथा चीन के बीच सीमा सम्बन्धी समझौता

+

†*२१२.
श्री श्रीनारायण दास:
श्री राधा रमण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नरसिंहन् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी:
श्री विद्याचरण शुक्ल:
श्री प्र० गं० देव :
श्री अगाड़ी:
श्री बोडयार :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को चीन-नेपाल सीमा सम्बन्धी समझौते की प्रति मिल गई है ;

(ख) क्या उक्त समझौते का इस दृष्टि से अध्ययन किया गया है कि विवादग्रस्त बातों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए सामान्यतः क्या सिद्धान्त अपनाये गये ; और

(ग) क्या नेपाल, भारत तथा चीन की सीमायें जहां पर मिलती हैं उन स्थानों के बारे में किये गये निर्णयों से भारत संतुष्ट है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) चीन-नेपाल सन्धि, सीमा संबंधी प्रश्न पर हमारे पक्ष का समर्थन हुए, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण के लिये आधार के तौर रूढ़ी, प्रथा, ज्ञात भौगोलिक स्थिति और जल विभाजन रेखा के सिद्धान्त को न केवल स्वीकार करती है अपितु उन की पुष्टि भी करती है ।

(ग) यद्यपि सन्धि में तीन सीमाओं के मिलने के दो स्थानों का विवरण साधारण तौर पर तीन सीमाओं के मिलने के स्थानों का उल्लेख है जैसाकि हमारे मानचित्र पर है, यह उतना ठीक

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है जितना इन दोनों स्थानों के भौगोलिक सन्धि स्थान / सन्धि से मिले हुए मानचित्र अभी प्राप्त हुए हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या नेपाल सरकार ने तिब्बत, नेपाल और नेपाल की सीमाओं की स्थिति के बारे में भारत सरकार से परामर्श किया था, और यदि हां, तो नेपाल सरकार को क्या सलाह दी गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने पहले उत्तर दिया था कि हम ने नेपाल सरकार को तीन सीमाओं के बारे में ठीक सूचना दी थी ।

डा० राम सुभग सिंह : मा० उपमंत्री ने रूढ़ी और परम्परा के सिद्धान्त का उल्लेख किया है। माउंट एवेरेस्ट के बारे में रूढ़ी और परम्परा क्या है और उस के बारे में भारत सरकार किस स्थिति को मानती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: माउंट एवरेस्ट के प्रश्न का नेपाल सरकार ने या अन्य किसी प्राधिकार ने हम से उल्लेख नहीं किया था । हमारा उस से सीधा संबंध नहीं है । वह नेपाल और तिब्बत की सीमा है । उस मामले पर सीधे विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है । अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिलचस्पी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माउन्ट एवरेस्ट के बारे में अब तक हम क्या स्थिति मानते आये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह प्रश्न कभी हमारे सामने नहीं आया । मोटे तौर पर हम ने हमेशा माउंट एवरेस्ट को नेपाल क्षेत्र में माना है ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या इन बातचीत से पैदा होने वाले चीन-नेपाल प्रस्ताव का, कि नेपाल और तिब्बत को मिलाने के लिए एक सड़क होनी चाहिये, भारत सरकार ने प्रतिरक्षा नीति की दृष्टि से विचार किया है और क्या भारतीय विचार नेपाली पदाधिकारियों को बताये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह भिन्न प्रश्न है । कोई सूक्ष्म परीक्षण का सवाल नहीं । मोटे तौर पर, निस्सन्देह, हम ने इस पर विचार किया था और अनौपचारिक ढंग से नेपाल सरकार को अपने विचार बता दिये थे, क्योंकि औपचारिक तौर पर ऐसा करने की जरूरत नहीं समझी गई थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परम्परागत सीमा और जलविभाजन रेखा के सिद्धान्त नेपाल-चीन समझौते के सम्बन्ध में बातचीत के आधार माने गये थे, क्या चीन से यह मालूम किया गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद के मामले में इसी सिद्धान्त को लागू न करने के क्या कारण हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस का उत्तर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मा० सदस्य उसी सिद्धान्त को लागू करने में सही हैं और हम इस बात पर जोर देते रहे हैं । मैं नहीं समझ पाया कि वह किस बात का उल्लेख कर रहे हैं । क्या हम इस मामले के बारे में फिर चीन को लिखें ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हेम बरुआ : परम्परागत सीमा और रूढ़ी और जल विभाजन रेखा के सिद्धान्त नेपाल के मामले में स्वीकार किये गये हैं । क्या चीन से पूछा गया है कि इसी सिद्धान्त को भारत के बारे में भी क्यों स्वीकार नहीं किया गया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न का उत्तर तो चीन सरकार को देना चाहिये । उन की बात सर्वथा ठीक है कि हालांकि वही सिद्धान्त नेपाल और बर्मा की सीमाओं के बारे में स्वीकार किया गया है, तो भारत के बारे में भी क्यों उसे स्वीकार नहीं किया जाता । हम कहते हैं कि उन को ऐसा करना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : इस आधार पर नेपाल और चीन के बीच यह समझौता हो जाने के पश्चात्, इस आधार पर पुनः बातचीत क्यों आरम्भ नहीं की गई थी । यदि यह नेपाल पर लागू होती है तो भारत पर भी होनी चाहिये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या प्रश्न यह है कि क्या हम ने इस आधार पर पुनः इस प्रश्न को उठाया है ?

†अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले के बाद नहीं । इस बीच, हम ने कई बार ऐसा किया है । यदि अवसर आयेगा, हम फिर ऐसा करेंगे ।

†श्री नाथ पाई: श्री हेम बरूआ ने यह कभी नहीं कहा कि नई बातचीत आरम्भ की जानी चाहिये । (अन्तर्बाधा) मैं यहां अपने दल के लिए उपस्थित हूं । जैसाकि प्रधान मंत्री ने ठीक समझा है, वह यह है । मेरे दल के प्रतिनिधि ने यह सुझाव नहीं दिया कि नई बातचीत पुनः आरम्भ की जाये क्योंकि हम बहुत बातचीत कर चुके हैं । जैसाकि प्रधान मंत्री कहते हैं, हम इस बात का समर्थन करते रहे हैं कि जल विभाजन रेखा का सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिये था ।

†अध्यक्ष महोदयः यह बात इस से उत्पन्न नहीं होती । जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सब लोगों के द्वारा एक समान समझे जाने चाहिये । नेपाल का मामला हमारी बातचीत के प्रायः समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्पन्न हुआ और अब और बातचीत जारी नहीं है । मा० सदस्य पुनः पुनः प्रधान मंत्री से पूछ रहे हैं कि यह क्यों नहीं किया गया था, इस से यही प्रभाव पड़ेगा कि हमें इस को करना चाहिये । इस के बाद केवल स्पष्ट प्रश्न हो पूछे जाने चाहियें, सन्देह नहीं छोड़ना चाहिये ।

†राजा महेन्द्र प्रतापः हमारे मन में थोड़ा सन्देह है । बर्मा और नेपाल कैसे बातचीत कर सकते हैं और मामले का फैसला कर सकते हैं और हम अभी तक इस प्रश्न को सुलझा नहीं सके हैं ? इस के क्या कारण हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मा० सदस्य का सन्देह ठीक है । मैं सन्देह दूर नहीं कर सकता ।

†श्री हेम बरुआ : भारत पर वास्तविक आक्रमण हुआ है । नेपाल और बर्मा पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, वहां केवल दावा था । इसलिये यह हल सरल था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान में लैफ्टिनेंट-कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा

†*२१३. श्री स० मो० बनर्जी:
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री न० रा० मुनिस्वामी:
श्री प्र० गं० देव:
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुग्रा:
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती मफीदा ग्रहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में लफ्टिनेंट-कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा खत्म हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ; ग्रौर

(ग) क्या उन को सभी प्रकार की सुविधायें दी गई थीं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) जी हां ।

(ख) कर्नल भट्टाचार्य के मुकद्दमे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कार्यवाही गुप्त रखी गई थी ।

(ग) कर्नल भट्टाचार्य के मुकद्दमे में उन को दी गई सुविधाग्रों के बारे में हमें केवल इतना पता है कि उन के परिवार द्वारा किये गये भारतीय वकील को उस का बचाव करने दिया गया था ।

इस मामले के लिये पूरी चर्चा के लिये समय नियत किया गया है इसलिये इस पर ग्रब ग्रनुपूरक न पूछे जायें ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : उस ग्रवसर पर ग्रनुपूरक पूछे जा सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान में कर्नल भट्टाचार्य की वकालत जिस वकील ने की थी, उस ने सरकार को लिखा था कि सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा सामान्यतया जो निम्नतम सुविधायें दी जाती हैं वे कर्नल भट्टाचार्य को नहीं दी गई हैं ग्रौर यदि ऐसी बात है तो क्या इस बारे में कोई विरोध किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे याद नहीं है । मेरे पास यहां पत्र नहीं है । उन्हों ने कुछ लिखा था कि किसी मामले में उन को सुविधायें नहीं दी गई थीं, यह संभव हो सकता है। हमारे उप उच्च ग्रायुक्त का पाकिस्तानी ग्रधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क रहा कि जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं वे दी जायें । उन को ग्रौपचारिक विरोध भेजने का सवाल नहीं होता, यह मामला चल रहा है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ:** इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, कि जासूसी के आरोपों पर चीन में गिरफ्तार किये कुछ अमरीकी वैमानिक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव के द्वारा छड़वाये गये थे, इसी तरह क्या सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य को रिहा करवाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव का लाभ उठाने का कोई प्रयत्न किया है या क्या वह ऐसा करने का विचार करती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मा० सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे इस मामले में ला रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : चीन में रोके गये अमरीकी वैमानिक के मामले में ऐसा किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा नहीं किया गया था । उस मामले में भी वे इस लिये रिहा किये गये कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई कार्रवाई की थी, किन्तु उस विषय में अन्य बातों और अन्य प्रयत्नों के कारण वे रिहा किये गये थे । वर्तमान मामले में अजब बात यह है कि कर्नल भट्टाचार्य पर अनेक आरोप लगाये गये हैं और सब से बड़ा आरोप जासूसी करने का है । मुझे पता चला है कि जासूसी के आरोप पर पाकिस्तानी सैनिक न्यायाधिकरण ने उन को छोड़ दिया था । अन्य अरोपों पर उनको दंड दिया गया है । यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है । अतः जासूसी का प्रश्न पैदा नहीं होता । मैंने निर्णय नहीं देखा ; मैं केवल सूचना के बल पर यह अनुमान लगा रहा हूं । **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने निर्णय नहीं पढ़ा, उन से पूछने का क्या लाभ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** में आरोप जानता हूं । मैं निर्णय पढ़े बिना आरोप जान सकता हूं । कुछ प्रविधिक आ ोप थे कि वह बिना अनुमति पाकिस्तान आया और बिना अनुमति उसके पास कोई रिवालवर या गोला बारूद था और हो सकता है कुछ और आरोप हों । जहाँ तक मुझे पता है, सैनिक न्यायाधिकरण ने जासूसी का वास्तविक सीधा आरोप स्वीकार नहीं किया था ।

†**श्री खाडिलकर :** प्रेस में रिपोर्ट आई है कि राजनयिक स्तर पर कुछ बातचीत होने के परिणामस्वरूप, लेफ्टीनेंट-कर्नल भट्टाचार्य के किसी भी समय रिहा किये जाने की संभावना है । क्या इस में कोई सचाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सर्वथा पाकिस्तान सरकार या वहां के राष्ट्रपति के हाथ की बात है । कुछ सुझाव रखे गये थे कि संभवतः पाकिस्तान का राष्ट्रपति दंड को कम कर दे या उसे रिहा कर दे, चाहे मामला कुछ भी हो । परन्तु निस्सन्देह मैं इसके बारे में कोई पक्की बात नहीं कह सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या कर्नल भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को किसी रूप में कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है, यदि हां तो किस रूप में दी जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: अभी तक जो कुछ कर्नल भट्टाचार्य की तनख्वाह वगैरह थी वह जारी है, उनके परिवार को दी जा रही है । और इस मुकदमे में जो कुछ सर्फ हुआ, वह भी सहायता दी गई है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि उनके परिवार को जो वित्तीय सहायता दी गई है वह अन्तिम समय पर दी गई है क्यों कि सरकार इसके बारे में फैसला नहीं कर सकी थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मा० सदस्य गलती पर हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उनको दंड—अमानुषिक कारावास—दिये जाने की घोषणा के पश्चात् भारत सरकार ने कोई विरोध पत्र भेजा है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके कारावास दंड के विरुद्ध ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कारावास या अमानुषिक करावास—चाहे उसे कुछ भी कहा जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस में संदेह नहीं है कि यह मामले हमारे प्रतिनिधि के द्वारा ढाका में और केन्द्रीय पाकिस्तान की सरकार दोनों में उठाया गया है । मैं नहीं समझता कि कोई औपचारिक विरोध पत्र भेजा गया है, किन्तु मामला सीधा उठाया गया है ।

†**श्री साधन गुप्त** : समाचार पत्रों से प्रतीत होता है कि कर्नल भट्टाचार्य का यह पक्ष था कि उसे भारत से बलपूर्वक अपहरण किया गया था और इस बात के लिये २४ परगना का जिला दंडाधीश निर्णायक साक्षी था । क्या उसको वह साक्ष्य देने के लिये कोई सुविधा दी गई थी ? क्या उसके बचाव के लिये उसे वह साक्ष्य पेश करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मा० मित्र विधि मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जिन्होंने इस मामले को लिया था ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मुकद्दमे में कर्नल भट्टाचार्य के वकील ने प्रार्थना की थी कि चार साक्षियों को बुलाया जाये । जैसा कि मा० सदस्य को विदित है, दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक प्रक्रिया है, कि विदेश में रहने वाले साक्षियों को बुला कर उनका साक्ष्य लिया जाये । न्यायाधिकरण ने वह प्रार्थना रद्द कर दी थी ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : किस आधार पर ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सैनिक न्यायाधिकरण ने कोई कारण नहीं बताये थे ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या प्रधान मंत्री को पता है कि कर्नल भट्टाचार्य की पत्नि से बचाव के वकील की नियुक्ति के बारे में सलाह नहीं ली गई थी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह सच नहीं है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि वह श्री राधा विनोद पाल को वकील करना चाहती थी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह सर्वथा गलत बात है । वकील दंड संबंधी मामलों में अत्यधिक प्रसिद्ध वकील है और उसे उसके परिवार वालों ने नियुक्त किया था ।

†**श्री अ० कु० सेन** : उसके परिवार ने श्री घाटक को रखा था और उसको अटारनी की शक्ति भी दी थी ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शेष प्रश्नों को चर्चा के लिये रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन को भारतीय कपड़े की बिक्री

+

†*२१४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को भारतीय कपड़े की बिक्री पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९६० से लेकर भारत और इंगलैण्ड के बीच कपड़ा उद्योग द्वारा पारस्परिक तौर पर स्वीकार की गयी उपरिसीमा तक इंगलैंड को सूती कपड़े का निर्यात किया जाता रहा है। १९६० और १९६१ के बीच उपरिसीमा १७५० लाख वर्ग गज था। १९६२ के लिये इसको बढ़ा कर १९५० लाख वर्ग गज कर दिया गया है। ११० लाख वर्ग गज का अनुपूरक अभ्यंश भी भारत को आवंटित कर दिया गया है। इस अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुये आशा है कि निर्यात बढ़ जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यूरोपीय साझा बाजार में इंगलैंड के सम्मिलित हो जाने के कारण इंगलैंड को कपड़े के हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री कानूनगो** : अभी यह देखना है कि किन निबन्धनों पर इंगलैंड यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होगा।

डा० गोविन्द दास : आगे और वहां पर हमारा निर्यात कपड़े का हो, इसके लिये कोई बातचीत चल रही है क्या? और यू० के० के सिवा यूरोप के और किन किन देशों से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी हो रही है, बातचीत चल रही है ?

श्री कानूनगो : अभी तक तो कोई खास बातचीत नहीं चल रही है। यह इंडस्ट्री के बीच में हुआ था, गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ था। यूरोप में अभी काफी रुकावटें हैं और उनको हटाने के लिये गैट की ओर से चर्चा चल रही है।

श्री विभूति मिश्र : १९६१–६२ में अब तक रुपये पैसे के हिसाब में कितने का माल यहां से गया है और कौन कौन सा सामान गया है ?

श्री कानूनगो : इतना लम्बा ब्यौरा मैं अभी नहीं दे सकता हूं

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है कि यूरोपीय साझा बाजार में इंगलैंड के सम्मिलित होने के कारण निर्यात के इस अभ्यंश में कोई अन्तर नहीं होगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कानूनगो : मैंने पहले बताया था कि यह करार दोनों सरकारों के बीच नहीं अपितु भारत और इंगलैंड के कपड़ा उद्योगों के बीच हुआ था। यूरोपीय साझा बाजार में इंगलैंड के सम्मिलित होने पर क्या होगा यह देखा जायेगा, जो इस बात पर निर्भर होगा कि विशिष्ट पदार्थों पर कितना शुल्क लगाया जायेगा ।

†श्री सम्पत : इस सिल सिले में हथकरघा कपड़े की क्या स्थिति है ?

†श्री कानूनगो : हथकरघा कपड़ा इस अभ्यंश के बाहर है ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†*२१५. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अगाड़ी :
श्री बोडयार :
श्री कोडयान :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पास्तिान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार सुविधायें समाप्त होने के कारण भारतीय व्यापारियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापारियों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) भारतीय व्यापारियों का माल पाकिस्तान में पड़ा है, किन्तु हानि कितनी है यह मालूम नहीं है ।

(ख) पाकिस्तान के रास्ते आने वाले भारतीय माल को निकालने के लिये काबुल और कराची स्थित हमारे मिशनों के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान सरकार से सूचना मिलने पर कि माल नीलाम कर दिया जायेगा यदि वह भारत वापिस नहीं ले जाया जायेगा, पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह भारतीय व्यापारियों को अपना माल वापिस ले जाने के लिये पर्याप्त समय और सुविधा दें। माल को भारत लाने के लिये माल का ब्यौरा जानने का भी प्रयत्न किया गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि न केवल भारतीय व्यापारियों को अपितु अन्य देशों के व्यापारियों का माल भी बड़ी भारी मात्रा में विशेषकर कराची में रुका पड़ा है और क्या यह सच है कि इस व्यापार रुकावट को सुलझाने के लिये संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव का प्रयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था, और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सब प्रयत्न किये गये हैं। इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से लगातार कहा जा रहा है। हमने भी उस माल को साफ करने के लिये अफगानिस्तान सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

से प्रार्थना की है, जो अफगानी व्यापारियों के आर्डर पर भारत से निर्यात किया गया था। हमारे व्यापारियों को सूचना देने के लिये बहुतेरी सरकारी विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, कि यदि वे चाहें तो अपना सामान वापिस ला सकते हैं, जिसके लिये पाकिस्तान सरकार को कोई एतराज नहीं है परन्तु इस समय तक कोई प्रगति नहीं हुई है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। समाचारपत्रों में एक रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को अपनी सेवायें पेश करने और व्यापार रुकावट हल करने का प्रयत्न किया। क्या वह सच है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान सरकारों के बीच यह झगड़ा है। इस समय मेरे पास कोई सही सूचना नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारियों ने आर्डर समाप्त किये जाने के पश्चात् पाकिस्तान के रास्ते में पड़े माल के मूल्य के बारे में आंकड़े दिये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हमें जो सूचना मिली डहै वह कराची भेज दी गई है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** मुझे अफगानिस्तान में बहुत दिलचस्पी है। मैं जानना चाहता हूं कि . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उन को बाद में बुलाया जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस सिलसिले में अफगानिस्तान का कोई माल जो हिन्दुस्तान आ रहा था, वह भी रुका पड़ा है ?

श्री सतीश चन्द्र : अफगानिस्तान का जो माल पाकिस्तान से हो कर आता था, हिन्दुस्तान के व्यापारी उसे ले आये हैं। जो झगड़ा है वह माल को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाने का और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाने का है। जो इस झगड़े से पहले माल निकल चुका है, उसके ऊपर झगड़ा है। अब तो माल चल नहीं रहा है न अफगानिस्तान से, न हिन्दुस्तान से।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो माल की आमद बरामद बन्द हो गई है, और अमरीका की तरफ से जो कुछ बीच बचाव हुआ था, उस के सम्बन्ध में क्या सरकार को कुछ जानकारी है कि कितनी सफलता हुई और कितनी विफलता हुई।

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक उस में कामयाबी नहीं हुई ?

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा व्यापार आम तौर पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम हो गया है और अफगानिस्तान को प्रथम श्रेणी के निर्यातक से हमारा नम्बर पांचवां या सातवां हो गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है। वास्तव में अफगानिस्तान के साथ हमारा व्यापार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है। यदि सूचना दी जाये तो मैं आंकड़े बता सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : अफगानिस्तान हमारा बड़ा मित्र है और पाकिस्तान हमारा पड़ौसी अमरीका ने एक विशेष मिशन भेजा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम दोनों देशों को अपना मिशन भेजें जो दोनों के बीच शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

पुनर्वास मंत्रालय का समाप्त किया जाना

+

†*२१६. **श्री साधन गुप्त :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित उस संकल्प पर विचार किया है जिसमें राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह संघ से यह कहे कि पुनर्वास मंत्रालय को उस समय तक कायम रहना चाहिये जब तक कि समस्त वर्गों के शरणार्थियों की समस्या का सन्तोषजनक हल न हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) उल्लेख अनुमानतः १५ सितम्बर, १९६१ को पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प का है ।

(ख) मंत्रालय के भविष्य के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री साधन गुप्त** : यह बताया गया था कि मंत्रालय इस वर्ष में बन्द कर दिया जायेगा । कैम्पों से बाहर रहने वाले उन शरणार्थियों के पुनर्वास की बकाया समस्याओं के बारे में मा० मंत्री का क्या विचार है, जिन्हें आंशिक रूप में पश्चिम बंगाल में बसाया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अभी हाल ही में हमने पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों में अवशिष्ट समस्याओं का अनुमान लगाया है । पश्चिमी प्रदेश में केवल दो बातें हैं एक प्रतिकर दावे की पूर्णता का, जो अधिकतर पूरा हो चुका है, और दूसरा पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत के बारे में है । मैं आशा करता हूं कि चल सम्पत्ति समझौते की रुकवाट भी दूर हो जायेगी । त्रिपुरा, आसाम, मनीपुर, बिहार और उड़ीसा इन पांच राज्यों में लगभग दस लाख शरणार्थी बसाये जा चुके हैं और उनकी अधिकांश समस्यायें हल की जा चुकी हैं । इन पांचों राज्यों में हमारी कोई अवशिष्ट समस्या नहीं है । बंगाल में हमें कुछ अवशिष्ट समस्याओं को हल करना होगा और अनुमान लगाया गया है । इस मामले के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

जारी है । और सम्भवत : उस राज्य की अवशिष्ट समस्याओं के बारे में अतिशीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** किन श्रेणियों के अन्तर्गत शेष समस्या का अनुमान लगाया जा रहा है और क्या सब चीजों को शेष समस्या समझा जायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** शेष समस्या में राज्य में जनसंख्या के दो मुख्य पहलू आते हैं — कैम्पों वाले और बाहर के लोग । कैम्प वालों को दंडकारण्य जाने का विकल्प दिया गया है । उन में से अधिकांश लोग नहीं गये और उनकी सहायता बन्द कर दी गई है । यदि वे दंडकारण्य जायेंगे तो उन को बसाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा, किन्तु वे पश्चिम बंगाल छोड़ना नहीं चाहते तो उत्तरदायित्व उनका अपना होगा ।

कैम्पों के बाहर वालों के बारे में समस्या का अनुमान लगा लिया गया है और पश्चिम बंगाल ने हमें ३० करोड़ से ४० करोड़ रुपये तक खर्च का अनुमान पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें दिया है । हमने इसकी जांच की है और वित्त मंत्रालय से चर्चा की है और शीघ्र ही निर्णय किया जाने वाला है । इसमें वे लोग आ जाते हैं जो बसाये नहीं गये या आंशिक रूप से बसाये गये हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मा० मंत्री ने कहा है कि आसाम में शरणार्थियों को बसाने का काम पूरा हो चुका है । क्या मिकिर पहाड़ी जिला में भी यह काम पूरा हुआ समझा जाता है और उन को बसा दिया गया माना जाता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं यह नहीं कहता कि उनको बसाने का काम पूरा हो चुका है, किन्तु जो रक्षित क्षेत्र में बसना चाहते हैं, मैं उनके लिये कुछ नहीं कर सकता । यदि वे आसाम राज्य की बसाने की सामान्य योजना में आयें, तो हम उनको प्रत्येक सम्भव सहायता देने को तैयार हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह है जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपने अनुमान में यह कहा है कि उन्हें आशा है कि फरवरी १९६२ में निर्वाचन पूरे होने पर दंडकारण्य में शरणार्थियों के आगमन बढ़ाने की संभावना है और यदि हां, तो इस वक्तव्य का क्या आधार है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** उन्होंने यह सामान्य बात कही है कि यदि केवल राजनीतिक दल हमें सहयोग देंगे, तो ये शरणार्थी दंडकारण्य जायेंगे । परन्तु मुझे आशा है कि समान्य निर्वाचन पूरे होने के पश्चात् जैसा कि बेशिया कैम्प में हुआ है, अधिकांश लोग चले जायेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह :** मा० मंत्री ने हमें बताया था कि मंत्रालय शरणार्थियों को यह फैसला करने के लिये दो और महीने का समय देगा कि आया वे दंडकारण्य जायेंगे या नहीं । आज मा० मंत्री कहते हैं कि वे निर्वाचन पूरे होने तक प्रतीक्षा करेंगे । क्या निर्वाचनों से आगे भी कोई तिथि लक्षित की गई है, और क्या कोई अवधि निश्चित की जायेगी कि तब तक शरणार्थी अपना फैसला कर लें ताकि अन्य लोगों की समस्याओं से विस्थापित हुए आदिवासियों को बसाने की समस्या को हल किया जाय ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । ६० दिन का नोटिस दिया गया था । फिर हमने ९० दिन का और समय दिया । अभी हम ने फैसला किया है कि जिन को नोटिस

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिया गया है और जो १ जनवरी १९६१ से दंडकारण्य जाना चाहते हैं, हम उन को एक वर्ष भी देने को तैयार हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि क्योंकि इस परियोजना का विकास इन लोगों के लिये किया जा रहा है, हम उन को पूरा लाभ देना चाहते हैं। परन्तु यदि वे नहीं जाना चाहते तो मैं असमर्थ हूं। मैं यह बात स्वीकार नहीं करता कि यदि कैंपों के विस्थापित लोग दंडकारण्य नहीं जाना चाहते तो दंडकारण्य के भावी विकास के ढांचे पर पुनः विचार करना होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या हम यह समझें कि उड़ीसा के शरणार्थियों के मामले में केन्द्रीय मंत्रालय का उनको वहां की बस्तियों में बसाने का उत्तरदायित्व नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार के परामर्श से आंका गया था, और १ अप्रैल, १९६१ को उड़ीसा का शरणार्थी विभाग भी बन्द कर दिया गया था, और अवशिष्ट समस्या के लिये जितने धन की जरूरत थी वह राज्य सरकार को दे दिया गया था। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, जो शरणार्थी उड़ीसा में बस गये हैं, वे उस राज्य के साधारण नागरिक बन गये हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय के पास क्या कुछ आंकड़े हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे उनके कुल मिला कर कितने क्लेम्स थे और अब तक कितने क्लेम्स का भुगतान हो चुका है, और पुनर्वास मंत्रालय की समाप्ति के बाद शेष क्लेम्स का भुगतान कौन सा मंत्रालय करेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पाकिस्तान से जो हमारे भाई विस्थापित हो कर आयें थे उनके क्लेम्स के कुल आंकड़े तकरीबन ५ लाख के थे। अब ५ लाख में से २ या ३ हजार बाकी रह गये हैं। बाकी को क्लेम मिल चुका है। उनको १७० या १७५ करोड़ रु० के लगभग क्लेम मिल चुका है। अब सिर्फ कन्वेयन्स डीड देना है। इस से कोई खास बात पैदा नहीं होती। स्टेटमेंट आफ अकाउंट से जायदाद खरीद लें। बाजार में जायदाद मौजूद है। क्लेम देने का जो काम है वह तकरीबन खत्म हो चुका है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि निष्क्रम्य लोगों के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत कठिन हालत में है और अवशिष्ट समस्याएं अभी लंबित हैं ? इस को कैसे हल किया जायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पाकिस्तान सरकार से हमें जो सबसे बाद की चिट्ठी मिली है, उस से हमें आशा होती है कि ३० नवम्बर को हमारे लाकर, सेफ डिपाजिट और बैंक खाते स्थानान्तरित हो जायेंगे। स्थिति कठिन हो सकती है, परन्तु यदि हम पत्र व्यवहार को देखें तो मुझे आशा है कि हम उन लोगों की संपत्तियों की समस्या को हल कर सकेंगे, जो कितने ही वर्षों से पाकिस्तान में पड़ी हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि ३० नवम्बर को जो कुछ निपटारा होगा उसके अतिरिक्त, पकिस्तान में निष्क्रांत लोगों की ओर भी दूसरी शेष समस्यायें हैं जिन के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौता करने की जरूरत है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि अचल सम्पत्ति से भिन्न कृषकों की चल सम्पत्ति और आस्तियों का उल्लेख है, तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया है। हम वहां ५०० करोड़ रुपये की आस्तियां छोड़ आये हैं और भारत में केवल १०० करोड़ रुपये की आस्तियां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : चूंकि उल्लेख मिकिर पहाड़ियों में शरणार्थियों का है, क्या यह सच नहीं है कि मिकिर पहाड़ियों के शरणार्थी बलपूर्वक निकाले गये थे और उन पर हाथी दौड़ाये गये थे ? इसका क्या कारण है कि सरकार उनको पिछले दो वर्षों में दूसरी भूमि और निवास प्रदान नहीं कर सकी है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यह प्रश्न आसाम के सदस्य द्वारा पूछा गया है । आदिम जाति के लोगों के अधिकारों के बारे में संविधान में कुछ परित्राणों का उपबन्ध है । यदि ये लोग, मेरे अपने संबंधी और मित्र ऐसे क्षेत्र में जायें, जहां उनको नहीं रहना चाहिये, तो उन को वापस आना चाहिये । मैं मानता हूं कि यदि अन्य शरणार्थियों की तरह वे आसाम में बसना चाहते हैं, वे मेरे और राज्य सरकार के उत्तरदायित्व के विषय हैं । मैं उनको पूरा करने को तैयार हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशों में भारतीय क्रय मिशन

†*२०८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दामानी : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय लन्दन स्थित इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट (भारत भंडार विभाग) और वाशिंगटन स्थित इंडियन सप्लाई मिशन (भारतीय संभरण मिशन) द्वारा किया जा रहा कार्य संभरण तथा निबटान महा-निदेशालय को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का या ब्योरा है ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). जी हां । स मंत्रालय के सचिव को समुद्रपार खरीद संगठनों की विस्तृत जांच करने तथा उन वस्तुओं के संबंध में जिन की खरीद का काम संभरण तथा निबटान महानिदेशालय को हस्तान्तरित किया जा सकता है सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था । सचिव की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है ।

आस्ट्रेलिया को कालीनों का निर्यात

*२१७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के बाजार में भारतीय कालीनों की बहुत मांग है ;

---

†मूल अंग्रेजी में]

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कालीनों की बहुत मांग है ;

(ग) सरकार उस देश को कालीनों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या कालीनों का वर्तमान उत्पादन आस्ट्रेलिया के बाजार की मांग की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां ; आस्ट्रेलिया में भारतीय कालीनों की मांग है ।

(ख) हाथ से बुने, सुहावने रंग के और लंबे तथा चौड़े करघों के कालीनों की मांग है ।

(ग) जो कार्यवाहियां की जा रही हैं उन में से कुछ ये हैं :--जुलाई, १९५९ और अगस्त, १९६१ में हुए सिडनी मेलों में काफी किस्म के कालीनों के प्रदर्शन के ज़रिये व्यापक प्रचार, निर्माताओं/निर्यातकों को आस्ट्रेलिया में मांगी जाने वाली डिजाइनों और पसंद के बारे में बराबर सूचित करना; निर्यात प्रोत्साहन योजना आदि के अन्तर्गत आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिये सुविधाएं देना ; इत्यादि ।

(घ) जी, हां ।

चमड़ के सामान का निर्यात

†*२१८. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के सामान के निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने के लिये ऋण निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) उस की स्थापना कब की जायेगी ; और

(घ) निगम की पूंजी कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जी, नहीं ।

प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण

†*२१९. { **श्री बलराज मधोक :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रविधिज्ञों (टेक्निशियन्स) को प्रशिक्षण देने के लिये पचास प्रादेशिक केन्द्र और खोलने का विचार कर रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन का राज्यवार विभाजन किस प्रकार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय कारीगरों के प्रशिक्षण के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, और न कि प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के लिये प्रादेशिक केन्द्रों से, संबंधित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान १५१ और ऐसी संस्थायें खोलने का विचार है।

(ख) राज्यवार इन संस्थाओं का अस्थायी वितरण सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

अनुशासन संहिता

†*२२०. **श्री एंथनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित **प्रश्न संख्या ६२८ के** उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा संचार तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों ने इस बीच अनुशासन संहिता स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि रेलवे मंत्रालय ने इस संहिता को स्वीकार नहीं किया है, तो क्या सरकार ने उसे अन्य मंत्रालयों और कर्मचारियों के संगठनों एवं मालिकों के बराबर आने के लि`, संहिता को स्वीकार कर लेने के लिये राज़ी कर लिया है ; और

(ग) यदि हां तो कब से ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने यह संहिता स्वीकार कर ली है लेकिन पत्तन न्यास (ोर्ट ट्रस्टस) द्वारा उस के स्वीकार किये जाने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय भी अपने उपक्रमों में यह संहिता लागू करने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) अक्तूबर, १९५८ ।

रेडियो सक्रियता का स्तर

†*२२१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१ को, जब रूस ने अपना तीसरा आण्विक परीक्षण किया, तो शिलांग के भूकम्प-मापी यंत्र ने एक भूकम्प का पता दिया;

(ख) यदि हां, तो उस भूकम्प की तीव्रता कितनी थी;

(ग) क्या रूसी प्रयोगों के कारण भारत के विभिन्न भागों की रेडियो-सक्रियता के स्तर में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न भागों में रेडियो सक्रियता में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीसादत अली खां)** : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि ५ सितम्बर, १९६१ को शिलांग के भूकम्प मापी यंत्र ने कई भूकम्प दिखलाये जिन में दो काफी तीव्र थे । साधारण तीव्रता का भूकम्प जिसका केन्द्र बिन्दु रूस में तझाकिस्तान था, ११ बजकर ४७ मिनट पर मालूम हुआ था । दूसरा धक्का उसी दिन १७ बजकर १७ मिनट पर मालूम हुआ था और उसका केन्द्र बिन्दु अलास्का, अमरीका, में केनाई प्राय द्वीप में था ।

(ग) और (घ). अभी हाल में देश में रेडियो-सक्रियता का स्तर काफी बढ़ गया है । भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनुमानित वृद्धि प्रायः बराबर ही है । अनुमान है कि वायुमंडलीय रेडियो-सक्रियता ३ से ३० गुनी बढ़ गयी है और आकस्मिक उच्च स्तर में ५० से २०० गुना वृद्धि दिखायी पड़ती है । इस वृद्धि के स्तर से लोक-स्वास्थ्य को कोई भारी खतरा नहीं मालूम होता ।

मध्यप्रदेश में यूरेनियम

२२२. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में यूरेनियम की विद्यमानता की संभाव्यता का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी मात्रा में है और किस किस्म का है; और

(ग) उन क्षेत्रों में इन निक्षेपों की संभाव्यता का पता लगाने के लिये (क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए) और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अलीखां)** : (क) से (ग). आण्विक शक्ति विभाग के आण्विक खनिज उप-विभाग (डिविजन) द्वारा किये गये भूमि-सर्वेक्षण से मध्य प्रदेश के द्रुग जिले में बाघ नदी गांव के पास कुछ रेडियो सक्रिय क्षेत्रों का पता चलता है । रेडियो सक्रिय क्षेत्रों के फैलाव की गहराई और उनके भूमिगत रूप का पता लगाने के उद्देश्य से भूमिगत जांच पड़ताल जारी है । यह जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही निक्षेपों की संभाव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है ।

तिहाड़ गांव (दिल्ली) का नवनिर्माण

†*२२३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **पुनर्वास** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की एक शरणार्थी बस्ती, तिहाड़ गांव के नवनिर्माण की योजना में कहां तक प्रगति हुई है; और

(ख) योजना को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). इस बात का खेद है कि इस विषय में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। यह योजना दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जायेगी, जिसे यह सूचित कर दिया गया है कि यह मंत्रालय योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुपातिक खर्च उठाने के लिए तैयार है।

मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरण का कारखाना

†*२२४. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :
श्री नंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरण का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस की लागत कितनी होगी; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आरम्भ में ही यहब ताया जा सकता है कि मिट्टी हटाने वाले उपकरण की कुछ वस्तुएं अभी सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में तैयार की जा रही हैं। आयुध कारखानों में कोमात्सु क्रॉलर ट्रैक्टर तैयार करने के मामले में जो प्रगति हुई है वह सभा को भली भांति मालूम है जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र की एक या दो फर्मों ने एक्सकैवेटर्स, तथा मिट्टी हटाने वाले उपकरण की संलग्न वस्तुएं तथा फुटकर पुर्ज़े तैयार करना शुरू कर दिया है।

अभी हाल में, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती हुई एक कम्पनी, मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड ने स्क्रैपर्स, डम्पर्स आदि तैयार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन लाइसेंस के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस योजना पर सरकार विचार कर रही है और यह प्रारम्भिक दौर में होने के कारण इस परियोजना की लागत आदि का ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है। ये वस्तुएं तैयार करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई दूसरी योजनायें हैं ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटड

†*२२५. **श्री साधन गुप्त :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी, लिमिटेड ने डिडवाना नमक जिस में केवल ८० सोडियम क्लोराइड और २० सोडियम सल्फेट तथा अन्य खराबियां थीं, उन औद्योगिक संस्थाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

के बजाय जिन्हें औद्योगिक प्रयोग के लिए ऐसे नमक की आवश्यकता थी, थोक व्यापारियों के हाथ बेचा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) थोक व्यापारियों को यह चेतावनी देने के अलावा कि ऐसा नमक मनुष्यों द्वारा खाये जाने के लिए नहीं होता, थोक व्यापारियों द्वारा मनुष्यों द्वारा खाये जाने के लिये नमक की बिक्री रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). डिडवाना नमक स्रोत राजस्थान सरकार को सौंप दिये जाने के कारण हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड के नमक का स्टाक तुरन्त निकालना जरूरी हो गया । इसलिए मानक से निम्न कोटि का नमक खुले टेन्डर मंगा कर सीधे थोक व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया है ।

(ग) थोक व्यापारियों से यह वचन ले लिया गया था कि वे मानक से निम्न कोटि का नमक केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही बेचेंगे । विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को उन व्यापारियों की सूची दे दी गयी थी । जिन्होंने यह नमक खरीदा था और उन से प्रार्थना की गयी थी कि वे उन पर निगरानी रखें ताकि वह नमक मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिए न बेचा जाये । उन व्यापारियों के नाम तथा उन के सामान्य वितरण-क्षेत्र भी अखबारों में इस चेतावनी के साथ प्रकाशित कर दिये गये थे कि जनता इस नमक को खाने के लिए न खरीदे ।

सरकारी होस्टलों में विभागीय भोजन-व्यवस्था

†*२२६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोर्ट और कांस्टिट्यूशन हाउस जैसे सरकारी होस्टलों में भोजन व्यवस्था (केटरिंग) की वर्तमान ठेका पद्धति समाप्त करने और विभाग की ओर से भोजन व्यवस्था (डिपार्टमेंटल केटरिंग) की पद्धति चालू करने की कोई योजना सरकार के सामने है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) होस्टलों में विभाग की ओर से भोजन व्यवस्था चालू करना उचित तथा लाभदायक नहीं समझा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में रेडियो-सक्रियता

†*२२७. श्री महन्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री झूलन सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सूपकार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :
डा० सुशीला नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के रूसी परीक्षणों के कारण भारत के वायुमंडल में रेडियो-सक्रिय धूल (फाल आउट) की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) मनुष्यों के स्वास्थ्य पर उस के घातक प्रभावों से जनता को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां, देश में अभी हाल में वायुमंडलीय रेडियो सक्रियता के स्तरों में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा किये गये दूध तथा भोजन के नमूनों में रेडियो-सक्रियता के स्तरों पर आण्विक शक्ति विभाग कड़ी निगरानी रखता है। सरकार भोजन आदि के उपभोग में सावधानी बतरने के बारे में यदि ऐसी कोई कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो जनता को सलाह देगी। अभी फिलहाल वृद्धि के स्तर से लोक स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है और कोई विशेष कार्यवाहियों की आवश्यकता नहीं है ।

तृतीय योजना के लिये शिल्पी तथा इंजीनियर

†*२२८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि तृतीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की सफल कार्यान्विति के लिये १३ लाख अतिरिक्त शिल्पियों की आवश्यकता पड़ेगी, ८ लाख शिल्पी इंजीनियरी सम्बन्धी कार्य के लिये और शेष गैर-इंजीनियरी कार्यों के लिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मांग की पूर्ति के लिये कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा चुकी है, तो क्या वह अनुमति मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल १२.७ लाख कारीगरों की आवश्यकता होगी और ८ लाख इंजीनियरी संबंधी कार्य तथा बाकी गैर-इंजीनियरी व्यापारों के लिए है।

(ख) और (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या करीब ४२,००० सीट सहित १६७ से बढ़ाकर १ लाख सीट सहित ३१८ कर देने का विचार है। इससे तीसरी योजना में लगभग २ लाख कारीगर उपलब्ध हो जायेंगे। इसके अलावा, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में दूसरी प्रशिक्षण-योजनाएं भी हैं जिनसे संभवतः प्रत्याशित आवश्यकताएं पूरी होंगी।

कोचीन पत्तन में गोदी मजदूर योजना

†*२२९. **श्री कोडियान** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोचीन पत्तन में गोदी मजदूर योजना की कार्यान्विति में आगे क्या प्रगति हुई है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कुछ विवादों के कारण जो जून, १९६१ में औद्योगिक न्यायाधिकरण, एरनाकुलम्, को फैसले के लिए सौंपे गये थे, यह योजना अभी तक कार्यान्वित करना संभव नहीं हुआ। न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

अखिल भारतीय रेशम अनुसंधान संस्थायें

†*२३०. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेशम अनुसंधान संस्थाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर कायम किये गये हैं; और

(ग) क्या वर्तमान अखिल भारतीय अनुसन्धान संस्थाओं में इस अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिये कोई नयी विकास-योजनायें कार्यान्वित की जा रही है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९४३ में स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से तीन और रेशम-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किये हैं।

(ख) ये केन्द्र मैसूर में छन्नापतना, आसाम में तिताबर और बिहार में चांईबासा में स्थित हैं।

(ग) केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपुर के लिए २२ लाख रुपये की अनुमानित लागत से १९६० में एक विस्तार-योजना मंजूर की गयी थी और वह अभी कार्यान्वित हो रही है इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में रेशम उद्योग के संगठन तथा विकास के बारे में सिफारिशें करने के लिए अभी हाल में एक केन्द्रीय अनुसन्धान समन्वय समिति कायम की है। समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और रेशम बोर्ड अनुसन्धान-केन्द्रों के स्वरूप के बारे में समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*२३१. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में विशेषकर मुद्रा-परिवर्तन की सुविधाओं के मामले में, भारतीय व्यापारियों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है, जिस के फलस्वरूप उनके पास एक बड़ी मात्रा में चीनी मुद्रा संचित हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय व्यापारियों को चीनी मुद्रा घटी हुई दरों पर परिवर्तित करने पर विवश किया जाता है, जिस से उनको बड़ा घाटा होता है ; और

(ग) उनके हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां । यह सच है कि तिब्बत में सामान्यतया भारतीय व्यापारियों को मुद्रा-परिवर्तन की सुविधाएं नहीं दी जातीं ।

(ख) भारत सरकार को मालूम है कि भारतीय सौदागरों को अपने पास की चीनी मुद्रा कम दरों पर बेचने तथा इस प्रकार घाटा उठाने के लिए बाध्य किया गया है ।

(ग) भारत सरकार ने चीन सरकार से प्रार्थना की है कि वह १९५४ के चीन-भारतीय करार के अर्थ में भारत और तिब्बत के बीच प्रचलित व्यापार के लिए अनुमति दे । इसके अन्तर्गत सामान्य प्रेषण सुविधाएं भी शामिल होंगी :

केन्द्रीय क्रय समिति

†*२३२. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री रामम् : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १६ सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). आशा है कि १६ सदस्यीय समिति अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९६१ के अंत तक अंतिम रूप से तैयार कर लेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूई का रक्षित भंडार

†*२३३. { **श्री पहाड़िया :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि रूई की उपलब्धि में कमी का सामना करने के लिए रूई का रक्षित भंडार बनाया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अमेरिका के कृषि मंत्री की हाल की भारत यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). अमरीकी सरकार अभी इस विषय पर विचार कर रही है ।

सस्ते रेडियो सैटों का निर्माण

†*२३४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सस्ते रेडियो सेटों (जनता रेडियो) का निर्माण करने और रेडियो सुनने की अभिरुचि को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर क्या व्यय होगा ;

(ग) अब तक उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) क्या इस तरह के रेडियो सेटों का आज कल देश में निर्माण हो रहा है ; यदि हां, तो किस सीमा तक और ये किस कीमत पर लोगों को उपलब्ध किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रसारण सुविधायें बढ़ने पर यह प्रतीत हुआ कि कम आय वाले लोगों के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए सस्ती कीमत के रेडियो सेट उपलब्ध किये जायें । उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद, रेडियो रिसीवरों के निर्माताओं से यह कहा गया कि वे वर्तमान विदेशी मुद्रा नियतन के अन्तर्गत ही अपने उत्पादन के कम से कम १० प्रतिशत में कम कीमत वाले रेडियो सेट तैयार करें । उस १० प्रतिशत से ऊपर प्रत्येक ५ प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए निर्माताओं को पुर्जे और कच्चे माल के आयात के लिए उनके वर्तमान नियतन से ५ प्रतिशत अधिक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नियत की गयी लेकिन उनका अधिकतम उत्पादन १० प्रतिशत उत्पादन से आगे २० प्रतिशत रेडियो सेटों तक ही सीमित रहेगा ।

इस व्यवस्था में उद्योग को विनियोजन की कोई अतिरिक्त लागत नहीं पड़ेगी । कम कीमत वाले रेडियो रिसिवरों का उत्पादन जो १९६० के उतरार्ध में आरंभ हुआ, २४०० सेट था और जनवरी-सितम्बर, १९६१ में उत्पादन करीब २६,७०० सेट होगा और उद्योग की योजना ६१,०००

†मूल अंग्रेजी में

सेट बनाने की है। कम कीमत वाले रेडियो रिसिवरों की कीमत १२५ रुपये है जिसमें स्थानीय बिक्रीकर शामिल नहीं होगी ।

फासफोरस संयंत्र

†*२३५. { श्री मुरारका :
श्री कोडियान :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र में फासफोरस संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और परियोजना के लिए कुल कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में फासफोरस संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

लंका के तट के निकट सोलह भारतीयों की मृत्यु

†*२३६. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६० में लंका के तट के निकट हुई १६ भारतीयों की मृत्यु के सम्बन्ध में मुकदमा दायर कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही किस स्तर पर है ; और

(ग) नाव के यात्रियों में से कितने यात्री मरने से बचा लिये गये ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). मद्रास के राज्यपाल ने सूदूर समुद्र में हत्या के लिए सात अपराधी व्यक्तियों पर दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का केन्द्रीय अधिनियम ५) की धारा १८८ के अधीन अभियोग चलाने के लिए २८-६-१९६१ को मंजूरी दे दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ और ३४ के अधीन अभियोग पत्र ३० अक्तूबर, १९६१ को तिरुथेन्दूर में उप न्यायाधीश (सब-मजिस्ट्रेट) के सामने रखा गया था । दो अपराधी हिरासत में रखे गये हैं चार जमानत पर हैं और एक दलाल थंगावेलू अब भी फरार है। मामला अदालत में पेश है लेकिन सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

(ग) इसमें कोई भी सच्चे यात्री ग्रस्त नहीं हुए लेकिन नाव पर ३६ अवैध उत्प्रवासी थे जिनमें से २० बच गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी संयंत्र बिजली उपकरण

†*२३६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० मांझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया और रूस के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले, दो भारी बिजली उपकरण संयंत्रों की स्थापना के लिये उचित स्थानों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई टैक्निकल समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय कर लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) चेकोस्लोवाकिया का भारी बिजली उपकरण संयंत्र आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास रामचन्द्रपुरम् में और अधिक दबाव के बायलर्स संयंत्र (हाई प्रेशर बॉयलर्स सं ंत्र) मद्रास राज्य में निरुची के पास और रूसी भा ी बिजली उपकरण संयंत्र (हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लान्ट) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रानीपुर में स्थापित करने का निश्चय किया गया है ।

रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संबर्द्धन परिषद्

†*२३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा पश्चिमी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या का वाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ३५ ।]**

चपड़ा का व्यापार

†*२३९. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चपड़ा के व्यापार के सम्बन्ध में रक्षित भण्डार बनाने का काम स्वयं करने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या यह निर्णय भारतीय लाख निर्यात संघ के परामर्श से किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा निश्चय करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां, केवल ४ किस्म के चपड़ों के सम्बन्ध में।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारी चादर पोत कारखाना

†*२४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के अधीन ब्रिटिश सहायता से स्थापित किये जाने वाले भारी चादर पोत कारखाना और भारी ांचा निर्माण परियोजना के स्थान के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां. तो संयंत्र कहां स्थापित किया जाना है; और

(ग) परियोजना को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। भारी चादर और पोत कारखाना तथा **भारी** ढांचा कारखाना (हेली लेट एण्ड केसेज एण्ड हेवी स्ट्रक्चर वर्क्स) महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र में स्थापित किया जायगा ।

(ख) उपयुक्त शिल्पिक तथा वित्तीय सहयोग के लिये बातचीत पूरी होने वाली है।

पाकिस्तान में पावन स्थान

†*२४१. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई में हुई भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों की बातचीत के अनुसार पाकिस्तान में छोड़े गये पावन स्थानों सम्बन्धी संयुक्त समिति की एक बैठक करने का कोई स्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इस बैठक की कार्यसूची क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां। जुलाई, १९६१ में कलकत्ते में भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मन्त्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने पवित्र स्थान सम्बन्धी भारत-पाकिस्तानी संयुक्त समिति की दूसरी बै क नयी दिल्ली में करना मंजूर कर लिया था। निकट भविष्य में ही बैठक बुलाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनवरी, १९५८ में कराची में पवि स्थान सम्बन्धी संयुक्त समिति की पहली बै क में इस बै क के लिये एक अस्थायी कार्यसूची तैयार की गई थी। इसमें शामिल मुख्य बातें इस कार हैं :—

(१) पवित्र स्थानों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये धन ;

(२) देखभाल करने वालों की नियुक्ति; और

(३) यात्रियों के आगमन के लिये सुविधाएं।

व्यापार शिष्टमंडल

†*२४२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में क्यूबा, संयुक्त अरब गणराज्य, मलाया, लंका और कई पूर्वी यूरोपीय देशों के व्यापार शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन ौरों के फलस्वरूप व्यापार बढ़ाने के लिये कोई नये समझौते हुए हैं और उनका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में किन्हीं भारतीय व्यापार शिष्टमंडलों ने विदेशों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों का और उन दौरों के परिणाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१९६१ में श्रीलंका, मलाया, ोलैण्ड और संयुक्त अरब गणराज्य से शिष्टमंडल भारत आये थे लेकिन क्यूबा से कोई शिष्टमंडल नहीं आया था।

२. श्रीलंका के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर कि गये थे। मलाया के शिष्टमंडल ने सामान्य रूप से व्यापार बढ़ाने के प्रश्न पर चर्चा की थी लेकिन किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। भारत-पोलिश व्यापार तथा भुगतान करार से सम्बद्ध अनुसूचियां जिनमें दोनों देशों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की सूची दी हुई है, वर्ष १९६२ के लिये मान्य की गयी। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ वर्तमान व्यापार करार के सन्धि-पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। इन प्रलेखों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भेज दी गयी हैं।

३. भारत से एक व्यापार शिष्टमंडल ईरान गया था और उस देश के साथ एक व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। उसकी तियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वाणिज्य मन्त्री के नेतृत्व में एक सद्भावना आर्थिक शिष्टमंडल भी इटली सरकार के निमन्त्रण पर इटली गया था।

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†*२४३. { **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री तंगामणि : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कितने देशों ने भाग लिया और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) सरकार ने उस पर कुल कितना खर्च किया; और

(ग) क्या ऐसे समारोह हर साल आयोजित किये जायेंगे जैसा कि अन्य देशों में होता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त निम्नलिखित ३६ देशों ने भारत के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह १९६१ में भाग लिया :—

१. अर्जेन्टाइना	१३. जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक)	२५. पाकिस्तान
२. आस्ट्रेलिया	१४. घाना	२६. पोलैन्ड
३. बेल्जियम	१५. ग्रीस	२७. रूमानिया
४. बल्गेरिया	१६. हांगकांग	२८. स्वीडन
५. कनाडा	१७. हंगेरी	२९. स्वीटज़रलैन्ड
६. श्री लंका	१८. इटली	३०. सयुक्त अरब गणराज्य
७. चीन	१९. जापान	३१. ब्रिटेन
८. क्यूबा	२० मलाया	३२. अमेरिका
९. चेकोस्लोवाकिया	२१. मेक्सिको	३३. रूस
१०. डेन्मार्क	२२. मोरक्को	३४. वियतनाम (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक)
११. फ्रान्स	२३. नीदरलैन्डस	३५ वीयतनाम (रिपब्लिक)
१२. जर्मनी (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक)	२४. न्यूर्जीलैन्ड	३६. यूगोस्लाविया।

(ख) कुल खर्च की रकम अभी मालूम करनी है क्योंकि सभी बिल अभी तक नहीं मिले हैं और अभी उनकी जांच और अदायगी बाकी है।

(ग) अभी इस विषय पर विचार नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सस्ते ट्रांजिस्टर सेट

†*२४४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सस्ते ट्रांजिस्टर सेटों का संभरण कर रेडियो सुनने की अभिरूचि को जनप्रिय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत तथा अन्य व्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी, नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना के रूप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, सरकार ऐसे लोगों के हित में, जो महंगे सेट नहीं खरीद सकते, सस्ते रेडियो सेटों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है और इस में ट्रांजिस्टर सेट और साधारण वाल्व सेट, दोनों ही हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से देश में रेडियो सुनने की अभिरूचि को लोकप्रिय बनायेगा। घरेलू इस्तेमाल के लिये १२५.०० रुपये से कम दामों के सस्ते सेटों की लाइसेंस फ़ीस १५.०० रुपये की बजाये ७.५० रुपये कर दी गई है। आकाशवाणी की मीडियम-वेव योजना का उद्देश्य ही वास्तव में कम आमदनी वाले वर्गों में रेडियो सुनने की अभिरूचि को लोकप्रिय बनाना है।

जहां तक कम दामों वाले ट्रांजिस्टर सेटों के बनाने का प्रश्न है, यह विषय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के क्षेत्र में है।

(ख) और (ग). यह प्रश्न नहीं उठते।

उन्नीसवां भारतीय श्रम सम्मेलन

†*२४५. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नीसवें भारतीय श्रम सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा और मालिकों द्वारा पंचाटों के लागू किये जाने में देरी किये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार किया गया। मालिका द्वारा देरी किये जाने का प्रश्नप्सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल नहीं था और उस पर विचार नहीं किया गया।

(ख) और (ग). सामाजिक सुरक्षा के विषय पर यह निर्णय किया गया कि सम्मेलन में दिये गये सुझावों को देखते हुए पक्षों में एक विस्तृत नोट परिचालित किया जाये और फिर उसको भारतीय श्रम सम्मेलन अथवा स्थायी श्रम समिति की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण

†*२४६. **श्री बलराज मधोक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री पहाडिया :
श्री प्र० गं० देब :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस ने अभी हाल में जो आणविक परीक्षण किये हैं उन से भारत को विकिरणों का कितना खतरा होगा, क्या इस का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां । अणु शक्ति विभाग देश में पर्यावारिक रेडियो सक्रियता के स्तर का व्यापक रूप से सर्वेक्षण कर रहा है । सर्वेक्षण में देश के विभिन्न भागों से संग्रहीत वायु, पानी और खाद्य सामग्री का न्यादर्शन शामिल हैं ।

(ख) हाल ही में पर्यावारिक रेडियो सक्रियता के स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है । तथापि, इस वृद्धि से अभी तक देश में जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार के खतरे का पता नहीं चला है ।

बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†*२४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागानों सम्बन्धी त्रिदलीय औद्योगिक समिति की बैठक इस वर्ष सितम्बर मास में नई दिल्ली में हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में समिति ने क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों के आधार पर क्या निर्णय किये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा टल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**] ।

औद्योगिक बस्तियां

†३६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में नयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है और (राज्य-वार) स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक बस्तियों की क्या संख्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में नयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के कार्यक्रम को कुछ राज्यों के बारे में अन्तिम रूप दे दिया गया है और शेष के बारे में यह विचाराधीन है ।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं जिन में (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये गये आवंटन और (२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों का (राज्य-वार) व्योरा दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]** ।

माचिस के डिब्बे

†३६४. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माचिस कारखानों द्वारा माचिस के डिब्बों पर केवल एक ओर गंधक लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) कारखानों ने यह निर्णय स्वयं किया है या सरकार के कहने पर; और

(ग) इस निर्णय का क्या उद्देश्य है और कारखानों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). माचिस कारखानों के एक दल के लिये आयातित गंधक के पारेषण में विलम्ब होने से इस दल को अपने कारखाने बन्द कर देने की संभावना थी । इस स्थति को दूर करने के लिये इस दल ने डिब्बों के केवल एक ओर गंधक लगाना आरम्भ किया । तथापि, इसने उनके पास ताजा स्टाक आते ही उन्होंने डिब्बों के दोनों ओर गंधक लगाना शुरू कर दिया । इस बारे में न तो सरकार की राय मांगी गयी थी और न दी गयी थी ।

अमरीका को चाय का निर्यात

†३६५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७ से ब्रिटेन को चाय का कुल कितना निर्यात किया गया और कुल कितनी विदेशी मुद्रा की *आय* हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सचीश चन्द्र)** :

वर्ष	मात्रा (१० लाख टनों में)	मूल्य (करोड़ रूपयों में)
१९५७	३०१.७२	८२.३६
१९५८	३३०.९२	८९.४८
९५९	२८२.५७	७५.७१
१९६०	२६९.३४	७५.४०
१९६१ (सितम्बर के अन्त तक) . .	१६३.३१	४६.२२

†मूल अंग्रेजी में

फिल्म्स डिवीज़न

†३६६. **श्री न० म० देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता अथवा जमशेदपुर के क्षेत्रों में अधिक महत्व के सार्वजनिक समारोहों पर न्यूज़-रील बनाने के लिये फिल्म्स डिवीज़न का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). यह विवरण सही नहीं है। जनवरी से अक्तूबर, १९६१ तक पश्चिम बंगाल ७६ मामले अथवा कहानियों की न्यूज़-रील बनाई गयी। इन में से लगभग ८० प्रतिशत कलकत्ता के बारे में हैं। तुलनात्मक रूप से, उसी अवधि में, बिहार में २३ मौकों की न्यूज़-रील बनायी गयी।

कलकत्ता में दो कैमरामैन रखे गये हैं जो केवल कलकत्ता क्षेत्र में ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योग

†३६७. **श्री न० म० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता और कच्चे माल के संभरण के बारे में सरकार ने सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

कैमरा कारखानों की स्थापना

†३६८. **श्री न० म० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के समीप जर्मनी के सहयोग से एक कैमरा कारखाना स्थापित किया जायगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक गैर-सरकारी पक्ष द्वारा शिलांग (आसाम) में जर्मनी के सहयोग से एक कैमरा संयंत्र स्थापि करने का प्रस्ताव किया गया था। इस पक्ष के प्रस्ताव को सरकार ने सामान्यतः मंजूर कर लिया था और उन को आयात लाइसेन्स के लिए एक औपचारिक आवेदन-पत्र देने को कहा गया। परन्तु ऐसा लगता है कि उस पक्ष ने मामले पर गौर नहीं किया है।

नकली राल बनाने का कारखाना

†३६९. **श्री न० म० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान का क्या नाम है जहां केन्द्रीय सरकार नकली राल बनाने का कारखाना स्थापित करेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†३७०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ की तीसरी तिमाही में कितनी सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया; और

(ख) जिन देशों को इनका निर्यात किया गया, उनके क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)**: (क) और (ख). अभी तक केवल अगस्त, १९६१ तक के ही व्यापार आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं। जुलाई और अगस्त, १९६१ के महीनों में मुख्यतः कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम, श्रीलंका, कांगो, ईरान, पाकिस्तान और अमरीका को ६.६५ लाख रुपये की मूल्य की ६१४८ सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया।

टेलीफोन अपरेटस का निर्यात

†३७१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में अब तक विदेशों को निर्यात किये गये टेलीफोन अपरेटस का क्या मूल्य है; और

(ख) जहां इनका निर्यात किया गया, उन देशों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जनवरी-जुलाई, १९६१ की अवधि में मुख्यतः अदन को लगभग ३००० पये के मूल्य के टेलीफोन अपरेटस का निर्यात किया गया।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में समवाय

†३७२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक की अवधि में महाराष्ट्र के मरा वाड़ा प्रदेश में समापनाधीन उन रजिस्टर्ड समवा ों के क्या नाम हैं जिन्होंने समवाय अधिनियम, १९५६ का धाराओं ५०८ और ५५१ का पालन नहीं किया है ;

(ख) क्या सरकार को समवाय अधिनियम की धारा ५०८ और ५५१ के अधीन किसी समापक से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि रजिस्ट्रार को किसी समापक अथवा समवाय के वि द्ध कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होता है तो वह उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता ;

(घ) क्या किसी अंशधारी ने किसी समापक के विरुद्ध धारा ५४५ के अधीन कोई रिपोर्ट की गयी ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) १ जुलाई, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक की अवधि में मेसर्ज जनता मोटर सर्विस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक ने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५५१ के अनुसार कार्य नहीं किया।

(ख) इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कथित समवाय के परिमापक ने समवाय अधिनियम, १९५६ की धाराओं ५०८ और ५५१ के उपबन्धों का पालन नहीं किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) एक अंशधारी ने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५४५ के अधीन कथित समवाय के परिसमापक के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की। कथित अंशधारी को समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५४२(१) अथवा धारा ५४५(५) के अधीन न्यायालय में आवेदन पत्र देने को कहा गया है।

फरीदाबाद में सरकारी कार्यालय के भवनों का निर्माण

†**३७३. श्री प्र० गं० देव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में सरकारी कार्यालय के भवन बनाने का को प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिये लगभग एक लाख वर्गफुट आवास की व्यवस्था करने के लिये फरीदाबाद में सरकारी कार्यालय बनाने का विचार किया गया है। कुछ अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिये भी अलग से स्थान दिये जायेंगे। वास्तविक आवश्यकतानुकूल रहने के आवास की भी व्यवस्था की जायेगी। स परियोजना के नक्शे एवं आक्कलन आदि तैयार किये जा रहे हैं।

खुले सिनेमागृह

†**३७४. श्री चुनी लाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संघीय राज्य क्षेत्रों में कितने खुले सिनेमाओं में चलचित्रों के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई हैं; और

(ख) कोई विशेष प्रतिबन्ध, यदि कोई लगाये ग हैं तो, किस सम्बन्ध में लगाये ग हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तथा (ख).यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में स्कूटरों का निर्माण

†**३७५.** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा कितने कारखानों को तथा किन किन स्थानों पर स्कूटर बनाने की अनुमति दी गई है;

†मूल अंग्रजी में

(ख) कब से वे उत्पादन कार्य प्रारम्भ करेंगे; और

(ग) उनके उत्पादन की क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी वाला विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]** ।

तार द्वारा प्रसारण योजना

†**३७६. श्री चुनी लाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार द्वारा प्रसारण की योजना का अस्पतालों, रुग्णालय, सार्वजनिक उद्यानों तथा दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर निर्धनों के आवासगृहों में भी विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्त क्या होंगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू-नून करार

†**३७७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के हस्तान्तरण के बारे में नेहरू-नून करार के निर्णयों को क्रियान्वित करने के बारे में तब से और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के हस्तान्तरण के बारे में और आगे कार्यवाही तो केवल उसी समय की जा गी जबकि सीमा रेखा सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाता है। ७ अगस्त, १९६१ के बाद से जबकि लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर दिया गया था इस का में कोई विशेष गति नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण यह काम ठप ही रहा है। सी महीने से यह कार्य शुरू हुआ है।

राष्ट्र मंडलीय प्रेस यूनियन

†**३७८. श्री प्र० गं० देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डलीय प्रेस यूनियन की बैठक नवम्बर में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन पर सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय किया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) राष्ट्र मण्डलीय प्रेस यूनियन के पंच-वर्षीय अधिवेशन के दूसरे भाग का सम्मेलन नई दिल्ली में २ और ३ नवम्बर, १९६१ को हुआ था।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सम्मेलन पर तो सरकार ने कुछ भी खर्च नहीं किया। किन्तु राष्ट्र मण्डलीय प्रेस यूनियन के भारतीय विभाग के निवेदन पर इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों को सरकारी खर्चे पर भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का भ्रमण कराया गया था। इस भ्रमण एवं प्रतिनिधियों के स्वागत आदि पर कितना व्यय हुआ यह तो तभी पता चलेगा जबकि उस व्यय सम्बन्धी बिलों का भुगतान किया जाता है।

गंदी बस्तियों का हटाया जाना

†३७९ { **श्री तंगा मणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंदी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी सेन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कानपुर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद से गंदी बस्तियों को हटाने के लिये केन्द्र ने कितनी राशि दी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) गंदी बस्तियों के हटाने सम्बन्धी अशोक सेन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में जो प्रगति हुई है उसको बताने वाली एक टिप्पणी लोक सभा पटल पर अतारांकित प्रश्न संख्या १८ दिसम्बर १९५९ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में रखी गई थी। उसके बाद से प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या ६ (iii) के अनुसरण में विभिन्न राज्यों की छोटे पैमाने के उद्योग सेवा संस्थाओं ने कुछ चुनी हुई गन्दी बस्तियों के लिये एक व्यावसायिक सर्वेक्षण किया है। और यह सुझाव दिया है कि इन बस्तियों में बहुत से छोटे तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाये और उन पर अधिक लागत न लगाई जाये और वे आयोग इन बस्तियों के निवासियों द्वारा अपने अपने नये स्थानों में चलाये जा सकते हैं। यह सुझाव जून १९६१ में राज्य सरकारों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया था।

(ख) गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली प्रशासन संघ को गंदी बस्ती हटाने की योजना के अधीन ८२६.२९ लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी यह राशि उनको द्वितीय योजना के अधीन छ: बड़े नगरों तथा उन नगरों पर, जहां कि गंदी बस्तियां हटाने या उनके विकास के लिये स्वीकृति दी गई थी, होने वाले व्यय की सूचना उनके द्वारा देने पर दी गई थी। राज्यों को जो राशि दी गई है उसमें से प्रत्येक नगर पर कितना धन व्यय होगा इसका निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारें ही करेंगी। यह धन परियोजना के लिये स्वीकृत राशि तथा प्रत्येक परियोजना पर होने वाले व्यय को ही ध्यान में रखकर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेंगनीज अयस्क खनन उद्योग

†३८०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेंगनीज अयस्क खान उद्योग पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

कुल्ती म कर्मचारियों के लिये मकान

†३८१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्ती में इंडियान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कर्मचारियों के लिये औद्योगिक मकान बनाने के लिये पर्याप्त जल सुविधाओं सहित भूमि प्राप्त करने के बारे में कोई और प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५७ में मौजा सिरीपुर पी० एस० कुल्ती में एक उचित भूमि तथा अन्य दो स्थान, आवास निर्माण खंड १ के भी एक्जीक्यूटिव इंज़ीनियर तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के आवास निदेशालय के मुख्य इंज़ीनियर ने पसंद की थी ;

(ग) तने दिन तक सरकार ने इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की ;

(घ) क्या सरकार का विचार कुल्ती के कर्मचारियों के लिये इस योजना में मकान बनाने का है जब कि "इसको" के कर्मचारियों के लिये वर्नपुर में काफ़ी क्वाटर मौजूद हैं ; और

(ङ) यह कार्य कब शुरू होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग) . पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया है कि (।) कुल्ती में उपयुक्त स्थान की कमीके कारण जहां कि पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, सहायता प्रदत्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत उन्होंने मकान बनाने की योजना शुरू नहीं की हैं । और (।।) मकान बनाने का प्रश्न तभी लिया जायेगा जब कि स प्रकार का उचित स्थान मिल सकेगा । राज्य सरकार ने यह भी राय दी है कि पहले जो स्थान चुने गये थे उनको इसलिये छोड़ना पड़ेगा क्यों कि वहां इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

नागा उपद्रवी

†३८२. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ सितम्बर १९६१ को कुछ नागा उपद्रवियों ने कार्यकारी परिषद् के सदस्य श्री ज़ोसोकिया के सामने कोहिमा में आत्म समर्पण किया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ नागाओं को, जिनके पास स्टेनगन तथा अन्य गोलाबारूद पाये गये थ, गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता किया है कि ये स्टेनगन तथा गोलाबारूद कहां से आया ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) जी हां । कोहिमा जिले में अकजमा गांव के तीन उपद्रवी नागाओं ने आत्मसमर्पण किया था ।

(ख) ४-५ सितम्बर, १९६१ को रात को कोहिमा जिल में छोटा बस्ती नामक गांव में सुरक्षा बल द्वारा एक मकान की तलाशी ली गई थी । तीन उपद्रवियों को बन्दी बनाया गया था और एक स्टैनगन तथा ९ एम० एम० बारूद की १२ फायर उनके पास से मिली थी ।

(ग) तथा (घ). स्टेनगन तथा बारूद पर प्राप्त चिह्न स्पष्ट नहीं है । मालूम होता है कि वे पुरानी लड़ाइयों के ढेर में से हैं ।

निर्यात वृद्धि के लिये अलग मंत्रालय

†३८३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हेम बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र चैम्बर आफ कामर्स ने अभी हाल में एक ज्ञापन दिया है कि निर्यात वृद्धि के लिए मंत्रालय अलग से बनाया जाये ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्रीसतीश चन्द्र) :** (क) तथा (ख): आयात और निर्यात नीति समिति के पास एक ज्ञापन आया है जिसमें यह सुझाव दिया है कि "चैम्बर की ऐसी राय है कि निर्यात वृद्धि के लिये एक मंत्रालय अलग से ही होना चाहिये ।"

(ग) सरकार इस पर उसी समय विचार करेगी जब कि इस बारे में उसे इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाती हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण

†३८४. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री मती मंमना सुल्तान : }

क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अभी हाल में भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिया गया ऋण माफ कर दिया जाना चाहिये ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार से कहा गया है कि वह वित्तीय जटिलताओं को देखते हुए एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करे, ताकि सरकार उसके बारे में विचार करे ।

(ग) जब तक विस्तृत ब्यौरा नहीं आ जाता और उसकी जांच नहीं हो जाती तथा वित्तीय जटिलताओं का परीक्षण नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । यह भी कहा जा सकता है कि यह निर्णय न केवल पश्चिमी बंगाल पर लागू होगा बल्कि सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र पर लागू होगा ।

चीनी नक्शे

३८५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा चीनी नक्शों के आधार पर भारतीय क्षत्र को चीन का अंग दिखाने की जो गलतियां की गई हैं उन्हें ठीक कराने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** ७ अगस्त, १९६१ के उत्तर तक जो स्थति बताई गई थी, वही अब भी बनी हुई है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति

३८६. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना मंत्री** १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पवतीय क्षेत्रों के विकास के लिये जो परामर्श-दात्री समिति नियुक्त की थी उस के काम के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उक्त क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में और तेजी लाने के उद्देश्य से कौन-से विशेष क़दम उठाये जा रहे हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । समिति के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई थी वह तारीख २१ सितम्बर १९६१ के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत संसदीय कार्य विभाग को भेजी जा चुकी है ।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्य के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये जो क़दम उठाये गये हैं उनकी सूचना १६ अगस्त १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७७ के भाग (ग) के उत्तर में दी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में निर्मित हाथ की घड़ियां

†३८७. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में निर्मित हाथ की घड़ियां आयातित घड़ियों की अपेक्षा मंहगी हैं ;

(ख) १ नवम्बर १९६१ तक कुल कितनी मर्दानी एवं जनानी घड़ियां तैयार की गईं ;

(ग) उनमें से कितनी घड़ियां बिकीं तथा कितनी घड़ियां उपहारस्वरूप दी गईं ; और

(घ) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) विभिन्न प्रकार की घड़ियों के मूल्य की तुलना करना संभव नहीं है। घड़ियों के आयात पर कठोर प्रतिबंध है, और केवल बहुत थोड़ी-सी राशि ही आयात के लिये दी जाती है ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० में १ नवम्बर १९६१ तक कुल ५४९० घड़ियां तैयार की गई हैं जिनमें से ११२० जनानी और ४३७० मर्दानी घड़ियां हैं ।

(ग) अब तक ३३९७ घड़ियां बेची गई हैं और ८५ घड़ियां उपहार स्वरूप दी गई हैं ।

(घ) वृहद् रूप से, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० सहित १२,७०,००० घड़ियां बनाने के लिये चार योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । छोटे पैमाने पर घड़ियां बनाने के लिये छः और योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

गुड़गांव में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†३८८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, जो कि मौडल टाउन (गुड़गांव) में आ कर बस गये हैं, इन मकानों को छोड़ने के लिये नोटिस दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है;

(ग) उन के लिये विकल्प योजना क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जो मुसलमान वहां आये हैं उनको वहीं रहने दिया जायेगा;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वे वहां बसना नहीं चाहते; और

(च) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (च). यह जानकारी पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है और उपयुक्त समय पर वह लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय आवास, निगम की स्थापना

†३८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उनके यहां मकान बनाने की योजना में सहायता देने के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के हेतु एक केन्द्रीय आवास निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). यह मामला विचाराधीन है।

पंजाब के लिये आवास बोर्ड की स्थापना

†३९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के लिये एक आवास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). यह मामला अभी तक राज्य सरकार के ही विचाराधीन है।

हैदराबाद में शीशे की चादरें बनाने वाला संयंत्र

†३९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र सरकार हैदराबाद में एक शीशे की चद्दर बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिये विदेशी तथा भारतीय विशेषज्ञों से जो बातचीत कर रही थी उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हैदराबाद में एक शीशे का कारखाना बनाने के सिलसिले में भारतीय तथा हंगेरियन विशेषज्ञों के बीच जो बातचीत हुई थी उसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, हैदराबाद ने, जो कि एक सरकारी निगम है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन प्रति वर्ष १२,५०० टन चादर तथा शीशे की प्लेट, प्रति वर्ष १२,००० टन ग्लास होलोवेयर, प्रति वर्ष १,८०० टन ग्लास शैल तथा ट्यूब और प्रति वर्ष १,५०० टन क्रिस्टिल ग्लास बनाने वाले एक संस्थान की स्थापना हैदराबाद में करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के हेतु एक आवेदनपत्र दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार १३४ लाख की पूंजी से एक संयंत्र की स्थापना की जायेगी इस में से

†मूल अंग्रेजी में

८० लाख रुपये तो आयात की जाने वाली मशीन मूल्य का ही होगा और यह मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव की विस्तृत बातें अभी हंगेरियन संगठन से आना शेष हैं।

उर्वरक कार्यक्रम

†३९२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके बाद से अमरीकी कृषि विशेषज्ञ डा० रेमंड इवेल, से भारत में उर्वरक कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद में 'रैन बसेरा'

†३९३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद में "रैन बसेरा" बनाने के लिये दुमंजली इमारत बनाने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** गुजरात राज्य सरकार ने जो कि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगी बताया है कि यह मामला अभी तक उनके विचाराधीन है।

दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में बिजली, पानी की सुविधायें

†३९४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शरणार्थी बतिस्यों तथा उनके अनुषांगिक भाग में जैसे कि राजेन्द्रनगर के दुमंजले क्वाटर अभी तक दिल्ली नगर निगम को नहीं दिये गये हैं और निगम इन बतिस्यों में बिजली पानी जैसी सुविधाएं नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन बस्तियों को दिल्ली नगर निगम को देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) तथा (ख). राजेन्द्रनगर के दुमंजले क्वार्टर, काल्काजी, और झील कुरंजा (गांधी नगर) में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ नगरीय सेवाओं की व्यवस्था करने का काम जारी है और आशा है कि यह मार्च, १९६२ तक समाप्त हो जायेगा। इसके बाद ये बस्तियां दिल्ली नगर निगम को दे दी जायेंगी। यह बात स्मरणीय है कि बहुत से बाजार तथा ये बस्तियां जिनको कि दिल्ली में सरकार ने बनाया है काफी बड़ी हैं और इन पर करोड़ों रुपये व्यय हुए हैं। इनमें से बहुत सी बस्तियों में विकास कार्य पूरा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में प्रवीण कर्मचारियों तथा टेक्निशियनों की पदाली

†३९५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काश्मीर की राज्य्सरकार ने काश्मीर में प्रवीण कर्मचारियों तथा टेक्निशियनों की पदाली बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सहयोग लेने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). तीसरी योजना काल में जम्मू और काश्मीर सरकार का विचार बहुत-सी बड़ी, मध्यम और छोटी औद्योगिक योजनायें चालू करने का है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से यह परामर्श मांगा था कि वे स्थापित की जाने वाली संस्थाओं और उद्योगों के लिये किस प्रकार के लोग भर्ती करें। उस ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना के बारे में भी राय पूछी थी जहां श्रमिक तथा अन्य कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके।

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय तारों पर सेंसर प्रतिबन्ध

†३९६. **श्री बं० च० मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत भेजे जाने वाले प्रेस तारों पर सेंसर प्रतिबन्ध लगाये जाने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बैंक कर्मचारियों का सम्मेलन

†३९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ सितम्बर, १९६१ को नयी दिल्ली में हुए बैंक कर्मचारियों के सम्मेलन में महंगाई भत्ता और मकान के किराये की मांग की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटेन में भारतीय चाय

†३९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास में ब्रिटेन को हो रहे भारतीय चाय के निर्यात में कुछ कमी आ गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारतीय चाय के अधिक खरीददार ढूंढने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) निर्यात सम्बन्धी आंकड़े केवल सितम्बर, १९६१ तक के ही उपलब्ध हैं। इस वर्ष ८५२ लाख पौंड भारतीय चाय का निर्यात ब्रिटेन को १९६१ के जुलाई से सितम्बर मास तक हुआ है, जब कि १९६० में इसी समय में निर्यात ७९८ लाख पौंड था। चाय का निर्यात ५४ लाख पौंड बढ़ा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नांगल उर्वरक फैक्टरी

†३९९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगल उर्वरक फैक्टरी का निर्माण पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उत्पादन की दैनिक गति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) भारी 'हेवी वाटर' संयंत्र और अमोनिया संयंत्र की तीसरी धारा के अतिरिक्त नांगल उर्वरक फैक्टरी के निर्माण का काम पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष के अन्त तक 'हेवी वाटर' संयंत्र के भी पूर्ण हो जाने की आशा है और एमोनिया संयंत्र की तीसरी धारा के निर्माण का काम अगले वर्ष मई तक पूरा हो जायेगा।

(ख) प्रतिदिन ५५० से ६०० मीट्रिक टन तक उत्पादन होता है।

लंका से भारतीयों का प्रत्यावर्तन

†४००. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री तंगामणि : }

क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १९६१ के वर्ष में अब तक लंका की सरकार बहुत से भारतीयों का प्रत्यावर्तन कर चुकी है; और

(ख) यदि हां तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). अगस्त के अन्त तक इस वर्ष में कुल ४५०८ भारतीय लंका से आ गये—२८२३ तो अपने आप आये और १६८५ लोग लंका सरकार का 'निकल जाओ' नोटिस मिलने पर आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय बागान

†४०१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के बाद प्रत्येक वर्ष के अन्त में चाय बागान की भूमि कितने एकड़ थी;

(ख) इन वर्षों में कितनी परती भूमि का चाय पैदा करने के लिये उपयोग किया गया, कितनी भूमि चाय बागान द्वारा, अर्जन अथवा अन्य कारणों से, छोड़नी पड़ी;

(ग) प्रत्येक राज्य में चाय बागान की भूमि की उच्चतम सीमा क्या है;

(घ) क्या चाय बागान की ओर से भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि जिस में यह कहा है कि भूमि की उच्चतम सीमा हटा दी जाय; और

(ङ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रत्येक वर्ष की ३१ मार्च को चाय क्षेत्र का पता निम्न तालिका से लग जायेगा :

राज्य	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
आसाम .	१५८,१७७.४४	१५९,२५३.७२	१५९,११९.१३	१६०,३९०.४१*
पश्चिम बंगाल	८१,३१२.५०	८१,६३६.१८	८१,९४९.३४	८२,२८९.७९
बिहार	७२४.७२	७२४.७२	७२४.७२	७२४.७२
त्रिपुरा	४,९५९.९६	५,०३८.८८	५,१६१.२४	५,२१५.७९
उत्तर प्रदेश .	२,३८८.६९	२,३८५.९५	२,३६८.९१	२,३६९.७२
पंजाब और कांगड़ा .	३,८८७.८०	३,८८७.८०	३,७६३.१६	३,७६३.१६
हिमाचल प्रदेश मंडी	४२३.२१	४२३.२१	४२०.०१	४२०.०१
मद्रास	३०,३३८.६१	३०,९४१.६८	३१,८११.८९	३२,४८४.२५
मैसूर	१,८५३.१६	१,८०७.९६	१,८०१.१५	१,८०२.५३
केरल	३९,२१८.६५	३९,२५६.३६	३९,३७४.६३	३९,६९३.४०
कुल	३२३,२८४.७४	३२५,३५६.४६	३२६,४९४.१८	३२९,१५३.७८

*अस्थायी

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान के गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

†४०२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ६ सितम्बर, १९६१ को गंगा नगर जिले के सीमा पर स्थित 'दंदेरा' गांव पर कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया और गांव में घुस कर कुछ औरतों के आभूषणों को लूट लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां । २ सितम्बर को (६ सितम्बर को नहीं) पाकिस्तान के कुछ लुटेरे छः ऊंटों को हांक ले गये और लगभग ४ तोले सोना और २३० तोले चांदी लूट ले गये ।

(ख) लूटे हुए सामान को वापिस देने के प्रश्न पर डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस राजस्थान और डिप्टी डायरैक्टर जनरल पश्चिम पाकिस्तान रेंजर्स से छठे सम्मेलन में—जो कि बीकानेर में हुआ था—विचार किया गया । डिप्टी डायरेक्टर जनरल, पश्चिम पाकिस्तान रेंजर्स ने यह रिपोर्ट दी है कि सभी ऊंटों और कुछ अन्य चीजों को खोज निकाला गया है और उन्हें शीघ्र ही वापिस कर दिया जायेगा ।

ब्रिटेन में चाय का निर्यात

†४०३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोग के रूप इस वर्ष जुलाई-अगस्त में लंका के रास्ते लन्दन को वायुयान द्वारा इकट्ठी चाय भेजी गयी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोग के क्या परिणाम निकाले हैं; और

(ग) इन परिणामों के आधार पर क्या सरकार का यह इरादा है कि भारतीय चाय का इसी प्रकार के परिवहन द्वारा निर्यात किया जाय ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) ३०० पौंड लंका की चाय के बंडल जुलाई, १९६१ में हवाई जहाज द्वारा लंका से लन्दन भेजे गये । इसका यह उद्देश्य था कि प्रयोग किया जाये कि आपातकालीन अवस्था में किस कीमत पर और कितनी जल्दी चाय लंका से ब्रिटेन पहुंच सकती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) हवाई जहाज में चाय भेजना समुद्र द्वारा भेजने से अधिक महंगा रहा है और उसे वर्तमान अवस्था में सामान्य परिवहन का साधन नहीं बनाया जा सकता ।

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद्

†४०४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष के अक्तूबर मास में जो केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी उस में किये गये निर्णय क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक २८ अक्तूबर, १९६१ को नयी दिल्ली में हुई जिस में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का उत्पादन, विद्युत् सम्भरण और कोयला परिवहन इत्यादि समस्याओं के उल्लेख से देश की आर्थिक स्थति का पुनरीक्षण किया गया। परिषद् के सदस्यों ने जो मत प्रकट किये उस को सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही करने के लिए नोट कर लिया गया।

आसाम की औद्योगिक परियोजनायें

†४०५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आसाम तथा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की दृष्टि से आरम्भ की जाने वाली मुख्य परियोजनायें क्या हैं?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनायें :

(१) नहरकटिया उर्वरक फैक्टरी

(२) नूनमती तेल शोधक कारखाना

२. राज्य क्षेत्र परियोजनायें

(अ) पुरानी योजनायें

सीमेन्ट फैक्टरी

काटन स्पिनिंग मिल

स्पन सिल्क मिल

आसाम में प्राकृतिक गैस का वितरण

(ख). नयी परियोजनायें

चीनी मिट्टी के संयंत्र

गैस निकालना और वितरण करने की योजना।

तिब्बती शरणार्थी

†४०६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या प्रधान मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में २००० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का यत्न किया है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की उपपत्तियां क्या हैं;

(ग) क्या इस दिशा में १००० तिब्बती शरणार्थियों को शाहडोल जिले में बसाने की योजना भी बनाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार जो भूमि इस उद्देश्य के लिए दे रही है उसका परीक्षण करने दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार के अधिकारियों का एक दल सरगोजा जिले में जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है और उसने १००० तिब्बती शरणार्थियों के शाहडोल जिले में पुनर्वास के सम्बन्ध में सविस्तार योजना प्रस्तुत कर दी है। योजना की छानबीन की जा रही है। योजना में २०० परिवारों को भूमि अलाट करने की व्यवस्था है। आवास बस्ती, स्कूल, प्रार्थना भवन, अस्पताल, सहकारी केन्द्र, छोटी सिंचाई और जल सम्भरण इत्यादि की भी व्यवस्था है। जैसे भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाती है वैसे उन्हें भी पट्टे पर खेती-बाड़ी के लिये भूमि दी जायेगी। यह भी व्यवस्था की जायेगी कि स बस्ती को अमरकंटक रोड से मिलाने वाली लिंक रोड भी बना दी जाय।

केन्द्रीय सूचना सेवा

४०७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई वेतन दरों के अनुसार केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्मिलित चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की अधिकतम वेतन सीमा क्या है;

(ख) क्या यह वेतन-सीमा स्टैनोग्राफरों के वेतन-क्रम की अधिकतम सीमा से कम है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड में सम्मिलित अधिकांश पत्रकार भारतीय भाषाओं के पत्रकार हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :(क) ४८५·०० पये।

(ख) उपर्युक्त वेतन-सीमा केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा के वेतन-क्रम की अधिकतम सीमा से कम है, परन्तु अधीनस्थ कार्यालयों के स्टैनोग्राफरों के वेतन-क्रम की अधिकतम सीमा से अधिक है।

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड के अधिकांश पत्रकार भारतीय भाषाओं में कार्य करते हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा

४०८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस सेवा के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रेड के वेतन-क्रमों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है ;

(ग) उपरोक्त सेवा के चारों ग्रेडों में अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के कितने कितने पत्रकार किस-किस ग्रेड में नियुक्त किये ग े हैं तथा भाषावार उनकी संख्या क्या है; और

(घ) इस सेवा में नियुक्त अंग्रेजी के पत्रकारों पर और भारतीय भाषाओं के पत्रकारों पर मन्त्रालय को पृथक्-पृथक् कितना वेतन और भत्ते के रूप में खर्च करना पड़ता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ३८९ (इसमें अन्य विभागों, सरकारों इत्यादि में जो २९ प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे भी शामिल हैं)

(ख)

	वेतन-क्रम का आरम्भ	वेतन-क्रम की अन्तिम सीमा
ग्रेड १ . .	७०० पये	१,२५० रुपये
ग्रेड २ . .	४०० पये	९५० पये
ग्रेड ३ . . .	३५० पये	८०० रुपये
ग्रेड ४ . . .	२७० पये	४८५ रुपये

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा १–३–१९६० से आरम्भ की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पिर विभागीय अफ़स ों को नियुक्तियां की गई थीं । ` नियुक्तियां अंग्रेज़ी या भारतीय भाषाओं के आधार पर नहीं की गई थी । इसलि सेवा के आरम्भ में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कार्य करने के लि` नियुक्त पत्रकारों की अलग अलग संख्या देना सम्भव नहीं है। फिर भी एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]** जिसमें केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड १, २, ३ और ४ के पत्रका ों की जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की यूनिटों में कार्य करते हैं, संख्या दी हुई है । जहां तक ग्रेड १, ३ और ४ की मेनटेनेन्स वैकेन्सियों में सीधी भरती का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों के अन्तर्गत एक ारतीय भाषा में लिखित परीक्षा का प्रबन्ध किया गया है । ग्रेड २ में नई भरती केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी १ के लिये संघ लोक सेवा आयोग ारा ली गई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है ।

(घ) १९६१–६२ में केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड १, २, ३ और ४ में अंग्रेज़ी में और भारतीय भाषाओं में कार्य कर रहे अफ़सरों के वेतन और भत्ते के खर्च का अनुमान क्रमशः १६·०३ लाख रुपये और १२.६४ लाख रुप` है ।

पंजाब में कागज उद्योग

†४०९. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतालाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब में कागज उद्योग का विकास करने के लिये कुछ विशेष प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार से वे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

हरोभंगा योजना २.

†४१०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) काया पुनर्वास के लिय हरोभंगा योजना २ को कार्यान्वित करने की प्रस्थापना हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन परिवारों को यहां भूमि दी जायेगी उनकी संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख). हरोभंगा योजना,२ के अन्तर्गत जो कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रस्तुत की है ६०० कृषक परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है। सभी कृषक परिवारों को, जो कि शिविरों में रह रहे हैं, दण्डकारण्य चले जाने के नोटिस दे दिये गये हैं। अतः अब हरोभंगा योजना २ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह योजना है भी लम्बे अर्से की और इसे कार्यान्वित करने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे।

कपड़ा मिलें

†४११. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़ा मिलों के लिये नये तकुओं के लाइसेंस दिये जाने हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात का परीक्षण करेगी कि इन तकुओं का उत्पादन देश में खप जायेगा; और

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : (क) जी नहीं, तीसरी योजना के अन्तर्गत नयी तकुआ-क्षमता के लिये पहिले पहल ३० लाख ० तक के लिये लाइसेंस दिया जायेगा;

(ख) जी नहीं।

(ग) तकुए लगाने के लिये जो मशीनरी आवश्यक है उसका उत्पादन देश में ही उपलब्ध हो सकेगा। बाकी जो भी मशीनरी की आवश्यकता है उसके आयात के लिये विदेशी मूद्रा की कितनी आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाया जा रहा है।

कटंगा में राष्ट्र संघ की सेना के विरुद्ध जेट विमानों का प्रयोग

४१२. श्री विभूति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटंगा की सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के विरुद्ध जेट विमानों को इस्तेमाल किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विमान कटंगा सरकार के थे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्र के थे;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां। यह सच है कि १३ सितम्बर, १९६१ को जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें एक फ्रांस में बने फोंगा मैजिस्टर जेट लड़ाक-प्रशिक्षक हवाई जहाज ने ऐलिज़ाबेथविल, कामीना और जादोतविल की संयुक्त राष्ट्र चौकियों पर नियमित रूप से बम बरसाए।

(ख) यह हवाई जहाज कटंगा सरकार की सेवा में था। हमें यह मालूम नहीं है कि कानूनी तौर पर इसका मालिक कौन था।

(ग) ऊपर लिखी बातों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी, हां। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ उठाया गया है।

(ङ) ऊपर लिखी बातों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर

४१३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के कारखाने को बढ़ाने के लिये वर्ष १९६१ में अब तक मशीनें खरीदने पर कितना व्यय किया गया और उस राशि से कितनी मशीनें मंगाई गयीं; और

(ख) इन मशीनों को लगाने से कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १ अप्रैल, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६१ तक की अवधि में ८·३८ लाख ० के मूल्य की १७ मशीनें खरीदी गईं।

(ख) इन मशीनों के लगाये जाने से उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसका ीक-ठीक पता लगाना सम्भव नहीं है।

राजस्थान का औद्योगिक विकास

†४१४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने कारखाने राजस्थान में बनाये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : तीसरी योजना के अन्तर्गत राजस्थान में स्थापना के लिये ये-ये परियोजनाएं हैं : इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रो मेगनेटिक उपकरणों के निर्माण के लिये शुद्ध मापक यंत्र परियोजना, ११,५०० टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबे का वार्षिक उत्पादन वाली खेतरी-दरीबो परियोजना, पलाना के लिग्नाईट तथा डूंगरपुर के फ्लोरस्पार के विदोहन के लिये राजस्थान खनन निगम परियोजना।

राजस्थान में उर्वरक कारखाना

†४१५. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में स्थापित की जाने वाली उर्वरक फैक्टरी की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेन्स लेने वालों पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर की है ताकि इस परियोजना को चालू की जाय। राज्य सरकार ने ८०० एकड़ भूमि भी सके लिए सुरक्षित रख ली है। इस धरती और स्थान का सर्वेक्षण एक प्रविधिक दल कर रहा है। भारतीय दल और विदेशी सहकारियों में बातचीत अब काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में औद्योगिक प्रदर्शनी

†४१६. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६१ में जो द्वितीय भारतीय उद्योग मेला आरम्भ हुआ है उसमें जिन देशों को भाग लेने के लिए कहा गया उन के नाम और संख्या क्या हैं; और जिन देशों ने उसमें भाग लेना स्वीकार कर लिया उनके नाम और संख्या क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** नवम्बर, १९६१ में आरम्भ होने वाले द्वितीय भारतीय उद्योग मेले में भाग लेने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने ८३ देशों से प्रार्थना की थी। उनमें से १९ देशों ने भाग लेना स्वीकार कर लिया। इस बारे में सम्बद्ध जानकारी के दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२ और ४३]**

चाय उत्पादन

†४१७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष के पहले छः महीनों में दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) इस उत्पादन की कमी के कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). दक्षिण भारत में जनवरी-जून, १९६१ में चाय का उत्पादन ८६४ लाख पौंड था जब कि गत वर्ष की इसी अवधि में उत्पादन ९०६ लाख पौंड था।

(ग) कमी मौसम सम्बन्धी हालात के कारण रही।

अमृतसर की चाय मंडी

†४१८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सितम्बर, १९६१ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में राजनयिक सम्बन्ध बिगड़ जाने से उत्तरी भारत की सब से बड़ी चाय की मंडी में गम्भीर संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अमृतसर से पाकिस्तान के रास्ते अब चाय अफगानिस्तान नहीं जा सकती;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः वहां व्यापारियों को क्या क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने की दिशा में यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मुख्यतः कठिनाई यही है कि अमृतसर से हरी चाय के परिवहन का कोई विकल्प नहीं है जिससे चाय अमृतसर की मंडी से अफगानिस्तान की मंडी में जा सके। इंडियन एयर लाइन्ज़ कारपोरेशन इस दिशा में पूरा प्रयत्न कर रहा है ताकि हवाई रास्ते से चाय अफगानिस्तान ले जाई जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त अफगान सरकार को अरियाना एयरवेज ने भी अमृतसर और काबुल के बीच कुछ हवाई उड़ानों की अतिरिक्त व्यवस्था की है।

कटंगा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्यवाहियां

*४१९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटंगा में जो आक्रमण संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं पर कटंगा की सेना द्वारा किया गया था उसमें कटंगा के अलावा विदेशी सेनाओं का भी हाथ था;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या थे और उन्होंने किस रूप में कटंगा की सेनाओं का साथ दिया;

(ग) इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई पत्र संयक्त राष्ट्र संघ को भेजा है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए कोई भी सूचना नहीं है कि कटंगा में जो सैनिक कार्रवाई हाल में हुई थी, उसके दौरान में संयुक्त राष्ट्र सेना पर कटंगाई दस्तों के हमलों में विदेशी दस्तों ने सहायता पहुंचाई थी। बहरहाल, यह सर्वविदित है कि कटंगा के दस्तों की अफ़सरी विदेशी किराये के टट्टुओं के हाथ में है और विदेशी अफ़सर ही उन्हें सलाह-मशविरा भी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार ये लोग बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया आदि के मूल राष्ट्रक अथवा राष्ट्रिक हैं।

(ग) और (घ). इस वर्ष २१ फरवरी को सुरक्षा परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किया उसका उद्देश्य यह था कि कटंगा की सेना में से ये विदेशी तत्व निकाल बाहर किये जायें। इन दिनों सुरक्षा परिषद् में इस पर बहस चल रही है कि पिछली कार्रवाई के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव को और प्रभावकारी बनाने के लिए कौन से साधन और तरीके अपनाये जायें।

भारत-भूटान सड़क

४२०. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-भूटान सड़क के निर्माण पर अब तक कितना खर्च हुआ है; और

(ख) क्या भूटान सरकार ने भी इस निर्माण-कार्य में कुछ अंशदान किया है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जुलाई, १९६१ के अन्त तक १२५ लाख रुपये।

(ख) जी, हां। भूटान सरकार ने १०,००० मजदूर देने की व्यवस्था की है।

सीमेन्ट उद्योग

†४२१. **श्री सीमजी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेन्ट उद्योग ने कुल मिलाकर वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अलग-अलग कितना सकल मुनाफा कमाया;

(ख) सरकार ने इन वर्षों में सीमेन्ट के उत्पादन-शुल्क के रूप में वर्षवार कितना राजस्व प्राप्त किया; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने इस दौरान सीमेन्ट के विक्रय से कुल कितना मुनाफा वर्षवार कमाया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) सूचना प्राप्य नहीं है। सम्बन्धित कारखानों द्वारा प्रकाशित सीमेन्ट उत्पादकों के संतुलन पत्र सहित प्रतिवेदन से उस काल के प्रत्येक वर्ष में कमाये गये सकल मुनाफे के आंकड़े मिल जाते हैं।

(ख)

वर्ष	वसूला गया राजस्व रु० (०००)	
१९५७–५८	११,१९,४२	रुपये
१९५८–५९	१४,२३ ४८	,,
१९५९–६०	१६,९९,३८	,,
१९६०–६१	१८,०५,४९	,,

(ग) राज्य व्यापार निगम सीमेन्ट के विक्रय से कोई मुनाफ़ा नहीं कमाता। निगम को उसके द्वारा की गई सेवा के लिये सकल क्रय-विक्रय पर $^1/_2$ प्रतिशत मिलता है, जिसकी आधी राशि आवश्यक मात्रा में सीमेन्ट के निर्यात पर होने वाली हानि को पूरा करने के लिये प्रयुक्त की जाती है।

दिल्ली में दूकानों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

†४२२. **श्री कुन्हन : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली की दूकानों के कर्मचारियों ने २९ सितम्बर को मुख्य आयुक्त के निवास स्थान के बाहर एक प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है; और

(घ) उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां। कुछ व्यक्ति मुख्य आयुक्त के निवास-स्थान पर आये थे।

(ख) १. दूकानों के खुलने और बन्द होने के समय की पुनरीक्षित व्यवस्था को शीघ्र ही लागू करना;

२. दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम को दिल्ली के समूचे संघ-क्षेत्र पर लागू करना;

३. त्रिदलीय मजूरी समिति की स्थापना;

---

†मूल अंग्रेजी में

४. चांदनी चौक और कनॉट प्लेस से धारा १४४ हटाना और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर से प्रतिबंध हटाना;

५. दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम में संशोधन करना।

(ग) जी, हां।

(घ) इनमें से पहली और दूसरी मद के सम्बन्ध में किया गया निर्णय पहले घोषित किया जा चुका है। मद ३ में उल्लिखित मजूरी समिति नियुक्त करने का अभी कोई विचार नहीं है। मद ४ में रखे गये सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आदेश लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में है। मद ५ के सम्बन्ध में, अधिनियम को संशोधित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जायेगी।

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का आयात

†४२३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के आयात पर औसतन कितना व्यय किया जाता है; और

(ख) कुल कितनी पत्रिकायें और किन-किन देशों से आयात की जाती है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो) :** (क) मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में औसतन वार्षिक व्यय लगभग १६.७ लाख रुपये रहा है।

(ख) पत्रिकाओं की संख्या का नहीं, भार का हिसाब रखा जाता है। मार्च १९६१ को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में औसतन वार्षिक आयात ३६२ टन हुआ है। मुख्यतया इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, अमरीका, जापान, हांगकांग, ईरान और पाकिस्तान से अयात किया गया है।

कालका जी कालोनी, नई दिल्ली

†४२४. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की कालका जी कालोनी में १९५४–५५ में विस्थापितों को उनके सत्यापित दावों के बदले कुछ प्लाट नीलाम किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने प्लाट नीलाम किये गये थे;

(ग) क्या उसके बाद उनको विकसित करने का काम किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) १४४।

(ग) और (घ). दुर्भाग्यवश उसमें कुछ विलम्ब हो गया। अब विकास-कार्य चल रहा है और उसे शीघ्रता से सम्पन्न करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को तिब्बत ले जाना

†४२५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग उत्तर प्रदेश के सीमा-क्षेत्रों से कुछ भारतीय कार्यकर्त्ताओं को तिब्बत में चीन के पक्ष में प्रचार कराने के लिये ले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई भी समाचार नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोचीन से चाय का निर्यात

†४२६. **श्री प्र० चं० बरूग्रा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से अप्रैल-जुलाई १९६१ के बीच किया गया चाय का निर्यात गतवर्ष के इसी काल की तुलना में कम रहा ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) कोचीन से चाय के निर्यात की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). उस काल में चाय के निर्यात में लगभग ६ लाख पौण्ड की गिरावट आई, इस कारण कि दक्षिण भारत में जुलाई, १९६१ तक चाय की पैदावार ८० लाख पौण्ड कम रही ।

(ग) चूंकि यह गिरावट खराब मौसिम के कारण आई थी, इसलिये उसके सुधार के लिये कुछ भी करना सम्भव नहीं था ।

विदेशी फर्में और समवाय

†४२७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री निम्नलिखित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० तक हमारे देश में कितनी विदेशी फर्में और समवाय व्यवसाय कर रहे थे और उनका व्यवसाय क्या था और वे किस देश की थी ;

(ख) उनमें ५०० से १,००० १००० से १,५००, १५०० से २,००० और २,००० रुपये से अधिक प्रति माह वेतन श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने-कितने भारतीय कर्मचारी काम करते थे; और

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाद्धगत पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त वेतन-श्रेणियों में कितने प्रतिशत भारतीयों की नयी नियुक्तियां हुईं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४] ।

†मूल अंग्रेजी में

चाय निबन्ध प्रतियोगिता

†४२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कुन्नूर और उत्कमण्ड के स्कूली बच्चों के लिये शिशु चाय निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो बच्चों के इस प्रतियोगिता में चाय की क्या मुख्य विशेषतायें बताई हैं; और

(ग) कितने पुरस्कार कुल कितने मूल्य के दिये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां । चाय बोर्ड ने महसूस किया कि दक्षिण भारत की संयुक्त चाय उत्पादक संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक प्रदर्शिनी द्वारा चाय के बारे में पैदा हुई दिलचस्पी का लाभ उठा सकते हैं । उस प्रदर्शनी में कुन्नूर और उटकमण्ड के स्कूल फाइनल कक्षाओं के विद्यार्थियों की एक विशेष निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करके चाय की खेती और उसके वातावरण के बारे में विद्यार्थियों के अपने विचारों का पता लगाया गया था ।

(ख) निबन्ध की मुख्य-मुख्य विशेषतायें थीं :—

(१) चाय बागानों में जीवन का ढंग ;

(२) चाय की खेती और निर्माण; और

(३) देश के लिये विदेशी मुद्रा जुटाने में चाय की स्थिति ।

(ग) एक विद्यार्थी को ५०० रुपये का प्रथम पुरस्कार, दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक को १५० रुपये का द्वितीय पुरस्कार, और दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक को १०० रुपये का तृतीय पुरस्कार । इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने उनका स्कूलों को १००–१०० रुपये के चार पुरस्कार पुस्तकलयों के लिये पुस्तकें खरीदने के लिये दिये जिनके विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते थे । कुल मिला कर पुरस्कारों पर बोर्ड ने १,४०० रुपये खर्च किये थे ।

मेसर्स इंडिया स्टोन लाइम कम्पनी

†४२९. **श्री रामगरीब :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स इण्डिया स्टोन लाइम कम्पनी, सब्जी मण्डी, दिल्ली के पास भारत में कुछ लौह अयस्क खानें हैं ;

(ख) उन खानों में और उनके प्रधान कार्यालय में अलग-अलग कितने मजदूर रखे गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वे मजदूरों की मजदूरी अदा नहीं करते और उनको वैधानिक अधिकारों से वंचित किये हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार वह समवाय अन्त्री बिहारीपुर आइरन और माइन, पोस्ट अंत्रो, पंजाब के नाम से एक लौह अयस्क खान पर लगातार काम चला रही थी, लेकिन वह अप्रैल, १९६१ से बन्द पड़ी है । उस खान में लगभग ३० मजदूर काम कर रहे थे । उस समवाय की एक दूकान दिल्ली में भी है, जिसमें दो कर्मचारी काम करते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). समाचार है कि समवाय को खान मजदूरों का लगभग ५,००० रुपया देना है, जिसकी जल्द ही अदायगी का वायदा किया गया है ।

दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन

†४३०. **श्री प्र० गं० देव:** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूकान संस्थानों को और पहले बन्द करने का निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्रा मार्केट, सब्जी मण्डी में कितने दूकानदारों पर अधिनियम के उल्लंघन के लिये जुर्माने किये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) २५, अक्तूबर, १९६१ से दूकानों और वाणिज्यिक संस्थाओं को बन्द करने का समय क्रमशः ७ और ६ बजे शाम निश्चित किया गया है। २५ अक्तूबर, १९६१ से पहले दूकानों और वाणिज्यिक संस्थानों दोनों ही को बन्द करने का समय जाड़ों में ९ और गर्मियों में १० बजे शाम था ।

(ख) १-१-१९६१ से २५-१०-१९६१ तक, दो दूकानदारों पर ।

दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्ध

†४३१. **श्री प्र० ना० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बनाने के सिलसिले में हमारे वाणिज्यिक दूतों को प्राधिकृत करने के लिये उन सरकारों से कहा है या स्वयं उनके वाणिज्यिक दूतों, को प्राधिकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्राधिकारण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी, नहीं । यह आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली में पार्क और उद्यान

†४३२. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पार्क और उद्यान नई दिल्ली नगरपालिका समिति को सौंप दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने सरकार से ऐसी कोई शिकायत की है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यानिकी विभाग ने नई दिल्ली नगरपालिका समिति को सौंपने से पहले पार्कों और उद्यानों का सौन्दर्य बिगाड़ दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका समिति में हुई चर्चा पर ध्यान दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों के बारे में जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रस्ताव है कि उनको १ दिसम्बर, १९६१ को नई दिल्ली नगरपालिका समिति को सौंपा जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने २४ अक्तूबर, १९६१ को समाचार पत्रों में प्रकाशित एक ऐसा समाचार देखा है ।

(ङ) और (च). जांच करने से पता चला है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की आलोचना निराधार है और नई दिल्ली नगरपालिका समिति को इसकी सूचना दे दी गई है ।

केरल राज्य को आवंटित सीमेंट

†**४३३. श्री कुन्हन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार की गई योजनाओं के निर्माण-कार्यों के लिये राज्य को कितना सीमेन्ट आवंटित किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार को इस वर्ष के शेष काल के लिये सीमेन्ट प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही थी;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य को शीघ्र ही सीमेन्ट दिलाने के लिये सरकार का एक योजना-सलाहकार दिल्ली आया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या प्रबन्ध किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : राज्य की पंच वर्षीय योजना की योजनाओं के लिये भारत सरकार अलग से कोई बंटवारा नहीं करती । हर तिमाही के लिये राज्य सरकार को सीमेन्ट का इकट्ठा आवंटन कर दिया जाता है और योजना की तथा योजना के बाहर की विभिन्न परि-योजनाओं तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर ब्यौरेवार बंटवारा किया जाता है । अप्रैल, १९६१ के बाद से केरल राज्य को १,२८,७०० टन सीमेन्ट आवंटित किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मालूम नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत को फिल्म संस्था

†४३४. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्टूबर में भारत को फिल्म संस्था को सलाहकार समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी और उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही को गई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां।

(ख) उस बैठक में इन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी : प्रतिष्ठान के काम में हुई प्रगति के लेखे जोखे का प्रिन्सिपल द्वारा प्रतिवेदन, संस्था का पेरिस स्थित 'इन्टरनेशनल लायजॉ सेन्टर ऑफ सिनेमा एण्ड टेलोविजन स्कूल' से सम्बद्धीकरण, ध्वनि को रिकार्डिंग और ध्वनि-इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रमों को अवधि और नियमिति पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उम्मीदवारों के चुनाव की प्रक्रिया।

समिति की सिफारिशें थीं :—

(१) संस्था को 'इन्टरनेशनल लायजॉ सेन्टर ऑफ सिनेमा एण्ड टेलीविजन स्कूल', पेरिस से सम्बद्ध किया जाये;

(२) ध्वनि-रिकार्डिंग और ध्वनि-इंजीनियरिंग को पृथक विषय माना जाये, ध्वनि-रिकार्डिंग को दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम बनाया जाये और डिप्लोमाधारी एक वर्ष का ध्वनि इंजीनियरिंग का अतिरिक्त पाठ्यक्रम ले सकें;

(३) संस्था में दाखिले के लिये चुनाव के दौरान लिखित और मौखिक परीक्षायें हों।

(ग) सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आकाशवाणी

†४३५. श्रीमती मैमूना सुल्तान क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ११ अक्टूबर, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में 'मुख्य आकाशवाणी केन्द्र सुनाई नहीं पड़ते' शीर्षक से प्रकाशित सम्पादक के नाम एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कर के यह पता लगाया है कि मुख्य आकाशवाणी केन्द्रों के सुनाई न पड़ने का समाचार कहां तक ठीक है; और

(ग) श्रोताओं को इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क), (ख) और (ग). मामले की जांच की गई है और पत्र में लगाये गये आरोप निराधार सिद्ध हुए हैं । वह पत्र ट्रांसमिशन और वेव-लैन्थ्स की समस्या को गलत समझ पर आधारित था । यह सच है कि अधिकांश बड़े-बड़े केन्द्र स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं, और इतना ही नहीं उनकी अपनी एक विशेषता भी रहती है । उदाहरण के लिये, दिल्ली में जलंधर मीडियम वेव और आसपास के केन्द्र बड़ी स्पष्टता के साथ सुनाई देते हैं ।

इस आरोप का उत्तर दिया जा चुका है और वह २२ अक्तूबर, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हो चुका है, जो यहां संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

दिल्ली में दोमंजिले मकानों का निर्माण

४३६. श्री बजराज मधोक : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मकानों की कमी को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में दोमंजिले अथवा अधिक मंजिल वाले मकान बनाने के पक्ष में है;

(ख) अभी तक किन-किन बस्तियों में दोमंजिले मकान बनाने की अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि बंगाली मार्केट क्षेत्र में रेलवे लाइन के निकट स्थित क्वार्टरों को दो मंजिला बनाने को अनुमति मांगी जा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि यह अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि व्यक्तिगत रूप में कुछ लोगों को यह अनुमति दी गयी है परन्तु अनुमति के साथ दूसरी मंजिल के लिये पट्टे का धन ("लीज़ मनी") दुगने से अधिक कर दिया गया है; और

(च) इस प्रकार "लीज़ मनी" को बढ़ाना कहां तक न्यायसंगत और दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुए उचित है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां, सामान्य रूप से, भूमि की कमी के कारण ।

(ख) सामान्यतया सभी बस्तियों में ।

(ग) हां ।

(घ) नहीं ।

(ङ) और (च). पट्टे के धन (लीज़ मनी) का हिसाब १,२५,००० रुपये प्रति एकड़ के रियायती भूमि मूल्य की दर से सम्बन्धित पट्टाधिकारियों द्वारा ढांपे गये क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) के अनुसार लगाया गया है । यह मूल्य वास्तविक चालू बाजार मूल्य से काफी कम है ।

†मूल अंग्रेजी में

मेसर्स धोरी कोयला कम्पनी लिमिटेड

†४३७. श्री नागो रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स धोरी कोयला कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ने लेखे स्वीकृत कराने और समवाय-पंजोयनकर्ता, पश्चिमी बंगाल के सामने समवाय के १९५१ से १९५८ तक के संतुलन-पत्र पेश करने के लिये समवाय की सामान्य वार्षिक बैठक नहीं बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो समवाय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) समवाय के निदेशक कौन-कौन हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। समवाय और उस के अधिकारियों का दोष है :

(१) कि उन्होंने १९५४ से १९५८ तक समवाय की सामान्य वार्षिक बैठक नहीं बुलाई;

(२) १९५१ से १९५७ तक सामान्य वार्षिक बैठक के सामने संतुलन-पत्र और हानि-लाभ के लेखे प्रस्तुत नहीं किये;

(३) समवाय पंजोयन अधिकारी को १९५१ से १९५७ तक के संतुलन-पत्र और हानि-लाभ के लेखे नहीं दिये ।

(ख) समवाय और उसके अधिकारियों और प्रबन्ध अभिकरण फर्म के साझेदारों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये ।

(ग) समवाय की सब से हाल की, ३० मार्च, १९६१ तक की वार्षिक विवरणी के अनुसार समवाय के निदेशकों के नाम हैं :—

(क) राजा बहादुर वीरेन्द्र बहादुर सिंह

(ख) कुमार भुवन कुमार पाल

(ग) पंडित हरिचरण अवस्थी

(घ) श्री कालिदास कपूर ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा

†४३८. डा० सामन्त सिंहार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा को अनुदानों और ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) ऋण किन शर्तों पर दिये गये और उन पर कितने प्रतिशत ब्याज रखा गया;

(ग) इन ऋणों की कितनी अदायगी हो चुकी है; और

(घ) उक्त बोर्ड की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क का निर्यात

†४३९. { श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१—१९६३ के दौरान ६५/६२ की किस्म के लोह अयस्क की खरीद के लिये राज्य व्यापार निगम और जापानी इस्पात मिलों के बीच निबन्धन और शर्तें तय हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के विशिष्ट विवरण क्या हैं ;

(ग) ६२/६० किस्म के लोह अयस्क की बिक्री के बातचीत का क्या नतीजा निकला है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों को निर्यात कोटा किस अनुपात से दिया गया ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) बातचीत अभी चल रही है ।

(घ) लोह अयस्क का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है । तथा खरीद परिवहन तथा जहाजों में लदान की सुविधाओं को ध्यान में रख कर मिल मालिकों तथा संभरणकर्ताओं से की जाती है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैसूर और आंध्र प्रदेश

†४४०. { श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या **योजना** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर और आंध्र प्रदेश में कुल कितनी राशि, उपयोग की गई, व्यपगत हुई या आगे को जारी रखी गई ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : १९६०-६१ के दौरान विभागीय व्यय के आधार पर द्वितीय योजना के उपबन्ध तथा उन में हुई विशुद्ध राशि और व्यय न हुई राशि को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है । अव्ययीत राशियों के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकारों से मांगी जा रही है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]** ।

शिक्षित बेरोजगार

†४४१. सरदार इकबाल सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में ३१ अक्टूबर १९६१ तक रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में मैट्रिक पास, इन्टरमीडिएट और स्नातक बेकारों की संख्या कितनी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों में से कितनों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) ३०-९-६१ के दिन यह संख्या इस प्रकार थी :

वर्ग	३०-९-६१ के दिन चालू रजिस्टरों में प्रार्थियों की संख्या	जनवरी से सितम्बर १९६१ तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया
१	२	३
मैट्रिक पास	४,९०,१७५	८४,१७९
इन्टर पास	७५,१३७	१२,४७४
स्नातक	५९,६०२	१५,३४२
योग . .	६,२४,९१४	१,१२,३९५

अक्टूबर १९६१ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह जानकारी त्रैमासिक रूप से एकत्र की जाती है ।

पाकिस्तान के राष्ट्रजनों की भारत तथा भारत के राष्ट्रजनों की पाकिस्तान यात्रा

†४४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६१ से ३१ अक्टूबर, १९६१ तक प्रति माह पूर्व तथा पश्चिमी पाकिस्तान के कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की ; और

(ख) उस अवधि में कितने भारतीयों ने पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान की यात्रा की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). अगस्त और सितम्बर १९६१ की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । अक्टूबर १९६१ की जानकारी राज्य सरकारों से मांगी जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७] ।

पंजाब में नारियल जटा की वस्तुओं का उत्पादन

†४४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की उन सहकारी समितियों के नाम क्या क्या हैं जिन्हें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नारियल जटा की वस्तुएं यथा दरवाजे के पायदान और कमरे की चटाइयां इत्यादि बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई तथा उन को कितनी सहायता दी गई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन के द्वारा अब तक बेचे गये कुल उत्पादों की कीमत क्या है ; और

(ग) १९६०-६१ और १९६१-६२ के दौरान चटाई उद्योग के विकास के लिये पंजाब सरकार को अब तक कुल कितनी राशि दी गई ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब की सहकारी समितियों को नारियल जटा की वस्तुओं तथा दरवाजे के पायदान या फर्शों की चटाई इत्यादि बनाने में कोई सहायता नहीं दी गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९६०-६१ में पंजाब को चटाई उद्योग के विकास के लिये कोई राशि नहीं दी गई । तथापि पंजाब सरकार वर्ष १९६१-६२ में हमीरपुर में चटाई व टोकरियों के निर्माण के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ।

पंजाब में रेशम उद्योग

†४४४. सरदार इकबाल सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी योजना के अधीन पंजाब के कृत्रिम रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ; और

(ख) वर्ष १९६०-६१ में इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगार

†४४५. सरदार इकबाल सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से अक्टूबर १९६१ तक पंजाब में पंजीयित मैट्रिक, इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण व स्नातकों में से कितनों को रोजगार मिला ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जनवरी से सितम्बर १९६१ तक की जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ग	जनवरी-सितम्बर १९६१ के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया
(१)	(२)
स्नातक	१,५६७
इन्टर पास	९५६
मैट्रिक पास	८,६९२
योग . . .	११,२१५

†मूल अंग्रेजी में

अक्टूबर १९६१ की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह जानकारी त्रैमासिक रूप से एकत्र की जाती है ।

अनुशासन संहिता का उल्लंघन

†४४६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को जून १९६१ से नवम्बर १९६१ के बीच नियोजकों से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन में श्रमिकों द्वारा अनुशासन संहिता का उल्लंघन किया गया था ; और

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) १ जून १९६१ से ३१ अक्टूबर १९६१ तक सरकार द्वारा कार्यवाही करने के लिये ५८ शिकायतें प्राप्त हुईं ।

(ख) (१) २५ मामलों में जांच करने पर उल्लंघन की शिकायत सिद्ध हो गई तथा इस पर संबंधित पक्षों तथा उन की केन्द्रीय संस्थाओं को इस की सूचना दे दी गई ।

(२) ७ मामलों में दोनों पक्षों को बुला कर समझौता करा दिया गया ।

(३) ७ मामलों में जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

(४) ७ मामले न्याय निर्णयाधीन हैं तथा तत्संबंधी केन्द्रीय संस्थाओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे न्यायालयों के निर्णय प्राप्त होने पर तदनुसार कार्य करें ।

(५) एक मामला राज्य क्षेत्र में होने के कारण तत्सम्बन्धी राज्य के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया गया ।

(६) एक मामले में इस कारण जानकारी नहीं की जा सकी क्योंकि उस श्रमिक ने खान में काम करना छोड़ दिया ।

(७) १० मामले विचाराधीन हैं ।

पंजाब में कारखानों की स्थापना

†४४७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पंजाब की राज्य सरकार के स्थानीय अवस्थाओं के उपयुक्त तथा सरलता से उपलब्ध होने वाले खेती के औजारों के निर्माण के लिये छोटे कारखानों की स्थापना के लिये वितीय और टेकनीकल सहायता दी है ;

(ख) क्या अब तक पंजाब की राज्य सरकार ने कुछ कारखाने स्थापित किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं और कितना उत्पादन करते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**(क) राज्य सरकार की नई तथा पुरानी योजनाओं को अपनी प्रक्रियानुसार मंजूर करने का अधिकार दे दिया गया है, इसमें छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कृषि उपकरणों के निर्माण की योजना भी शामिल है । मंजूर शुदा नियमों के अनुसार, व्यय की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तविक राशि पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त छोटे पैमाने के उद्योग सेवा संस्था तथा पंजाब के बिस्ता केन्द्रों के द्वारा यथासंभव टेक्नीकल सहायता दी जा रही है।

(ख) पंजाब सरकार ने कृषि उपकरणों के निर्माण के लिये कोई नया कारखाना स्थापित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कॉफी की कीमत

†४४८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कॉफ़ी की कीमतें गिर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार करने के क्या प्रयत्न किये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) :** (क) और (ख). १९५९ से राष्ट्रीय बाजार में कहवे की कीमतें गिरने के कारण, भारत में भी काफी की निर्यात कीमतें गिर रही हैं। तथापि जून, १९६१ से कीमतें स्थिर हैं। निर्यात व्यापार में अधिकतम कीमतें प्राप्त करने के लिये, अच्छे किस्म की कॉफी का ही निर्यात किया जाता है और निर्यात बिक्री के लिये जाने वाली कॉफी की सावधानी से जांच कराने के लिये तालिकायें नियुक्त कर दी गई हैं।

देश में कॉफी की कीमतें अत्यधिक रूप से स्थिर रही हैं।

पंजाब में बिना बिका हथकरघ का कपड़ा

†४४९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सहकारी क्षेत्र में बिना बिके हथकरघे के कपड़े का वर्तमान स्टाक कितना है;

(ख) राज्य में बिना बिके हथकरघे के कपड़े के स्टाक को उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लौह अयस्क का निर्यात

†४५०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपत्तनम पत्तन से लौह अयस्क निर्यात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मार्च, से अगस्त, १९६१ तक कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) और (ख). विशाखा पत्तनम से मार्च—अगस्त, १९६१ में ४६,००० टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया था जब कि इसी अवधि में १९६० में यह ६१,२२७ टन था। निर्यात में कमी का कारण कुछ तो परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता है और कुछ सप्लाई सम्बन्धी कठिनाइयां हैं।

निर्यातगृहों की स्थापना

†४५१. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यातगृहों की स्थापना में और क्या प्रगति हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : कुछ सुविधाओं के पूरा होने तक निर्यातगृह के रूप में एक और फर्म को अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई है। मान्यता प्रदान करने के लिये तीन और फर्मों के मामले विचाराधीन है।

पाकिस्तानी पुलिस मैनों द्वारा मछियारों का अपहरण

†४५२. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस मैनों द्वारा अपहृत किये मछियारे और उनके सामान को मुक्त कराने के विषय वर्तमान में किस स्तर पर है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जैसा ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है मछियारों और उनके सामान को छुड़ाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी पाकिस्तान अधिकारियों से बात चीत कर रहा है। अभी उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ

†४५३. सरदार इकबाल सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सरकारी विघटन-संघ (फेडरेशन) से कृषि भवन में स्थित कार्यालयों का किराया वसूल करने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : फैडरेशन ने ३१ अक्तूबर, १९६१ तक सम्पूर्ण बकाया राशि दे दी है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय भू-प्रदेश पर कब्जा

†४५४. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अमरपुर और सबरूम सब-डिवीजन में जलैया के निकटवर्ती क्षेत्र पर पाकिस्तान के कब्जे के बारे में विवाद हल हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क और (ख). जी नहीं । त्रिपुरा प्रशासन और पूर्वी पाकिस्तान सरकार के स्थानीय अधिकारियों का घटनास्थल पर प्रस्तावित मिला-जुला निरीक्षण अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है यद्यपि त्रिपुरा प्रशासन ने उस दिशा में प्रयत्न किये थे । त्रिपुरा प्रशासन अभी इस मामले पर और प्रयत्न कर रही है ।

सूडान के लिये भारतीय टेक्नीशियन

†४५५. सरदार इकबाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान सरकार द्वारा हाल ही में टेक्नीकल सहायता अथवा टेक्नीशियनों की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का क्या स्वरूप है और कितनी सहायता दी गई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क). जी हां ।

(ख) सूडान सरकार ने हाल ही में १२ भारतीय इंजीनियरों के बारे में संविदे की अवधि बढ़ाने के लिये कहा है जो या तो वहां डेपूटेशन पर हैं अथवा उनका पहले ही वहां सेवा के संविदे हैं । भारत सरकार टेक्नीकल कर्मचारियों को ऋण स्वरूप में उपलब्ध करा कर सहायता की आवश्यकता वाले मित्र देशों को टेक्नीकल सहायता दे रहा है । सूडान के सम्बन्ध में भारत सरकार संविदों की अवधि बढ़ाने के लिये सहमत हो गई है बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति इच्छुक हों ।

सूडान सरकार द्वारा न तो आर्थिक सहायता की मांग की गई है और न भारत सरकार ने सहायता दी है ।

औद्योगिक विकास के लिये दिये गये ऋण

†४५६. श्री बांगशी ठाकुर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में किन किन उद्योगों की स्थापना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक ऋण दिये गये हैं ;

(ख) उपरोक्त अभिप्राय के लिये कितनी रकम दी गई है ; और

(ग) त्रिपुरा में अभी तक कौन से उद्योग स्थापित हुये हैं अथवा समृद्धिपूर्वक आयोजित हो रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सन्निहित है ।

विवरण

(क) और (ख). हस्तकला रेशम उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये त्रिपुरा में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ६.४६ लाख रुपये और १९६१–६२ के लिये २.२५ लाख रुपये ब्लाक ऋण

†मूल अंग्रेजी में

के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। हस्तकला उद्योग के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १.६० लाख रुपये और १९६१-६२ के लिये ०.६५ लाख रुपये और स्वीकार किये गये हैं। उनके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने खादी और ग्रामोद्योग विकास के लिये सारवान रकम ऋण के रूप में स्वीकृत की है।

(ग) अभी तक त्रिपुरा में निम्न उद्योग स्थापित किये गये हैं और स्थानीय स्थितियों को देखते हुये उन उद्योगों की प्रगति सन्तोषजनक कही जा सकती है :—

(१) हथ करघा उद्योग

(२) हस्तकला उद्योग

(३) रेशम उद्योग

(४) छोटे पैमाने के उद्योग

(५) खादी और ग्रामोद्योग

सूती कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य-करार दल

†४५७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र के बारे में समझौता करने के लिये व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार दल की अक्तूबर, १९६१ में जेनेवा में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कांफ्रेंस की क्या क्या सिफारिशें हैं और क्या भारतीय सूती वस्त्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो)**: (क) और (ख). जुलाई, १९६१ के जेनेवा समझौते के अनुसार एक अस्थायी सूती वस्त्र समिति की स्थापना का विचार किया गया था जो सूती वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं के हल के लिये दूरगामी सिफारिशें करेगी। इस समिति ने अपने प्रथम सत्र को अभी अभी पूरा किया है। चूंकि समिति की सिफारिशें अभी होना शेष है यह कहना अभी समय से पूर्व होगा कि क्या हमारे सूती वस्त्र उद्योग पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

कास्टिक सोडा

४५८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कास्टिक सोडा निर्यात करने और बेचने के लिये राज्य व्यापार निगम ने क्या योजना बनाई है ; और

(ख) कास्टिक सोडा के निर्यात मूल्य तथा बाजार-भाव में क्या अन्तर रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कास्टिक सोडा का निर्यात करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने कोई योजना नहीं बनाई है। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये कास्टिक सोडे का वितरण सरकार के निर्देशों के अनुसार एजेंटों के द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोही

४५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में विद्रोही नागाओं द्वारा कितने व्यक्ति अपहृत तथा हताहत किये गये ; और

(ख) इसी अवधि में लूट और अग्निकाँण्ड की कितनी घटनायें विद्रोही नागाओं द्वारा की गईं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). सदन की मेज पर एक ब्यौरा रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

घड़ियों का निर्माण

†४६०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित लुधियाना रिस्ट वाच फैक्टरी ने ७५,००० घड़ियां प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह उत्पादन क्षमता कब तक सम्पन्न हो जायगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) .सरकार ने हाल ही में छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में पश्चिम जर्मन फर्म के सहयोग से चार लुधियाना कीफ र्मों द्वारा मिले-जुले रूप में घड़ियां निर्माण करने की योजना हाल ही में स्वीकार की है। इन चारों फर्मों की सम्बद्ध उत्पादन क्षमता लगभग ७२,००० घड़ियां प्रति वर्ष होगी। घड़ियों का उत्पादन अगले वर्ष प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोली चलाना

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री तंगामणि ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। उस में कहा गया है कि आज के "स्टेट्समैन" ने पृष्ठ ४ पर प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के एक समाचार के अनुसार कारवार के निकट बम्बई-कोचीन स्टीमर, एस० एस० साबरमती पर पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा की गई कथित गोलीबारी पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता है।

क्या इस समाचार में कोई सचाई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** हमें इस के बारे में थोड़ी सूचना मिली है। अधिक ब्यौरेवार रिपोर्ट अभी आने को है। हमारी सूचना है कि १७ नवम्बर को एस० एस० साबरमती पुर्तगाली द्वीप अंजिदिव के पास से कारवार के दक्षिण में आधा मील दूर पर, बम्बई से कोचीन जा रहा था। उस द्वीप में कुछ पुर्तगाली सेना थी और द्वीप से चलाई गई राइफलों की कुछ गोलियां स्टीमर में लगीं। एक गोली स्टीमर से फिसलती हुई, स्टीमर के द्वितीय इंजीनियर

---

†मूल अंग्रेजी में

को लगी। चोट हल्की थी और स्टीमर के डाक्टर ने उस की चिकित्सा कर दी। अभी तक इतनी ही सूचना मिली है। अभी मामले की जांच हो रही है और पूरी रिपोर्ट बाद में हमारे पास आयेगी।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या कोई विरोध-पत्र भेजा गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने अभी बताया कि पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : ये यात्री नौकायें सदा उसी मार्ग से जाती हैं। क्या सुरक्षा टुकड़ी भेजने का कोई प्रबन्ध किया जाता है ? .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं। परन्तु मुझे यकीन है कि कोई सुरक्षा-टुकड़ी नहीं रहती। ऐसे मौकों पर सुरक्षा-टुकड़ी भेजना बड़ा बेमतलब सा लगता है। ऐसी गोली-बारी अभी पहली ही बार की गई है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। और अगर सुरक्षा-टुकड़ी होती भी, तो वहां करती क्या ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : क्या हम यह समझें कि पुर्तगाली अधिकारी सारी अन्तर्राष्ट्रीय विधियों को धता बता कर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हमारे बीच कोई बड़ी भारी लड़ाई छिड़ी हुई हो ? और यदि ऐसा है, तो हम उस के बारे में क्या कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसा समझने का कोई कारण तो नहीं दिखता।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समाचार से भी तो यह प्रकट नहीं होता कि ऐसी कोई गम्भीर बात है। माननीय मंत्री को अधिक ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त कर लेने दीजिये। यदि ऐसी कोई आशंका होगी, तो हम अवश्य ही उस पर चर्चा करेंगे। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : फिर भी क्या हम इस गोलीबारी को "इतनी बड़ी चीज़ नहीं है" कह सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा मतलब यह नहीं कि यह मामला इतना बड़ा नहीं है। मैं ने तो सुरक्षा-टुकड़ी भेजने की बात के सिलसिले में ऐसा कहा था कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि सुरक्षा-टुकड़ी भेजी जाती। वैसे यह मामला तो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से, और अन्य रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस के बारे में अधिक ब्यौरेवार सूचना इकट्ठी करेंगे। इसलिये अभी इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं।

विवरण में शुद्धि

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** म, श्री के० दे० मालवीय की ओर से, लोक-सभा में २०-११-६१ को रखे गये उन के विवरण **[संख्या एल० टी० ३२८५/६१]** में निम्नलिखित शुद्धि करना चाहता हूं :—

परा ८ में,

"(१) २४-५-६१ और १-११-५९ के घोषित मूल्यों के वास्तविक अन्तर के कारण ४.८९ करोड़ रुपये" **के स्थान पर पढ़िये**" (१) २४-५-६१ और १-११-५९

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा]

के घोषित मूल्यों के वास्तविक अन्तर के कारण ४.८९ करोड़ रुपये, जिस में से इसी आधार पर १५-४-६१ से मिट्टी के तेल (घटिया और बढ़िया) तथा विमान टरबाइन ईंधन पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की मद में वसूले गये २.३६ करोड़ रुपये घटाये गये ।"

उप-पैरा (२) में,

"६.६४ करोड़ रुपये" के स्थान पर पढ़िये "६.५४ करोड़ रुपये ।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कॉफी (चतुर्थ संशोधन) नियम, १९६१ और समवाय (केंद्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (तृतीय संशोधन) नियम, १९६१

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) कॉफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३४ में प्रकाशित कॉफी (चतुर्थ संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०५ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (तृतीय संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—३३२४/६१ और एल० टी०—३३२५/६१]

टिटैनियम डाइआक्साइड उद्योग और विद्युत् मोटर उद्योग और नमक (रक्षित भंडार) संशोधन आदेश १९६१ के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९६१)

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) टिटैनियम डाइआक्साइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(ख) दिनांक ८ सितम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ८ (१) टी० आर०/६१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी इस के कारण बताने वाला विवरण ।

(घ) विद्युत् मोटर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(ङ) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ११(१)-टी० आर०/६१ ।

(च) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६१ की सरकारी अधिसूचना संख्या ११(१)-टी० आर०/६१ ।

(छ) उपरोक्त (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इस के कारण बताने वाला विवरण ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३२ में प्रकाशित नमक (रक्षित भंडार) (संशोधन) आदेश, १९६१ की प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०-३३२६/६१, ३३२७/६१, और ३३२८/६१ ।]

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१

†आवास, निर्माण और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : मैं सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) एक्ट, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७९ में प्रकाशित सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३०९४/६१]

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दसवें सत्र के मुख्य निष्कर्ष

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं २१ सितम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में हुए बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दसवें सत्र के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३२९/६१]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय

†श्री मनुभाई शाह : मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों के विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३३०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या यह सही है कि इस सत्र को ८ दिसम्बर तक ही चलाने का निर्णय किया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है । यह सत्र १५ तक रखा गया था । यदि सभा में कार्य नहीं होगा, तो पहले भी समाप्त हो सकता है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच है कि लद्दाख के बारे में चर्चा २८ नवम्बर को न हो कर अब ४ दिसम्बर को होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पहले २८ की तिथि रखी गयी थी । मैं ने उसे मान लिया था । बाद में, संसद्-कार्य मंत्री मेरे पास आये और कहने लगे कि दूसरी कोई तिथि ज्यादा ठीक रहेगी। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहली और दूसरी को दिल्ली से बाहर रहूंगा । उस के बाद सभा को जब भी सुविधा हो, चर्चा रखी जा सकती है ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज़फ्फरपुर) : हम ने प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य को देख कर ही वह सुझाव रखा था । इसीलिये हम उसे स्थगित करना चाहते थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभा जैसा भी तय करे। मेरा यही ख्याल था कि स्थगित करना ठीक रहेगा। उस स्थिति में, यह शायद अधिक उपयोगी रहेगा कि मैं उस से पहले अपना वक्तव्य दे दूं, जिस से कि माननीय सदस्यों को उस पर चर्चा करने में आसानी रहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : लद्दाख के सम्बन्ध में चर्चा ४ दिसम्बर को ठीक रहेगी। इसी बीच मैं माननीय प्रधान मंत्री पटल पर अपना वक्तव्य रख दें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मझे इस के बारे में केवल वक्तव्य नहीं देना है, बल्कि इस के बारे में हुई लिखापढ़ी को भी आप के सामने रखना है । हम कोशिश करेंगे कि तब तक सब कुछ तैयार हो जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भट्टाचार्य के मामले पर चर्चा पूर्व-निश्चित तिथि, २९ को ही रहेगी ।

राज्य उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं श्री क० च० रेड्डी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दोनों सभाओं की एक संयक्त समिति, जो राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहलायेगी और जिसमें पन्द्रह सदस्य, इस सभा के दस और राज्य सभा के पांच सदस्य होंगे, जो प्रत्येक सभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जायेंगे, बनायी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखे की जांच करना ;

(ख) राज्य उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के प्रकरण में इस बात की जांच करना कि क्या राज्य उपक्रमों का काम उत्तम व्यापारिक सिद्धांतों और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार किया जा रहा है ।

परन्तु समिति निम्नलिखित विषयों में से किसी की जांच अथवा अनुसन्धान नहीं करेगी, अर्थात् :—

(१) राज्य उपक्रमों के व्यापारिक अथवा व्यावसायिक कृत्यों से अलग मुख्य सरकारी नीति सम्बन्धी मामले।

(२) दैनिक प्रशासन के मामले।

(३) मजदूरी, रोजगार की शर्तें और अन्य प्रश्नों सम्बन्धी मामले, जो साधारणतया नियोजक और कर्मचारियों के बीच समझौते द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त व्यवस्था द्वारा तय किये गये हों।

(४) ऐसे मामले, जिन पर विचार करने के लिये किसी विशेष संविधि द्वारा जिस के अन्तर्गत वह राज्य उपक्रम स्थापित किया गया हो, कोई व्यवस्था स्थापित की गई हो ।

अनुसूची के भाग ३ में निर्दिष्ट राज्य उपक्रमों के बारे में समिति कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनायेगी अथवा उस का अनुसरण नहीं करेगी, जो उस की सुरक्षा के हित के अनुकूल न हो।

(३) कि संयुक्त समिति को व्यक्तियों को, बुलाने, पत्रों और दस्तावेजों को मंगवाने (सिवाय इस के कि वह ऐसा साक्ष्य बुलाया पत्र अथवा दस्तावेज मंगवा नहीं सकेगी जिसे सम्बन्धित मंत्री ने गोपनीय बताया हो और जिन्हें बताना लोकहित के विरूद्ध हो) और साक्षियों का परीक्षण करने की शक्ति होगी, परन्तु शर्त यह है कि वह परीक्षण सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये और उक्त प्रतिनिधियों को साक्षियों से प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये ।

(४) कि संयुक्त समिति, समय-समय पर, संसद् की दोनों सभाओं की उपरोक्त सभी विषयों अथवा किसी एक विषय के बारे में रिपोर्ट देगी।

(५) कि संयुक्त समिति के गठन के बाद लोक-सभा की प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य उपक्रमों के बारे में अपने कृत्य करना बन्द कर देगी ।

(६) कि संयुक्त समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

परन्तु यदि संयुक्त समिति का कोई सदस्य उक्त तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व संसद् का सदस्य न रहे तो वह संयुक्त समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(७) कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति पांच होगी ।

(८) कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें ।

[श्री मनूभाई शाह]

(६) कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किया जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

अनुसूची

राज्य उपक्रमों की सूची

भाग—१

(केंद्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित राज्य-उपक्रम)

१. दामोदर घाटी निगम

२. औद्योगिक वित्त निगम

३. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

४. एयर इंडिया इंटरनेशनल

५. जीवन बीमा निगम

६. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

७. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

भाग—२

(राज्य उपक्रम, जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सरकारी कम्पनियां हैं)

प्रत्येक सरकारी समवाय, जिस का वार्षिक प्रतिवेदन समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत संसद् की सभाओं के सामने रखा जाता है, उन राज्य उपक्रमों के अतिरिक्त, जो इस के भाग ३ में सम्मिलित हैं ।

भाग—३

१. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर

२. भारत इलेक्ट्रोनिक्स, लिमिटेड, बंगलौर

३. मांजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई

४. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ।

†**श्री मौरीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : एक औचित्य प्रश्न है । यह प्रस्ताव नियम-बाह्य है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पहले सभा को माननीय मंत्री के विचार इस के बारे में सुन लेने दीजिये । प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद ही उस के नियम-बाह्य होने या न होने पर चर्चा की जा सकेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रस्ताव है । इसलिये कि देश में सरकारी क्षेत्र की स्थापना के बाद से सरकारी उपक्रमों की संख्या और उन का आकार काफी बढ़ चुका है और दिन-दिन बढ़ता जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

कुछ वर्ष पहले अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ही यह सुझाव रखा था कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के लिये दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति बनानी चाहिये । इस विषय के विशेषज्ञों ने भी इस सुझाव का समर्थन किया है । इंगलैण्ड की कामन्स सभा ने एक ऐसी समिति नियुक्त की भी थी ।

इंगलैण्ड में कामन्स सभा ने १६ मार्च, १९५५ को ऐसी एक प्रथम-प्रवर समिति नियुक्त की थी । किसी भी मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की जांच करना । उस प्रथम प्रवर समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था । समिति के पद-निर्देशों से यह स्पष्ट है ।

परन्तु बाद में महसूस किया गया कि समिति के पद-निर्देश अत्यन्त सीमित से हो गये हैं । इसलिये कि किसी मामले को मंत्रालय के अधीन बताया जा सकता था । उस की मनमानी व्याख्या की जा सकती थी ।

इसलिये एक-डेढ़ वर्ष के अनुभव के बाद, उन को समिति के पद-निर्देशों में परिवर्तन करना पड़ा था । उस के लिये श्री बटलर ने कामन्स सभा में ३० नवम्बर, १९५६ को एक दूसरा संशोधन प्रस्ताव रखा था ।

इंगलैंड के उस अनुभव के बाद, हमने अपने इस प्रस्ताव के खंड २ में चार ऐसी मदें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की हैं, जो सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। हमें कामन्स सभा की प्रवर समिति द्वारा निश्चित सीमाओं और इस प्रस्ताव द्वारा निश्चित सीमाओं का अन्तर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये । हमने कामन्स सभा की भांति, इसमें वह व्यवस्था नहीं की है कि मंत्रियों के दायित्व के अधीन आने वाले विषयों पर सभा विचार नहीं कर सकेगी । वह बड़ा व्यापक प्रतिबन्धन था । उसके स्थान पर हमने चार मदें स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दी हैं । और, वे चारों मदें वही हैं जिन पर हम सभी सहमत होंगे कि समिति को विचार नहीं करना चाहिये, जैसे कि मुख्य सरकारी नीति, देश की बुनियादी नीति ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : वह कौन निश्चित करेगा कि कोई मामला बुनियादी नीति से ताल्लुक रखता है अथवा नित्य-प्रति के प्रशासन से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य नीति विषयक मामले के बारे में अधिक मतभेद नहीं हो सकता । यदि हम मंत्रालयों के दायित्व की बात रखते, तो कहीं अधिक मतभेद की गुंजाइश रहती । इसका निर्णय करने में कोई अधिक कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुख्य सरकारी नीति की परिभाषा आखिर क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन शब्दों को तो सभी समझते हैं । यदि हम केवल सरकारी नीति कह कर रह जाते, तो उसकी तरह-तरह की व्याख्यायें की जा सकती थीं । इसी लिये हमने मुख्य सरकारी नीति' कहा है । सभी समझते हैं कि उपक्रमों के नित्य-प्रति के प्रशासन, उनके आय-व्यय सम्बन्धी मामलों, उनकी देयताओं और दायित्वों के प्रश्न मुख्य सरकारी नीति में नहीं आते । इस लिये इसमें उलझनें पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । और यदि, कोई मतभेद खड़ा हो भी जाये, तो महान्यायवादी से परामर्श लिया जा सकता है ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : इसका निर्णय समिति के सभापति पर क्यों न छोड़ दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सभापति पर भी इसका निर्णय छोड़ा जा सकता है और यदि सभापति चाहे तो मामला अध्यक्ष महोदय के सामने रखा जा सकता है। सभा से सम्बन्धित सभी मामलों में अन्तिम निर्णयक अध्यक्ष महोंदय ही हैं। मैं आप को बता रहा हूं कि हमने अप इस प्रस्ताव को किस प्रकार और क्यों इंगलैंड की कामन्स सभा के प्रस्ताव से भिन्न रूप दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमने भिन्न प्रकार के पद-निर्देश क्यों रखे हैं।

पहला कारण तो यह कि इंगलैंड या किसी भी अन्य देश के सरकारी उपक्रमों का आकार उनसे सम्बन्धित सरकारी नीति हमारे देश से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। हमारी बुनियादी नीति भी उन से भिन्न है। हमारा उद्देश्य तो समाजवादी ढंग का समाज बनाना है। हम उत्पादन को सामुदायिक दायित्व मानते हैं। और चूंकि हमारी योजनायें आगे ब ती जा रही हैं इस लिये समिति का कार्य भी दिन-दिन बढ़ता ही जायेगा।

सभा में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि सरकारी उपक्रमों को यथासंभव स्वायत्तता प्रदान की जाये। जिससे कि सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले अधिकारियों को यथा संभव स्वायत्तता प्राप्त हो तथा वह लोक सभा के प्रति अपने दायित्व का पूरी तरह पालन करते हुये निर्विघ्न सुचारु रूप से कार्य कर सकें और सरकारी उपक्रम की लाभकारिता में भी किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

विशेषत: इसी दृष्टि से हमने कुछ बातों को उल्लिखित करने का प्रयत्न किया है। मैं स सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में दूसरी समिति किस प्रकार से नियुक्त की गई। ३० नवम्बर, १९५६ को श्री आ० ए० बटलर ने एक प्रस्ताव पुरस्थापित किया। अपने स्ताव को प्रस्तुत करते हु उन्होंने यह कहा कि यह समिति रोजमर्रा प्रशासन के काम करने की अवस्थायें अथवा नियोजन और मजदूरों के बीच विवादों से सम्बन्ध नहीं रखेगी। इस प्रकार ब्रिटेन के संशोधित प्रस्ताव में इस विषय को पर्याप्त व्यापक रखा गया है। यहां यह प्रयत्न किया गया है कि समिति के प्राधिकारों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना उसके कर्तव्यों को अधिक स्पष्टता से उल्लेख किया जाये हमने चार मदों को समिति के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल पृथक कर दिया है। हमने निर्देश पदों को यथासंभव स्पष्ट किन्तु उदार रखने का प्रयत्न किया है।

हाऊस आफ कामन्स में उक्त समिति के नियुक्त होने के पश्चात् उन उपक्रमों की स्वायत्तता के सम्बन्ध में पर्याप्त अध्ययन किया गया है। मैंने सभा पटल पर आज प्रात: काल ही इन उपक्रमों पर सरकार के निर्णयों की प्रतिलिपि रखी है। सभा इस बात से सहमत होगी कि हमने इन निर्णयों द्वारा इन उप मों की स्वायत्तता को विस्तृत करने का पूरा प्रयत्न किया है। उन्हें पूंजी व्यय के लिये तथा नये स्थान तथा नयी नियुक्तियां करने के लिये अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रकार उन्हें केन्द्रीय सरकार तथा मंत्रालयों से अधिकतम वि न्द्रित प्राधिकार प्राप्त हो गये हैं।

एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी की गयी है कि किसी मंत्रालय अथवा विभाग का सचिव प्रबन्धक बोर्ड का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ऐसे उपक्रमों में सरकार कम से कम सदस्य मनोनीत करेगी। संयुक्त समिति नियुक्त करने के अलावा और भी कई ऐसी कार्यवाहियां की गयी हैं जिससे कि संसद के प्रति उनकी उत्तर दायिता पर किसी प्रकार का आघात हुये बिना सरकारी उपक्रमों का कार्य सुचा रूप से चलता रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि बोर्ड का अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक पूरे समय काम करने वाले सवेतनिक सरकारी कर्मचारी होंगे। कोई गैर सरकारी व्यक्ति पूरे समय काम करने वाला प्रबन्धक व्यवस्थापक नहीं रहेगा।

सभा में कई बार यह भावना व्यक्त की गई है कि संसद के सदस्यों को निदेशक बोर्डों में नियुक्त न किया जाये। दूसरे देशों की प्रथा को देखते हुये यह बात उपयुक्त समझी गयी कि संसद् सदस्यों को प्रबन्धक बोर्ड में न लिया जाये तथा प्रबन्धक बोर्ड में निदेशक या अध्यक्ष के रूप में सरकारी कर्मचारी ही नियुक्त किये जायेंगे। ऐसे छोटे उपक्रमों में जिनमें बोर्ड का अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक दोनों ही पूरे समय काम करने वाले नियुक्त नहीं हो सकते हैं वहां कम से कम इन दोनों में से एक पूरे समय काम करने वाला सरकारी कर्मचारी होगा।

तथापि हमने यह उपबन्ध किया है कि आंशिक समय काम करने वाले गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किये जा सकें। यह उपबन्ध विशेषत: ऐसे उपक्रमों के लिये किया गया है जहां कि पूरे समय काम करने वाले निदेशकों की आवश्यकता नहीं है। इस से हम आंशिक समय काम करने वाले गैर सरकारी निदेशकों के अनुभव और ज्ञान से लाभ उठा सकेंगे।

तथापि सरकार को यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों से उचित अनुभवी आदमियों को नियुक्त कर सकें। इसके साथ साथ सरकारी उपक्रमों में उच्च-स्तरीय प्रबन्धक पदालि के निर्माण का भी प्रयत्न किया जाये जिस से कि अपेक्षाकृत अधिक लोग निदेशक बनने की अर्हता प्राप्त कर सकें। इसके फलस्वरूप अनुभवी तथा प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त होने पर हमें निदेशक बोर्डों में अधिकाधिक पूरे समय काम करने वाले व्यक्ति प्राप्त हो सकेंगे।

गैर सरकारी निदेशकों के सम्बन्ध में हमारी यह नीति है कि यदि वह पूरे समय काम करे तो उसे व्यापार के साथ अपने संबंध विच्छेद करने होंगे। सरकारी उपक्रमों में पूरे समय काम करने वाला निदेशक होने के पूर्व उसे गैरसरकारी क्षेत्र से अपने सम्बन्ध विच्छेद करने होंगे। हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि इन बोर्डों के गठन में भी एकरूपता रहे।

†**अध्यक्ष महोदय:** यदि कोई व्यक्ति अपना पद अपने बेटे को देकर प्रबन्धक निदेशक बनने को तैयार हो तो सरकार क्या करेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार का विभेद करना ठीक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी समस्त प्रतिमा हमें समर्पित करता है और यदि वह व्यक्ति ईमानदार और योग्य है तो हमें उसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये। हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों ही हैं। इसी प्रकार आंशिक समय काम करने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उनके अपने व्यापार और सरकारी उपक्रम के कार्य में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं पैदा होना चाहिये। स प्रकार के संघर्षों की संभावना पर पूरा ध्यान दिया जाये तथा ऐसे प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे। इस प्रकार इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गयी है।

यदि इस समिति में कोई मतभेद उत्पन्न होगा तो अध्यक्ष इसका निर्णय कर सकता है। आप स्वयं इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा कार्य इस समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन है और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

कौन सा नहीं । मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि अनुभवों के आधार पर संयुक्त समिति में आवश्यक परिवर्तन और रूपभेद किये जायेंगे तथा इसके निर्देश पदों को भी अधिक स्पष्ट बनाया जायगा।

यद्यपि समिति का निर्देश पद अन्य देशों में नियुक्त की गयी इस प्रकार की समितियों की अपेक्षा अधिक व्यापक है, तथापि हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायत्तता यथासंभव बनी रहे जिससे कि हमारे विकासशील सरकारी उपक्रम के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावटें पैदा न होने पावें ।

इसके अतिरिक्त इसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करने आवश्यक हैं जिनके लिये मैं बाद में एक संशोधन रखूगा । त्रुटि इस प्रकार है कि यह कहा गया है कि संयुक्त समिति लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की भी जांच करेगी । मैं इस संशोधन को उपयुक्त समय पर प्रस्तुत करूंगा ।

मैं अनुसूची के तीनों भागों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं भी इस बात की जिज्ञासा की जा सकती है कि विभिन्न उपक्रमों को तीन भागों में क्यों बांटा गया ।

पहिले भाग में वे सरकारी उपक्रम हैं जिनको इस सभा ने, उनके स्वरूप की विशेषता के कारण काफी व्यापक शक्तिया दी हैं । इन्हें पृथक श्रेणी में रखा गया है ।

दूसरे खंड में वे राज्य उपक्रम हैं जिन्हें समवाय अधिनियम के अधीन निर्मित किया गया । अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि कि समवाय के प्रकार का संगठन सब से उपयुक्त होता है और इसमें उनकी सरकार के प्रति उत्तरदायित्व भी बनी रहती है । हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षा अधिमान्यता का बर्ताव किया जाये । अतः सरकारी क्षेत्र के सभी समवायों को भारतीय समवाय अधिनियम के भाग २ के अधीन समवाय पंजीयित किया गया है ।

भाग ३ में वे चार उपक्रम हैं जिन के जांच के सम्बन्ध में सुरक्षा के कारणों से विशेष व्यवस्था की गयी है । ये चार उपक्रम इस प्रकार हैं : हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, मांजेगांव डाक्स लिमिटेड और गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड । इन का नियंत्रण प्रतिरक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है । इन के उत्पादन में शस्त्र और अन्य सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री भी आ जाती है ।

इस बात का प्रयत्न किया गया है कि खंड ३ में कम से कम उपक्रम रखे जायें । राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस पर कुछ अधिक प्रतिबन्ध रखे गये हैं । अतः यह वर्गीकरण उपक्रमों के स्वरूप की दृष्टि से रखा गया है ।

जहां तक इस समिति में सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है हम ने यह निश्चय किया कि एक बड़ी समिति की अपेक्षा छोटी समिति अधिक उचित होगी। हमारे दृष्टिकोण से १० सदस्य लोकसभा से और ५ सदस्य राज्य सभा से उपयुक्त होंगे ।

खंड ३ में यह उपबन्ध रखा गया है कि समिति को बाहरी व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार होगा । वस्तुतः इस बात का उल्लेख कार्य संचालन नियमों में भी कर दिया गया है । स में यह परन्तुक रखा गया है कि :

"इस प्रकार का परीक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सामने होगा तथा उस प्रतिनिधि को साक्षी से प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार दे दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में परम्परा यह है कि जब कभी इस प्रकार की उच्चस्तरीय जांच होती है तो मंत्रालय के प्रतिनिधि को इस बात की पूर्व सूचना या निमंत्रण दिया जाता है कि वह साक्षी द्वारा दिया जाने वाला साक्ष्य सुनने को उपस्थित रहे ।"

यदि कोई विशेषज्ञ कोई वक्तव्य देता है तो निश्चय ही सरकार का प्रतिनिधि यह जानना चाहेगा कि यह वक्तव्य किस सीमा तक सही है जिस से कि समिति इस सम्बन्ध में सही निर्णय कर सके । यह आवश्यक समझा गया है कि उचित जांच होने के लिये यह आवश्यक है कि समिति को दोनों ओर के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हो । इस कारण यह प्रक्रिया विहित की गई है कि मंत्रालय के प्रतिनिधियों को वहां उपस्थित होने के लिये निमंत्रित किया जायेगा और वे अध्यक्ष की अनुमति से उस से प्रश्न पूछ सकते हैं । निःसन्देह वह अपने को संसद् के सदस्यों की स्थिति में नहीं रख सकते हैं । वस्तुतः वे केवल प्रेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे और साक्षियों के साक्ष्य को सुनेंगे । हमारा उद्देश्य इस से केवल यही है कि इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्रकाश में आ सके तथा सदस्यों को एक ऐसे व्यक्ति से सहायता मिल सके जिसे विभाग या मंत्रालय भेजना उचित समझे ; जिस का यह फल होगा कि साक्ष्य एकपक्षीय नहीं रहेगा । तथापि मैं इस बात का निश्चय सभा और सदस्यों के ऊपर छोड़ता हूं ।

इस में अग्रेतर संशोधन भी किया जा सकता है । हम मंत्रालय के प्रतिनिधि या साक्षी को संसद् सदस्यों के समान शक्तियां नहीं देना चाहते हैं । वस्तुतः मंत्रालय के प्रतिनिधि केवल प्रेक्षकों के रूप में रखेंगे । यदि कोई प्रश्न पूछना होगा तो उसे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही पूछा जायेगा।

मैं ने सरकार के अभिप्राय तथा अनुभव प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के आधार पर खंडवार इस प्रस्ताव पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । इस सम्बन्ध में लोक प्रशासन संस्था ने भी एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । स सम्बन्ध में कांग्रेस समिति द्वारा नियुक्त मेनन समिति का भी प्रतिवेदन प्रस्तुत है जिसे तत्पश्चात् सरकार को भेजा गया था । इस सम्बन्ध में रोबसन और गोलब्रैथ के प्रतिवेदन भी हैं । इस प्रकार कुल प्रतिवेदनों की संख्या १५ से २० तक है । उक्त सभी प्रतिवेदनों के आधार पर हम ने इस प्रस्ताव को रखा है । इस से अनुसूची १, २ और ३ में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर विशेषज्ञों और संसद् सदस्यों की राय गट हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा यविचार है कि खंड ५ के कारण यह प्रस्ताव नियमबाह्य है । खंड ५ में यह कहा गया है कि संयुक्त समिति के निर्माण के पश्चात् प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का अधिकार क्षेत्र इस अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों पर नहीं रहेगा । प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम ३०८ के अधीन इन समितियों के कर्तव्य उल्लिखित कर दिये गये हैं । नियम संख्या ३३१ के अधीन इन नियमों में केवल ३२९, ३३० और ३३१ में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही परिवर्तन हो सकता है । अतः सरकार को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

द्वारा वह प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के अधिकारों पर आघात कर रहे हैं जिस का उन्हें अधिकार नहीं है । इसलिये यह सारा प्रस्ताव नियमबाह्य है ।

श्री मनुभाई शाह : मैं इस समिति की स्थापना के संबंध में सारी पृष्ठभूमि बता चुका हूं । इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पश्चात् ही नियमों के संशोधन का प्रश्न पैदा होता है । इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात् आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस कठिनाई को हल करने के लिये सरकार खंड ५ के अन्त में यह जोड़ दे कि नियमों में आवश्यक परिवर्तन कराने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरे विचार से इस प्रस्ताव के अन्त में एक परन्तुक जोड़ दिया जाये, कि ऐसी संयुक्त समिति तब तक नहीं बनाई जायेगी जब तक कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से संबंधित तत्संबंधी नियमों में संशोधन न कर दिया जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं वह यह है कि लोक सभा को आय-व्ययक के संबंध में सिफारिश करने अथवा सरकार के चालू लेखों की परीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इसी कारण प्राक्कलन समिति में राज्य सभा का कोई, सदस्य नहीं होता । लोक लेखा समिति में भी राज्य सभा के जो सदस्य रहते हैं, उनका दर्जा केवल सम्बद्ध सदस्यों का होता है । प्रस्तावित समिति, जो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के कृत्यों को पूरा करेगी, राज्य सभा के सदस्य रहेंगे । इस समिति में राज्य सभा के सदस्यों के रहने से लोक सभा को प्राप्त वित्तीय तथा आय व्ययक के मामलों संबंधी अधिकार का अतिक्रमण होता है । यह प्रस्ताव, वर्तमान रूप में संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करता है ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मेरे विचार से राज्य सभा के सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रश्न और यह औचित्य प्रश्न बिलकुल भिन्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस से संविधान के कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ?

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मेरे विचार से मंत्री महोदय एक सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं । वह प्रश्न यह है कि जब लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में कोई भी राज्य सभा का सदस्य नहीं है या जो हैं, वे भी सम्बद्ध सदस्यों के रूप में है तब किस कारण से इस समिति में राज्य सभा के सदस्यों के लिये सरकार ने 'सम्बद्ध होने' शब्दों के स्थान पर 'सम्मिलित होने' शब्द रख दिये हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरे विचार से सरकार नियमों में एक नई पद्धति आरम्भ कर रही है । हम न केवल राज्य सभा के सदस्यों को निमंत्रित कर रहे हैं अपितु अपने साथ कार्य करने के लिये सम्मिलित कर रहे हैं । मेरे विचार से हमें ऐसी बातों को रोकना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनूं) : लोक लेखा समिति में राज्य सभा से जो सदस्य लिये जाते हैं वे केवल समिति से सम्बद्ध होते हैं । इस प्रस्ताव को इस रूप में स्वीकार करने से पूर्व इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नौशीर भरूचा : संविधान के अनुच्छेद १०५ (३) के अनुसार संसद की दोनों सभाओं की शक्तियां पार्लियामेंट के दोनों सदनों की तरह हैं। अतः जब वहां इस प्रकार की समिति में हाउस आफ लार्ड के सदस्यों को लिया नहीं गया है तो यहां ही क्यों लिया जा रहा है।

†श्री नथवानी (सौरठ) : संविधान के अनुच्छेद १०५ का उपखंड ३ सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और समितियों से संबंध रखता है। यहां हम संयुक्त समिति का निर्माण कर रहे हैं। अतः इससे संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मैं श्री अ० चं० गुह के औचिय प्रश्न से पूरी तरह सहमत हूं वस्तुतः यह संसद की परम्परा है कि कई बातें जनता द्वारा निर्वाचित लोक सभा ही किया करती हैं। हमें इस परम्परा को स्वीकार करना चाहिये।

†श्री अ० कु० सेन: वस्तुत : यह समिति, संयुक्त समिति होनी चाहिये अथवा नहीं तथा इसमें राज्य सभा के सदस्य सम्बद्ध हों या शामिल किये जायें इत्यादि प्रश्नों पर सभा ने निश्चय करना है।

जहां तक इस विषव के संवैधानिक पहलू का प्रश्न है मेरे विचार से सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रतिवेदन देने के उद्देश्य से एक संयुक्त समिति की स्थापना में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं की जा सकती है तथा सरकारी उपक्रमों के कार्य की जांच राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों के ही द्वारा की जा सकती है।

सरकारी उपक्रमों के वित को भारत सरकार का वित नहीं कह सकते हैं। निःसन्देह संविधान की व्यवस्था के अनुसार धन विधेयक पर केवल लोक सभा का ही अधिकार है। तथापि क्या सरकारी उपक्रमों के संचालन में राज्य सभा को कोई अधिकार न देने से हम एक अच्छा पूर्वदृष्टांत कायम कर रहे हैं यह प्रश्न विचारणीय है।

सभा को यह स्मरण रखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर दोनों सभाओं में चर्चा की जा सकती है। सरकारी उपक्रमों के संबंध में दोनों सभाओं में ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। तथापि यदि सभा वाद विवाद के पश्चात यह निश्चय करेगी कि उन्हें शामिल न किया जाये तो सरकार इसे स्वीकार कर लेगी तथापि ऐसा कहना बहुत कठिन है कि राज्य सभा को इसमें शामिल नहीं किया जाये।

जब कि इस देश में सरकारी उपक्रमों का एक नया प्रकार पैदा हो रहा है तो हाउस आफ कामन्स अथवा अन्य विधान सभाओं की परम्पराओं की दुहाई देना उचित नहीं है। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और सिफारिशें करने के पूर्व सरकार ने इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। संसद के अधीन सरकारी उपक्रमों का संचालन एक विशेष किस्म का है जैसा कि अन्य देशों में नहीं दिखायी देगा।

अब जब कि इन सरकारी उपक्रमों के संचालन की देखरेख करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जा रही है। यदि इस समिति में केवल इसी सभा के सदस्य होंगे तो राज्य सभा में इस समिति के कार्य की सदैव आलोचना प्रत्यालोचना हुआ करेगी।

प्रश्न इस सभा के विशेशधिकारों को व्यक्त करने का नहीं है। प्रश्न यह है कि राज्य सभा के सरकारी उपक्रमों के संचालन संबंधी अधिकार जिन्हें आप मान्यता देते आये हैं क्या उनका निषेध किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

अतः हमें इस नीति संबंधी प्रश्न पर विचार करना है कि सभा केवल इसी सभा के सदस्यों की समिति की स्थापना करे या उसमें राज्य सभा के सदस्यों को भी शामिल करे। तथा वहां के सदस्य केवल सम्बद्ध किये जायें या उनको पुरे अधिकार दिये जायें। जहां तक सरकार का मत है सरकार ने काफी विचार विमर्ष के पश्चात् यह निश्चय किया है कि चूंकि राज्य सभा सरकारी उपक्रमों के संचालन में काफी दिलचस्पी लेती है अतः सदस्यों की संख्या का एक तिहाई राज्य सभा से लिया जाये।

अतः लोक सभा का इस समिति में काफी बहुमत तो है ही, अतः यदि हम उन्हें इतना भी अधिकार नहीं देंगे तो जब यह संकल्प राज्य सभा में जायेगा तो वहां के सदस्य भी हमारे इस अधिकार को चुनौति दे सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत प्राक्कलनों की जांच, उन में संशोधन और परिवर्तन लोक सभा ही कर सकती है और राज्य सभा को उन पर केवल चर्चा करने और इस पर सिफारिश करने का अधिकार है यही कारण है कि राज्य सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति से सम्बद्ध नहीं किये गये हैं। जहां तक लोक लेखा समिति का संबंध है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर वह चर्चा करती है। यह प्रतिवेदन दोनों सभाओं को उपलब्ध किया जाता है। उस समिति से राज्य सभा के सदस्य संबद्ध होते हैं।

सस्दयों को यह आशंका है कि इस संकल्प द्वारा हम दूसरी सभा को अप्रत्यक्षतः ऐसा अधिकार प्रदान कर देंगे जो संविधान नहीं देना चाहता किन्तु, यह एक प्रस्ताव अलग बात है जो कुछ उस सभा को मिलना चाहिये उससे उसे वंचित न रखा जाये। किन्तु संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण न किया जाये।

सरकार यह स्पष्ट करे कि यहां परिवर्तन क्यों किया जाये, हम ऐसा उपबन्ध क्यों करें जो संविधान ने स्पष्ट रूप से नहीं किया है। और जहां तक प्राक्कलन समिति का संबंध है, हम अपने निर्णय में परिवर्तन क्यों करें।

श्री अ० कु० सेन : जो कुछ भी कम्पनी को दिया जायेगा वह संचित निधि से ही दिया होगा। अतः इस दिशा में मेरा मत यह है कि जहां तक इस मामले के संवैधानिक अंग का सम्बन्ध है लोक सभा सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये संयुक्त समिति गठित करने की सिफारिश कर सकती है। इस दिशा में संकल्प पारित करने का भी उसका पूर्ण अधिकार है। इस बारे में हमारे संविधान में कोई प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य उपक्रमों का सम्बन्ध है, उनकी शक्तियों की जांच यह सभा और राज्य सभा भी कर सकती है।

इस मामले में हमें राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना होगा। अतः इस के लिये जो भी समिति गठित हो उसमें राज्य सभा को प्रतिनिधित्व देना उचित होगा। सामूहिक हितों की दृष्टि से इस विषय में हमें इस सभा से मतभेद उत्पन्न करना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय: हम इस संकल्प द्वारा क्या निर्णय कर रहे हैं, इसको हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये। संविधान में एक बात बिलकुल स्पष्ट है, वह यह कि प्राक्कलनों की जांच और उन में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार केवल लोक सभा का ही है। राज्य सभा को केवल यही अधिकार प्राप्त हैं कि वह उन पर केवल चर्चा करके यदि किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचे जो कि वह

†मूल अंग्रेजी में

इस सभा तक पहुंचाना चाहे तो वह इस सभा को उसकी सिफारिश कर सकती है। यह अधिकार संविधान के अन्तर्गत उसे प्राप्त है। जहां तक वित्तीय मामलों में लोक सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि राज्य सभा के सदस्यों को प्राक्कलन समिति में नहीं लिया जाता। लोक लेखा समिति जो भी चर्चा करती है उसका आधार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन होता है। यह प्रतिवेदन संसद को दोनों सभाओं को दिया जाता है। अतः इस समिति में राज्य सभा के सदस्य भी लिये जाते हैं।

इस दिशा में एक बड़ी आशंका यह भी है जो कि सदस्यों के दिलों में कुछ अनिश्चिन्तता पैदा करती है। वह यह है कि इस संकल्प को पारित करके हम दूसरी सभा को अनजाने में एक ऐसा अधिकार प्रदान कर रहे हैं जो कि संविधान उसे देना नहीं चाहता। परन्तु प्रस्ताव की बात को अलग रखते हुए मेरा मत यह है कि जो कुछ उस सभा को मिलना चाहिये उसे उससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। ऐसा करते हुए हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन न होने पाये। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी ही होगी कि आखिर यहां परिवर्तन क्यों किया जाय। हम एक ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं जो कि संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। जिस बात को संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया उसके निर्माण किये जाने का कुछ कारण होना चाहिये। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति के सम्बन्ध में जो परम्परा चली आ रही है उसमें परिवर्तन करने की दिशा में कौन सी स्थिति निर्माण हुई है। आखिर इसमें परिवर्तन क्यों किया जाय।

†**श्री अ० कु० सेन :** इस बारे में मैंने स्थिति का स्पष्ट कर दी है। मेरा मत यह है कि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में खंड ५ का प्रारूप फिर से तैयार करना अधिक अच्छा होगा। उस नये प्रारूप में यह शब्द रखे जाने चाहियें कि "निर्बन्धनों के अन्तर्गत प्राक्कलन समिति के सभी कार्य अब से लेकर नयी समिति के सुपुर्द कर दिये जायेंगे"। राज्य सभा के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हम एक संशोधन रख रहे हैं। वह संशोधन यह है कि राज्य सभा केवल एक सम्बद्ध सदस्यों के रूप में रहे तथा उन्हें मतदान का कोई अधिकार प्रात न हो। क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि केवल राज्य सभा के ही पांचों सदस्य उपस्थित हों और वह लोक सभा की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय कर दें।

†**श्री नौशीर भरूचा :** जो कुछ भी स्थिति इस विषय पर निर्णय हुई है उसे देखते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में नया प्रारूप बना सदस्यों में परिचालित करना चाहिये। कारण यह कि समिति के गठन तथा कृत्यों के सम्बन्ध में मूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। अतः सरकार नया प्रारूप तैयार करे और इस चर्चा को स्थगित कर दे।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ विभिन्न सदस्यों द्वारा इस चर्चा पर कहा गया है उस व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए सरकार एक नया प्रारूप उपस्थित करेगी। इस पर भी सदस्य पर कोई बात बाध्य नहीं होगी। इस पर मैं काफी समय दूंगा। अब मैं इन मामलों को स्थगित करके गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

प्रौद्योगिक संस्थायें विधेयक

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने और तत्संबंधी तथा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर सम्बन्धी कतिपय विषयों के बारे में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं इस बात के लिये आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे यह प्रौद्योगिक संस्थायें विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यह विधेयक बहुत महत्व का है और साथ ही यह किसी भी प्रकार से विवादस्पद विधेयक नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

खड़गपुर संस्था की स्थापना के बाद, बम्बई कानपुर तथा मद्रास में तीन और भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थायें स्थापित की गई हैं। इस विधेयक द्वारा उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने का प्रयास किया गया है तथा इसमें उन संस्थाओं के कार्य में सहयोजन तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था की गई है।

विधेयक के सिद्धान्त को सभा में खड़गपुर संस्था के बारे में पहले से ही स्वीकार किया जा चुका है। उसी सिद्धान्त का विस्तार अन्य तीन संस्थाओं तक भी किया जा रहा है। क्योंकि विधेयक का सिद्धान्त लगभग सभी दिशाओं में माना जा चुका है अतः मैं बिना कोई भाषण करे सदन से इस पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : जब खड़गपुर की संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था तो मैं सदन का सदस्य नहीं था। इस दृष्टि से मुझे वर्तमान विधेयक के आधारभूत सिद्धान्तों पर आपत्ति करने का अधिकार है। आज इस बात की आवश्यकता है कि देश में प्राविधिक शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो। परन्तु मेरा मत यह है कि यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो उस के रास्ते में रुकावट पैदा हो जायेगी। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि देश की उच्च कोटि की संस्थाओं में भी जात पात के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार एक आश्वासन दे कि यद्यपि इन संस्थाओं को इस विधान से अपना अलग दर्जा दिया गया है तथापि कर्मचारी वर्ग तथा विद्यार्थियों को वही सुविधाएं तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जैसेकि अन्य इंजीनियरी के कालजों में उन्हें प्राप्त हैं। हम लोकतंत्रीय वातावरण में रह रहे हैं अतः किसी प्रकार की अलहदगी की भावना पैदा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार की भावना राष्ट्रहित के विरुद्ध होगी कि वह संस्थाएं राज्यों में कार्य कर रही संस्थाओं से किसी तरह श्रेष्ठ हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत इन संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की सी पदवी प्राप्त हो जायेगी। यह ठीक है कि इन चार संस्थाओं को चलाने के लिये और इनके कार्यों का समन्वय करने के लिये एक परिषद् होगी। परन्तु मेरी इस दिशा में मांग यह है कि यह निश्चित कर दिया जाये कि गवर्नर का बोर्ड, सीनेट तथा अन्य निकायों की सदस्यता को केवल नामनिर्देशित व्यक्तियों तक ही सीमित न रखा जाय। उनके आकार में अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों से मैं अपना कथन समाप्त करता हूं, खेद है कि इस में कोई संशोधन प्रस्तुत करने का कोई समय ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा मत है कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस विधेयक के द्वारा बम्बई, मद्रास, कानपुर की तीन संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित कर दिया जाय। यह सौभाग्य की बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में 'यूनैस्को' की सहायता से इन संस्थाओं का विकास करने की ओर ध्यान दे रहे है। आज देश को प्राविधिक कर्मचारियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। औद्योगिक संस्थाओं में प्राविधिक कर्मचारियों की कमी का सर्वत्र सामना करना पड़ रहा है। इसलिये इस दिशा में समुचित कार्यवाही की ही जानी चाहिये। अतः इन संस्थाओं को समुचित ढंग से विकसित किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं अब हम कुछ गैर-सरकारी कार्य को ले रहे हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नब्बेवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नब्बेवें प्रतिवेदन से जो २१ नवम्बर, १९६१ को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमति दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की नब्बेवें प्रतिवेदन से, जो २१ नवम्बर, १९६१ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प

†**उपाध्य महोदयक्ष** : अब सभा में श्री इकबाल सिंह द्वारा ८ सितम्बर १९६१ को प्रस्तुत संकल्प पर और आगे चर्चा होगी।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले इजलास में मैंने जब इस रिजोल्यूशन को मूव किया था तो मैं कह रहा था कि नेता जी की और रास बिहारी बाबू की अस्थियों को यहां लाया जाय और उनको मुनासिब फौजी ढंग से यहां रखा जाय और उसके बाद उनका एक मैमोरियल बनाया जाय। यह इसलिये जरूरी है कि अगर यह कौम जिन्दा रहना चाहती है तो उसको उन लोगों का जिन्होंने जंग आज़ादी के लिये कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने मुल्क की

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार इकबाल सिंह]

आजादी के लिये कोशिश की है, इज्जत करे। यह इसलिये भी जरूरी है क्योंकि इससे आने वाली नस्लों में आजादी का जज्बा मजबूत होगा और वे देखेंगी कि उनके बुजुर्गों ने उस वक्त जबकि कौम पर मुसीबत थी तो किस तरह बड़ी से बड़ी कुर्बानियां उसको आजाद कराने के लिये दी थीं। इसी वजह से हर कौम अपने कौम के शहीदों की इज्जत में, अपनी कौम के सेवादारों के नाम पर जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपनी जिन्दगी लगायी, उनके लिये हमेशा मैमोरियल बनाती रही है।

यह एक खास किस्म का मसला है। पिछले दिनों नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए एक एन्क्वायरी कमेटी बनी थी, लेकिन इस वक्त मैं इस मामले में किसी कंट्रोवर्सी को नहीं लाना चाहता। अगर सन् १९४५ के १६–१७ साल बाद नेताजी जिन्दा होते तो हिन्दुस्तान की सरकार उनकी हर तरह से मदद कर सकती थी। आज हिन्दुस्तान की सरकार इतनी मजबूत है कि वह उन लोगों को छुड़ा सकती है जिन को वार क्रिमिनल करार दे दिया गया था। अगर आज नेताजी जिन्दा होते तो हिन्दुस्तान की सरकार उनको हर तरह मदद कर सकती थी और उनको कोई नुकसान नहीं होने देती। इसलिये म यह कहना चाहता हूं कि नेताजी एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक और वैसे भी मर चुके हैं। लेकिन अगर कुछ साल और यह मसला इसी तरह स्टेटमेंट में चलता रहा तो मैं यह तो नहीं कहता कि यह जज्बा खत्म हो जायगा लेकिन इतना जोश नहीं रहेगा। अगर यह चीज आज से कुछ साल पहले हो जाती तो और ज्यादा अच्छा रहता।

हिन्दुस्तान की आजादी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक खास मैमार थे। और उन्होंने जंग आजादी में बड़ी कुर्बानियां दीं और उनका हिन्दुस्तान में एक खास स्थान है और हिन्दुस्तान की कौम का यह फर्ज है और उस पर यह जिम्मेवारी है कि वह उनकी अस्थियों को इज्जत के साथ लाये और उनके लिये यहां पर एक मैमोरियल बनाया जाय और वह मैमोरियल लाल किले के सामने बनाना चाहिये। उनकी यह ख्वाहिश थी कि लाल किले पर आजाद हिन्दुस्ताद का झंडा लहराए। आज उस लाल किले पर हिन्दुस्तान की रिपबलिक का झंडा लहरा रहा है। वह इस लाल किले से अंग्रेजों के राज्य को खत्म करना चाहते थे और वह चले गये और उनकी बाकी चीजें भी चली गयीं और इस तरह नेताजी की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। और आज अब हिन्दुस्तान की जनता पर और उनके जरिये हिन्दुस्तान की सरकार पर यह जिम्मेवारी है कि उनके प्रति, जिन्होंने देश की जंग आजादी लड़ी और उसके लिए हर तरह कोशिशें कीं, अपना फर्ज अदा करे।

इसलिए मैं किसी कंट्रोवर्सी में न जा कर चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन को पास किया जाय और इज्जत के साथ उनकी अस्थियों को लाया जाय और उन को बाकायदा मिलिटरी ढंग से इज्जत दे कर रखा जाय और उनका मैमोरियल बनाया जाय।

रास बिहारी बाबू हिन्दुस्तान के बहुत पुराने इनकलाब पसन्दों में से थे और उन्होंने भी देश की आजादी के लिये बड़ी कुर्बानियां कीं। वह सारी उम्र देश से बाहर रहे लेकिन वहां भी उन्होंने आजादी की लड़ाई को कायम रखा, वह वहां से लड़ते रहे और आजादी की जीत को जिन्दा रखते रहे। उन दिनों हिन्दुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे थे जो आजादी के लिए लड़ा करते थे। तीस चालीस या इससे भी ज्यादा सालों तक उन्होंने उस जज्बे को जिन्दा रखा, लेकिन वह हिन्दुस्तान में न आ सके क्योंकि जब उन की वफात हुई तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं था और वह आखिरी दम तक हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ते लड़ते मरे। उनके बारे में देश में कोई दो रायें नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इन दो रहनुमाओं की अस्थियां जोकि आज देश के बाहर हैं देश में

लाई जायें और उन को पूरी इज्जत दे कर यहां रखा जाय। और लोगों की अस्थियां भी लाई जायें, मुझे उस बारे में कोई कंट्रोवरसी नहीं है। लेकिन इन लोगों का देश में एक खास स्थान है। एक ने हिन्दुस्तान की हुकूमत बाहर कायम की और दूसरे ने सिंगापुर में उसको और मजबूत किया और इस तरह हिन्दुस्तान की जंग आजादी को तकवियत दी। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनकी अस्थियों को पूरी इज्जत के साथ लाया जाय ताकि हिन्दुस्तान के लोग इन बहादुर लोगों की मुनासिब तरीके से इज्जत कर सकें और यह कहा जा सके कि हिन्दुस्तान की जनता ने और सरकार ने और देश की सियासी जमाअतों ने उन लोगों की जिन्होंने देश की आजादी के लिये कुर्बानियां कीं अपना फर्ज अदा किया और उनकी इज्जत बढ़ाने में हर किस्म की मदद दी।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आजाद हिन्द फौज को लेकर हिन्दुस्तान पर हमला करने वाले थे, क्योंकि उनका खयाल था कि इसी ढंग से देश को आजादी मिल सकती थी, तो उन्हों ने एक बात कही थी जिसको कह कर मैं अपनी इस बात को खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने एक लेक्चर देते हुए उस वक्त अपनी फौज से कहा था कि इन **पहाड़ों के उस तरफ हमारी जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि की जंग आजादी में हम खत्म हो** सकते हैं। आज वह जिन्दा हैसियत से तो दिल्ली नहीं आ सके। लेकिन आज हिन्दुस्तान की जनता और सरकार का उनके स्थान को देखते हुए यह फर्ज है कि उनकी अस्थियों को इज्जत के साथ देश में लावें और उनके लिए एक मुनासिब मेमोरियल बनावें। ये दोनों हिन्दुस्तान की आजादी के रहनुमाओं के सरताज थे। इसलिये उनको मुनाससिब जगह दी जाय।

इन अल्फाज के साथ मैं इस रिजोल्यूशन को मूव करता हूं।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इससे खास ताल्लुक है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आपका इससे ताल्लुक है और आपको इस पर बोलने के लिये जरूर मौका दिया जायगा लेकिन उसके पहले श्री श्रीनारायण दास का जो एक अमेंडमेंट है वह अपने उस अमेंडमेंट को मूव कर लें।

मैं यह भी कह दूं कि बहुत से माननीय सदस्य इस रेजोल्यूशन पर बोलना चाहते हैं और चूंकि इस रेजोल्यूशन के वास्ते सिर्फ एक घंटे का वक्त रक्खा गया है इसलिये वक्त का लिहाज रक्खा जाय।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : इस पर वक्त बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो बाद में देखा जायगा। अगर माननीय सदस्य पांच, पांच मिनट में खत्म करते जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पर कोई कंट्रोवरसी नहीं है सिर्फ रेफ्रेंस और होमेज पे करना है।

श्री वाजपेयी : इसका विरोध भी होने वाला है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलूबेरिया) : यह वाद विवाद का विषय है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मेरा प्रस्ताव है कि इसके लिये दो घंटे रख दिये जायें

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा देखेंगे। अब श्री श्रीनारायण दास अपना अमेंडमेंट मूव करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में :—

कि 'Build Suitable memorials in Delhi to enshrine the ashes' (कि इन पवित्र अस्थियों को रखने के लिये दिल्ली में एक उपयुक्त भवन बनाया जाये) शब्दों के स्थान पर

"constitute a Committee to recommend the nature of suitable memorials and to suggest ways and means to build the same."

(उपयुक्त यादगार की सिफारिश करने एवं उसके बनाने के लिये उपाय सुझाने के हेतु एक समिति बनाई जाये) ये शब्द रख दिये जायें।

उपाध्यक्ष महादय, हमारे माननीय मित्र सरदार इकबाल सिंह ने जो प्रस्ताव सदन् के विचारार्थ प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में जिन दो महान् विभूतियों का इस प्रस्ताव में जिक्र है और जिनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है उन की कुर्बानियां और त्याग स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं या लिखी जायेंगी। हिन्दुस्तान जब परतंत्र था उस समय की बात जब याद आती है तो हमारे जो पुराने देश के क्रान्तिकारी नवयुवक थे उन में एक बड़ा स्थान महानायक रास बिहारी बसु का था। उनको देश की आजादी के सिलसिले में यहां से निष्कासित किया गया था और उसके कारण जीवन पर्यन्त उन्हें विदेश में रहना पड़ा। श्री रास बिहारी बसु जब तक जिंदा रहे देश की आजादी के लिए अपनी तौर पर काम करते रहे और हिन्दुस्तान की आजादी के लिये जितना बन पड़ा प्रयास करते रहे। मैं समझता हूं कि आज सदन् में यह जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है कि जापान से फौजी इज्जत के साथ और बड़े सम्मान के साथ इन दो महान विभूतियों की अस्थियां यहां पर लाई जायें और उनके लिए उपयुक्त स्मारक बनाया जाय इसका समर्थन इस सदन् के प्रायः सभी सदस्य करेंगे।

आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए काफी समय हो गया है। इस बीच बहुत तरह के सवाल नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जिंदा होने या मरने के बारे में पैदा हुए। सरकार ने इस बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट भी सदन् में विभिन्न रूप में आई और उस पर काफी चर्चाएं भी हुई लेकिन अभी तक यह विषय विवादास्पद बना हुआ है। फिर भी जैसाकि आम तौर से मालूम होता है और जैसाकि उस कमेटी की बहुमत रिपोर्ट थी, यह पता चला कि अब हमारे नेता श्री सुभाषचन्द्र के बोस इस संसार में जीवित नहीं हैं और कहा यह जाता है कि उनकी मृत्यु उस विमान दुर्घटना के फलस्वरूप हो गई थी। उन की अस्थियां आज जापान में मौजूद हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उस महान् विभूति के लिये उस महान् त्यागी के लिए और उस महान् नेता के लिए जिसने कि हिन्दुस्तान को आजाद कराने के हेतु सभी तरह के उपाय काम में लाये और हमारे सौभाग्य से आजादी मिल भी गई, उस महान् नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे।

मेरे मित्र सरदार इकबाल सिंह ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि सरकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और महानायक रास बिहारी बसु की पवित्र अस्थियों को जापान से पूरे फौजी सम्मान और समारोह के साथ यहां पर लायें। उनके प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा यह मांग करता है कि यहां दिल्ली में उनके लिये उपयुक्त स्मारक बनाये जायें। जहां तक कि उनकी अस्थियों का जापान से लाने का सवाल है मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं लेकिन जो स्मारक इन दो महान् विभूतियों के बारे में बनाने की मांग की जा रही है उस पर जरा विचार करने की जरूरत है। अब वह स्मारक किस तरह के होंगे इस पर विचार

†मूल अंग्रेजी में

करना होगा । सरकार केवल अस्थियों को रखने के लिए कोई मकान का निर्माण कर दे तो वह उपयुक्त स्मारक नहीं होगा । किसी महान् व्यक्ति के लिए स्मारक बनाने के पहले इस सम्बन्ध में पूरा विचार करना चाहिये कि किस तरह का स्मारक उन के योग्य होगा । इसीलिए मैंने अपने संशोधन के द्वारा इस में चाहा है कि सरकार इस के वास्ते एक कमेटी बिठाये और उस के जिम्मे यह काम सौंपा जाय कि वह इस सम्बन्ध में अपना सुझाव दे कि उन के लिये किस तरह का स्मारक कैसे और कहां बनाया जाय । उस कमेटी द्वारा पूरे तरीके से विचार करने के बाद जो रिपोर्ट सदन या सरकार के सामने आये उस को ध्यान में रख कर स्मारक बनाने का काम किया जाय । मैं अपने इस छोटे से संशोधन को पेश करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस का समर्थन करेगा ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रस्ताव से विशेष सम्बन्ध है । मैं बाबू रास बिहारी बोस के साथ जापान में था । उन्होंने क्या कुछ किया वह यहां बहुत कम लोगों को मालूम है । उन की किस कदर इज्जत जापान में है वह मैं ही समझ सकता हूं । बड़े से बड़े जनरल, बड़े से बड़े वजीर और प्राइम मिनिस्टर भी उन की बड़ी इज्जत करते थे और उन की बात को मानते थे । उन को जापानी भाषा बड़े अच्छे तरीके से आती थी । मैं भी वहां बहुत रहा मगर मैं टूटी फूटी जापानी ही बोल सका मगर वह जापानी में बड़ी बड़ी तकरीरें कर सकते थे । उन्हों ने खास तौर से दूसरी जापान और अमरीका की लड़ाई में बड़ा भारी हिस्सा लिया था । वह जनरल तोजो के बड़े दोस्त थे और उन्हों ने जनरल तोजो पर इस बात का बहुत दबाव डाला कि यह लड़ाई की जाय ।

एक दूसरी बात म यहां पर कह दूं कि जो अफगानिस्तान और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी उस वक्त अफगानिस्तान की जो हुकूमत वक्त थी उस पर मौलाना ओबेदुल्ला ने जो हमारे स्थायी महाराष्ट्र हिन्द के वजीर दाखला थे बड़ा जोर डाला कि अफगानिस्तान लड़े ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम को रास बिहारी बोस साहब की जो कुछ इज्जत हम कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिये और उन की जो भस्मी वहां मौजूद है वह भी लानी चाहिए ।

मैं इसी सिलसिले में एक बात और कह दूं । लोग शायद भूल गये हैं । मौलाना बरकतउला साहब की भस्मी तो नहीं मगर उन का जिस्म कब्र में कैलीफोर्निया में मौजूद है और मैं समझता हूं कि मुझे वह अल्फाज यहां पर दुहरा देने चाहियें जोकि उन को दफनाते वक्त कहे थे । मौलाना को यह कह कर दफनाया था कि जब हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा तो हम उन की लाश को हिन्दुस्तान ले जायेंगे । कहने का मतलब यह है कि मौलाना बरकतउल्ला साहब भी एक बड़े क्रान्तिकारी थे और उन के बाबत मैं क्या क्या जिक्र करूं कि उन्होंने क्या क्या काम किये क्योंकि वह इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है ।

आखिर में मेरा कहना तो केवल यही है कि रास बिहारी बसु साहब की भस्मी को निहायत इज्जत के साथ यहां लाना चाहिए । यह भी मैं बतला दूं कि जो हम ने एक्जीक्यूटिव बोर्ड आफ इंडिया बनाया था उस का मैं प्रेसीडेंट था, रास बिहारी बसु साहब वाइस प्रेसीडेंट थे और श्री आनन्द मोहन जो कि अभी थोड़े दिन पहले तक बैंगकाक में एम्बेसेडर थे वह उस में जनरल सेक्रेटरी थे । हम लोगों ने कुछ न कुछ खिदमत की ।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने ठीक वही किया जो मैंने सन् १९१५-१६-१७ और १९१८ में किया था । मैं गया जर्मनी वह गये जर्मनी । मैं आया अफगानिस्तान वह आये

[राजा महेन्द्र प्रताप]

जापान । मैंने काबुल में १ दिसम्बर, १९१५ को आजाद हिन्द सरकार बनाई और उन्होंने २१ अक्तूबर, १९४३ को सिंगापुर में आजाद हिन्द सरकार बनाई । हम लोगों ने करीब करीब एक ही तरह काम किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने मुझ से बहुत ज्यादा बढ़ कर काम किया । अगर मैं बारह हजार की फ़ौज बना सका, और वह भी आफ़रीदियों की, तो उन्होंने साठ हजार से ज्यादा की फ़ौज बनाई और वह फ़ौज हिन्दुस्तानियों की थी । अगर मैं सिर्फ़ पचास आदमी क्रान्ति कराने के लिए इन्कलाब कराने के लिये भेज सका, तो उन्होंने पांच सौ आदमी भेजे । मैं सरहद में जा कर लड़ न सका, लेकिन वह बर्मा में मैदान में जा कर लड़े । मैं उन की बड़ी भारी इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मुतफ़िक़ा राय से कहें कि उन की इज्जत होनी चाहिये और उन का मेमोरियल यहां पर जरूर बनना चाहिए ।

मैं इस बात पर अफ़सोस जाहिर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को क्या हो गया था कि आज पन्द्रह साल हो गये इन बातों को, लेकिन उस की तरफ़ से इस किस्म की कोई तजवीज पेश नहीं की गई । हां, एक कांग्रेसी भाई ने जरूर की, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तजवीज हमारे वज़ीरे-आज़म की तरफ से पेश होनी चाहिये थी । म वज़ीरे-आज़म के लिए एक एक्सप्रेस खत को डाक में डाल कर आया हूं ।

एक माननीय सदस्य : उस की क्या जरूरत थी ? माननीय सदस्य उन को यहां पर खत दे सकते थे ।

राजा महेन्द्र प्रताप : वह हमारी बात सुनते नहीं हैं । मैं खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन वह न जाने क्या ख्याल करते हैं । इस वक्त हमारे सामने जो यह तजवीज है कि हम उन लोगों की इज्जत करें, जिन्होंने हमारे मुल्क की खिदमत की, मैं उस की ताईद करता हूं ।

आखिर में मैं एक बात और अर्ज कर दूं । मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में ऐसी आदत है कि जब तक बाप ज़िन्दा हो, तो उस को भूखा मारा जाये और उस के मरने के बाद उस की इज्जत की जाये और उस को पानी दिया जाये । खैर, मैं तो अभी ज़िन्दा हूं, मुझे आप भूखा मार सकते हैं कोई डर नहीं, लेकिन वह बेचारे तो मर गये । उन की अब इज्जत की जानी चाहिये । उन की भस्मी को यहां लाना चाहिये और उन की यादगार लाल किले के सामने बनानी चाहिये । उन्होंने कहा था "दिल्ली चलो, दिल्ली चलो ।" अब उन की आत्मा दिल्ली में आ गई है । अब मेहरबानी कर के उन के लिए यादगार यहां पर बनाई जाये ।

जनाब की बहुत मेहरबानी ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : इस संकल्प से बहुत से वाद-विवाद उत्पन्न हो जायेंगे । विवाद चाहे किसी तरह का हो लेकिन कोई व्यक्ति इस से इन्कार नहीं कर सकता कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में श्री सुभाषचन्द्र बोस का एक उल्लेखनीय स्थान है । मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है जब सरकार को उन की अस्थियां लाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और मैं समझती हूं कि सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे । हमारे देश में और विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में कुछ लोगों का एक वर्ग है जिस का विश्वास है कि सुभाषचन्द्र बोस अभी जीवित हैं । दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वह जीवित होते तो अब तक कभी के भारत आ गये होते ।

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अपना भी ऐसा ही विचार है । भारत अब स्वतंत्र हो गया है और यहां की सरकार अब ऐसी स्थिति है कि वह इस हुतात्मा की अस्थियां ससम्मान भारत ला सकती है । उन की अस्थियां एक दूसरे देश में छोड़ना हमारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और हमारे राष्ट्रीय सम्मान को धक्का लगता है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : यह कहते हुये मुझे खेद है कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु बिलकुल प्रमाणित नहीं हो पाई है, स्वयं अपने देशवासियों द्वारा मृत घोषित किया जा रहा है। विमान दुर्घटना की सारी कहानी काल्पनिक सी है तथा इस सम्बन्ध में की गई जांच भी धोका है । सरकार के प्रतिवेदन एवं नेताजी के बड़े भाई की विमति टिप्पणी को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये । यदि ऐसा किया जाये तो पता लगेगा कि उनकी कथित मृत्यु सम्बन्धी सारी घटनायें त्रुटिपूर्ण हैं ।

यह प्रमाणित करने के लिये कि नेताजी की मृत्यु सम्बन्धी दृष्टिकोण गलत है ठोस साक्ष्य मौजूद है । उनके परिवार के किसी सदस्य, उनकी पत्नी या उनकी पुत्री ने कभी नहीं कहा है कि वह स्वर्गवासी हो चुके हैं । हमें बंगाल के अनेक व्यक्तियों जिनका विश्वास है कि नेताजी जीवित हैं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये । यहां तक कि महात्मा गांधी को भी नेताजी की मृत्यु के बारे में संदेह था ।

सरकार ने एक जांच समिति की नियुक्ति की थी उस समिति ने कहा है कि नेताजी की मृत्यु हो गई है । किन्तु उनके बड़े भाई श्री शरतचन्द्र बोस ने, जो कि इस जांच समिति के सदस्य थे, अपनी विमति टिप्पणी देते हुये कहा है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है ।

इस लिये मेरा निवेदन है कि सरकार देश के उन व्यक्तियों की भावनाओं को जिनका विश्वास है कि नेताजी अभी जीवित हैं, यहां भारत में उनकी भस्मी को लाकर किसी प्रकार की कोई ठेस न पहुंचायें ।

मेरा अपना विचार है कि नेताजी अभी जीवित हैं । और उनकी मृत्यु की जांच के लिये जो जांच समिति बनाई थी उसने अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं किया है ।

अतः संकल्प में से नेताजी की अस्थियों से सम्बन्धित भाग को निकाल दिया जाये । जहां तक रास बिहारी बोस की अस्थियों की बात है मैं इस बात से सहमत हूं कि उसे ससम्मान देश में लाना चाहिये ।

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मुझ से पूर्व के वक्ता बजाय इसके कि इस प्रस्ताव के हक में या विरोध में कुछ कहते, एक ही बात कहते रहे जिस से यह मालूम होता था कि हिन्दुस्तान की सरकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के खिलाफ है, और वह चाहती है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जिन्दा रहते हुये भी मरे हुये समझ लिये जायें । मेरे लायक दोस्त को अगर यह विश्वास भी हो, या अगर उनकी यह मंशा ही हो, तो यह ख्याल उन को मुबारक रहे । इस बात में किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस किसी एक स्टेट के नहीं हैं, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एक कुटुम्ब के नहीं हैं । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सारे हिन्दुस्तान की मिल्कियत हैं, सारे सूबों की मिल्कियत हैं, और जिस तरह से किसी एक स्टेट के आदमियों के दिल में, या उन के कुटुम्ब के भाइयों के दिल में उन के लिये आदर है, उसी तरह से दूसरों के दिल में भी उन के लिये आदर है । जिस बात की वे दूसरों से अपील करते हैं, हम भी उन से उसी तरह से अपील करना चाहते हैं कि वे यह मान लें कि दुनिया में ईमानदारी भी कोई चीज हो सकती है । अगर मैं आपकी ईमानदारी में यकीन करता हूं और मानता हूं कि आप ईमानदारी से

†मूल अंग्रेजी में

[चौधरी रणवीर सिंह]

ऐसा समझते हैं, तो आप भी मेरी ईमानदारी में यकीन कीजिये । अगर मैं ईमानदारी से यह समझूं कि वे अस्थियां नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की हैं तो भले ही आप मन में इस बात को नहीं समझते या एक स्टेट के कुछ भाई इस बात को नहीं समझते, लेकिन उन को मेरी भावना को कुचलने का क्या अधिकार है ?

मैं और डा० राम सुभग सिंह दोनों जापान गये थे । हम रंकोजी मंदिर के अन्दर भी गये थे, वहां हम ने श्रद्धा से उन की अस्थियों को देखा और फूल भेंट किये आज भी उसी श्रद्धा से आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि नेताजी की उम्र लाख साल की होती, वे देश आते और १०० साल या हजार साल या जितने भी साल जिन्दा रह सकते जिन्दा रहते । फिर भी आज मैं अपने मित्र से पूछता हूं कि उन की कहानी पर आज दुनियां में कौन यकीन कर सकता है ?

मुझे याद है, जब मैं कालेज में पढ़ता था तब नेताजी रोहतक के अन्दर आये थे । उस वक्त वे हिन्दुस्तान की कांग्रेस के सदर थे । और उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया के अन्दर लड़ाई होने वाली है और मुझे पता नहीं कि उस वक्त मैं कहां होऊंगा लेकिन एक बात मैं कहे जाता हूं कि जब अंग्रेज की लड़ाई किसी विदेशी शक्ति से हो तो हिन्दुस्तानियों को उसका फायदा उठाकर यहां से अंग्रेजों की शक्ति को खत्म कर देना चाहिये। वह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जो कि उस वक्त इस हौसले अपने विचार हमारे सामने रख सकते थे, आज उनके रास्ते में कौनसी रुकावट है । उनके दिल में हिन्दुस्तान के लिये उतना ही प्यार था जितना कि हमारे किसी साथी के दिल में हो सकता है । उन्होंने हिन्दुस्तान के लिये कुर्बानी दी और अपनी जान की बाज़ी लगा दी जो कि मैं या मेरे साथी नहीं लगा सके । मुझ से पूर्व वक्ता या मैं उनकी तरह अपनी जान की बाज़ी नहीं लगा सके । तो जिसके दिल में देश के लिये इतना प्यार हो और जिसके दिल में इतनी बड़ी ख्वाहिश हो कि हिन्दुस्तान आजाद हो और जब हिन्दुस्तान आजाद हो जाये और लाल किले पर आजाद हिन्दुस्तान का झंडा फहराता हो तो क्या कोई आदमी यह विश्वास कर सकता है, जिसको नेताजी के ख्यालात का कुछ भी ज्ञान होगा, कि अगर वह जिन्दा होते तो उस वक्त हिन्दुस्तान न आते । मैं तो कहता हूं कि अगर वह जिन्दा होते तो अम्बर को भी फाड़ कर उस वक्त दिल्ली के अन्दर आते । अगर वह हिन्दुस्तान के सब से बड़े आदमी की हैसियत से न आते तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के एक वालंटियर की तरह आते क्योंकि उनको ओहदों से प्यार नहीं था, उनके दिल में तो देश का प्यार था । उनके दिल में देश की आजादी का प्यार था ।

तो मैं अपने साथी के विचारों का विरोध करके उन सेंटीमेंट को चोट नहीं लगाना चाहता के। मैं इस बात की कोई कोशिश नहीं करना चाहता कि उनको समझा सकूं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जिन्दा नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने से उनके सेन्टीमेंट को, उनके दिल को चोट लगती है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता । मैं तो उनसे और उनके ख्यालात रखने वाले उनके साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने उनके विचारों का बहुत दिन तक ख्याल रखा । लेकिन आज हिन्दुस्तान की जनता की एक बहुत बड़ी तादाद यह चाहती है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और रास बिहारी जी की अस्थियों को हिन्दुस्तान में लाया जाये और उनकी यादगार बनायी जाये ।

उन्होंने दो चार बातें कहीं । मैं तो चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी जवाब दें तो उस वक्त सारी बातों को कबूल कर लें । इसमें किसी को क्या इन्कार हो सकता है । कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को विरोध हो । वह आज एक बात कह कर उलाहना देते हैं । लेकिन वह इस सभा के पिछले पांच साल से सदस्य हैं । अगर वह इस अरसे में कोई इस प्रकार का रिज़ोल्यूशन लाते और यह सदन

उस बात को कबूल न करता तब तो प्रधान मंत्री को और सदन को दोष दिया जा सकता था। लेकिन आज, जब कि हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं वह इस सवाल को उठाते हैं।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उनके ख्यालात का ध्यान रखते हुये, हिन्दुस्तान की जनता के बहुत बड़े हिस्से के दिल में जो श्रद्धा है उसका भी ध्यान रखे और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं यह कह सकता हूं कि हरेक व्यक्ति नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का आदर करता है। इसलिये ऐसा सवाल तो उठता नहीं कि कोई ऐसा काम किया जाये जो उनके आदर के अनुरूप न हो।

इस संकल्प के कुछ पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि नेताजी जीवित हैं। यह राय बहुत से लोगों की है यहां तक कि उनके भाई की भी यही राय थी। इससे कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई। भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद यह सवाल उठा कि इस तथ्य की जांच की जाये कि वह जीवित हैं अथवा नहीं। नाना प्रकार से हमने यह मालूम करने का प्रयत्न किया। कुछ दूसरे देशों की सरकारों से भी हमने पूछा जिनका किसी न किसी रूप में सुभाष बाबू से सम्बन्ध रहा है। जांच पड़ताल के पश्चात् जो प्रमाण उपलब्ध हुये उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नेताजी की मृत्यु हो गई है। हो सकता है कि उनकी दुर्घटना सम्बन्धी खबर सही न हो, कुछ चढ़ा कर कहा गया हो किन्तु इतना सत्य अवश्य है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी हमने उनकी मृत्यु की जांच करने के लिये एक जांच समिति की नियुक्ति की। यह समिति बहुत अच्छी गठित थी। बाद में खोज करने के उपरान्त यह समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और वह सभा पटल पर रखा गया। समिति का यह प्रतिवेदन सर्वसम्मत था। इस समिति ने जापान में कुछ व्यक्तियों से पूछताछ की जिनका कि सम्बन्ध किसी न किसी रूप में नेता जी से रहा था। इस समिति में नेताजी के बड़े भाई भी एक सदस्य थे किन्तु उन्होंने समिति के निर्णय से असहमति प्रकट की। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। जहां तक सभा का सवाल है वह इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि उनकी मृत्यु दुर्घटना में हो गई है। समिति के प्रतिवेदन के बाद से ही हम लगातार यह सोच रहे हैं कि उनकी अस्थियों को सम्मान सहित भारत लाया जाये। उस समय भी तथा अब भी हमारे सामने एक कठिनाई है और वह कठिनाई है जनमत की। साथ ही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पहलू भी है। ऐसे मामलों में प्रायः पहल परिवार द्वारा की जानी चाहिये। सरकार हर सूरत में तथा हर प्रकार की सहायता देगी किन्तु सरकार द्वारा कार्यवाही करना कठिन है। मान लीजिये कि परिवार के कोई सदस्य ऐसा करने से हमें रोकते हैं तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसी कारण हमने यह कार्यवाही नहीं की। हालांकि पिछले वर्षों में हमने ऐसा करने का प्रयत्न कई बार किया।

जहां तक उनकी मृत्यु की बात है कि कहां तक यह ठीक है यह बताना बड़ा मुश्किल है लेकिन जैसे जैसे अधिक समय गुजरता जाता है मेरा यह विश्वास उनकी मृत्यु हो गई है और भी पक्का होता जा रहा है क्योंकि इस कथित घटना को हुये १६ वर्ष हो गये कि भला कोई यह विश्वास कर लेगा कि नेताजी इतने वर्ष तक और विशेष रूप से भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद अभी तक अपने आप को छिपाये रहेंगे। यह नेताजी सुभाष जैसे व्यक्ति के बारे में बड़ी विचित्र बात लगती है। यह बात कहना कोई अच्छी चीज नहीं है जब कि उनकी कथित मृत्यु हुये १५ या १६ वर्ष हो गये हैं, कि वह अभी तक जीवित हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि वह छिपे हुये हैं तो क्यों और किससे। यदि वह यहां आते हैं तो उनका बड़े सम्मान सहित स्वागत किया जायेगा। उनका सभी लोग भले ही वे व्यक्ति हो अथवा सरकार सभी उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। इसमें डर की कोई बात नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में

यह कहा गया था कि वह सोवियत रूस जाना चाहते थे। भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो लेकिन सोवियत रूस ऐसे सत्ता वाले वर्ग में था जो कि नेताजी को बिल्कुल भी पसन्द नहीं करता था। वास्तव में तो वे उन से घृणा करते थे। मैंने यह बात इसलिये कही है क्योंकि इस सम्बन्ध में मैंने रूस वालों से कई बार बातचीत की है और उसका कारण यह है कि नेताजी का सम्बन्ध और मेल-जोल रूसियों के शत्रु जापान से था वैसे रूस वालों का नेता जी से व्यक्तिगत आधार पर कोई दुश्मनी नहीं थी। क्योंकि उनका जापान और जर्मनी से मेलजोल था इसीलिये वे लोग उनसे घृणा करते थे। अतः शायद ही उनके लिये रूस में कोई स्थान हो।

दरअसल बात तो यह है कि हम इस मामले में, कि उनकी अस्थियां यहां लायें, कोई पहल नहीं कर सकते जब तक कि उनके परिवार वालों की हमारे साथ सद्भावनायें न हों। यदि उनके परिवार के अतिरिक्त और दूसरे लोग यह विश्वास नहीं करते कि उनकी मृत्यु हो गई है तो इस की हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं है। लेकिन हम जो भी कार्यवाही करते हैं उसमें उनके परिवार वालों का हमारे साथ होना परम आवश्यक है।

लेकिन यह बात श्री रास बिहारी बोस के साथ नहीं है। हम उन्हें नेताजी जितना सम्मान तो नहीं देते। वे जापान चले गये और वहां जाकर वहां के नागरिक बन गये थे तथा वहां बस गये थे। वहां उन्होंने शादी कर ली, वहीं उनके बच्चे बस गये और इस प्रकार उन्होंने भारत से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें नेताजी जैसा जितना सम्मान देना हमारे लिये उचित नहीं है। भारत के ऐसे बहुत से नागरिक भी हुए हैं जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपना जीवन अर्पित कर दिया और उनकी मृत्यु विदेशों में हुई। हमने कभी भी उनकी अस्थियों को यहां भारत में लाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि रास बिहारी बोस की अस्थियां यहां भारत आ जाती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन हम उन्हें उतना सम्मान नहीं दे सकते जितना कि नेताजी को देते हैं। मैं जानता हूं कि जापान में उनका परिवार उनकी अस्थियों की पूजा करता है।

जहां तक कि यादगार की बात है १९५७ में १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम की शताब्दि मनाते समय हमने यह निर्णय किया था कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संघर्ष में अपना जीवन बलिदान कर दिया, अथवा तब से लेकर अब तक स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जिन्होंने अपना जीवन दिया उनकी स्मृति में लाल किले के समक्ष एक स्मारक बनाया जाये, इस कार्य के लिये एक प्रख्यात शिल्पकार की सेवायें प्राप्त कर ली गई हैं। यह काम प्रसिद्ध शिल्पकार श्री राय चौधरी को सौंपा गया है। वह कुछ वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं और उन्हें इसे पूरा करने में अभी एक या दो वर्ष और लग जायेंगे।

अतः इन परिस्थितियों में मुझे इस बात का खेद है कि हम इस संकल्प को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर सकते। यदि लोग यह स्वीकार करते हैं कि उन की अस्थियां यहां लाई जायें तो हम इस निर्णय का स्वागत करेंगे और उसके लिये उचित व्यवस्था भी करेंगे। सामान्यतया सरकार अपनी ओर से महान् व्यक्तियों के भी स्मारक नहीं बनाया करती। यदि दूसरे संगठन ऐसा कार्य करते हैं तो सरकार यथासंभव उनकी सहायता कर देती है। लेकिन सरकार नेताजी की स्मृति के सम्मानार्थ सभी आवश्यक कदम उठायेगी। किन्तु जो कारण मैंने अभी बताये हैं उनके आधार पर संकल्प को स्वीकार करने में सरकार असमर्थ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह बात पिछले सत्र में उठाई गई थी क्या सरकार ने उनके परिवार के सदस्यों से इस बारे में परामर्श किया था ; यदि हां तो परिवार वालों की राय क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह तो याद नहीं है कि इस संकल्प के बारे में राय ली गई थी किन्तु इतनी बात जरूर है कि दो या तीन बार परिवार वालों से पूछा गया था । सामान्यतः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि हम पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखते हैं और वह नेताजी के परिवार के सदस्यों से मालूममात करते हैं । लगभग दो वर्ष हुए तब उन्होंने बताया था कि सरकार को इस बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहिये क्योंकि इस बारे में विभिन्न राय हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): जनता में ऐसी भावना है कि नेताजी की राष्ट्रीय स्तर पर एक यादगार बनाई जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा यह अभिप्राय: नहीं है कि उनके लिये कोई यादगार अलग से न बनाई जाये ; मैं ने तो यही कहा था कि उस शताब्दी में यह निर्णय किया गया था कि सबकी याद में एक यादगार बनाई जाये । मैं समझता हूं कि नेताजी की याद में कलकत्ता अथवा किसी और दूसरे स्थान पर एक यादगार बनाई गई है ।

सरदार इक़बाल सिंह : जनाब डिप्टी स्पीकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अभी हाउस में जो फरमाया है उससे मेरी जो इस रेजूलेशन के लाने की मंशा थी वह पूरी हो गयी है । मेरा इस रेजुलेशन को लाने का मुद्दा सिर्फ यह था कि एक तो जो यह मुल्क में कंट्रोवर्सी चल रही है कि सरकार नेताजी को जो होमेज और औनर ड्यू है वह नहीं देना चाहती है, वह जरा साफ हो जाय और वह मुद्दा इससे पूरा होगया है और अब यह चीज साफ तौर से जाहिर हो गई है कि सरकार उन को इज्जत देना चाहती है । मेरे रेजूलेशन के रखने से इस हाउस की ख्वाहिशात मुल्क के सामने आगयी हैं और यही मेरा मकसद था । मैं समझता हूं कि मेरा जो यह रेजूलेशन लाने का मुद्दा था वह पूरा हो गया है ।

जहां तक उन का मेमोरियल बनाने का सवाल है यह चीज कह दी गई है कि नेता जी का मेमोरियल शहीदों के साथ बनेगा और इलहदा भी बनेगा । मैं समझता हूं कि मेरा मकसद इस रेजूलेशन के लाने का पूरा हो गया है और मैं हाउस की इजाजत से अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति है ।

संकल्प, सभा की अनुमित से वापस लिया गया ।

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों के हटने के बारे में संकल्प

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि भारत सरकार को पुर्तगाल सरकार को गोआ, दमन और दीव से हटने के लिये एक अन्तिम चुनौती दे देनी चाहिये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मेरे सामने १५ अगस्त, १९५५ का वह नज़ारा है, जब कि हमारे देश के नौजवान, हमारे भाई और बहनें, शहीदों की टोलियां सालाज़ार के जुल्मो-तशद्दुद के खिलाफ़ गोआ में हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराने के लिये आगे बढ़ रहे थे। मैं उस वक्त किरकी में था और मुझे याद है कि जब मैं उन शहीदों की टोलियों को देखता था, तो मेरे दिल में यह ख्याल आ जाता था, कि अगर हमारी सरकार कुछ थोड़ी बहुत मदद कर देती, तो शायद हामरा वह अनमोल झंडा, जिस को लाखों माताओं-बहनों के सुहाग लुटवाने के बाद हम ने हासिल किया, वहां पर लहराने लग जाता। १५ अगस्त, १९५५ के दिन हमारे जो भाई वहां पर शहीद हुए थे, मैं चाहता हूं कि आज के दिवस में उन अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं, जिन की लाशें हम लोग ला सके थे। वे भाई थे महाराष्ट्र से हिरवे गुरुजी, पंजाब से सरदार करनैल सिंह, मध्य भारत से राज भाऊ महाकाल, मध्य प्रदेश से मधुकर चौधरी, उत्तर प्रदेश राममिरि साधु, सूरत से व्यास अमृत नाथू राम, आन्ध्र से एस० एस० रामराव, मध्य भारत से बापू लाल होट वाला और नाथूजी कामले।

हमारे ऐसे भी साथी थे, जिन की लाशों को लाया नहीं जा सका और जिन को वहीं पर सालाज़ार की जबर्दस्त हुकूमत ने जला डाला तथा लोगों को उन के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। उन के नाम थे: हनुमन्तैथा तेनगुटे कर्नाटक से, अन्दनया गजेन्द्र गढ़ कर्नाटक से, राजस्थान से पन्नालाल यादव, आन्ध्र से जगन मोहन राव और सुब्बाराव गुरु, यू० पी० से वृजमोहन शर्मा, मध्य भारत से जे० श्याम घरमारे और कल्याण शर्मा और महाराष्ट्र से शेषनाथ वाडेकर।

इतना ही नहीं, उस के बाद २४ जून को अमीरचन्द गुप्ता, ४ अगस्त को नित्यानन्द साहा और ३ अगस्त को बी० के० थोराट भी वहां पर शहीद हुए थे। आज इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और जो प्रण उन्होंने किया था, उसको हम भी याद करें।

इस सदन के तीन माननीय सदस्यों ने भी गोआ की आजादी के संघर्ष में भाग लिया। हमारी बहादुर बहन, श्रीमती सहोदराबाई ने वहां पर गोलियों का मुकाबला किया। हमारे बहादुर और माननीय दोस्त, श्री एन० जी० गोरे, ने इक्कीस महीने और श्री त्रिदिव चौधरी ने उन्नीस महीने तक सालाज़ार के कारावास में अपना जीवन व्यतीत किया।

आज हमारे सामने केवल गोआ का ही सवाल नहीं है, बल्कि पुर्तगाली साम्राज्यवाद, पार्टुगीज़ कालोनियलिज्म, को खत्म करने का बहुत बड़ा सवाल है। आज अफ्रीका में, जोकि जाग रहा है और जिस ने अंगड़ाई ली है, अंगोला का बहुत बड़ा सवाल है। आज अफ्रीका के लोग, जिन को सोए हुए अफ्रीकी कहा जाता है, जाग रहे हैं और कहते हैं कि अगर गोआ को आज़ाद किया गया और सालाज़ार की हुकूमत के खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई हिन्दुस्तान ने की, तो वहां पर लिबरेशन मूवमेंट को काफ़ी मदद मिलेगी। इस से पहले जब कभी, चाहे अक्तूबर, १९६० हो, चाहे मई, १९६१, इस सदन में या बाहर यह सवाल आया, तो हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी ने यही कहा कि मिलिटरी एक्शन इज़ रूल्ड आउट——मिलिटरी एक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि हाल ही में हुए सैमिनार में भाषण देते हुए उन के जज़बात भी कुछ उभर आये और समाचारपत्रों में उन के भाषण के बारे में यह लिखा गया कि श्री नेहरू ने और बातों के साथ यह भी उल्लेख किया कि गोआ के

लिये सैनिक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस से साफ़ ज़ाहिर है कि आज इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि पुर्तगाल की हुकूमत को चुनौती दी जाये, तो उस का मतलब यह नहीं है कि आज ही अपनी फ़ौज गोआ में भेज दी जाये और फ़ौरन ही वहां एक्शन लिया जाये। उस का उद्देश्य यह है कि कम से कम एक चुनौती उस को दी जाये कि वह गोआ, दमन और दीव से हट जाये। माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, ने इस प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया है, जो इस प्रकार है कि संकल्प में २६ जनवरी की तिथि नियत कर दी जाये।

हिन्दुस्तान के इतिहास में २६ जनवरी से पवित्र दिवस और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए पुर्तगाल को यह अल्टीमेटम दिया जाये कि चौदह साल से उस के शान्तिमय ढंग से हट जाने की बात हो रही है, लेकिन वह नहीं हटा और अब २६ जनवरी, १९६२ तक वह नहीं हटा, तो उस के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैं समझता हूं कि इतने अत्याचार और रिप्रेशन सहन करने के बाद अगर पुर्तगाल के खिलाफ यह कार्यवाही की जाये, तो तमाम दुनिया की हमदर्दी, कुछ लोगों, नाटो पावर्ज़ आदि, को छोड़ कर दुनिया के सब तरक्कीपसन्द लोगों की हमदर्दी हिन्दुस्तान की सरकार के साथ होगी।

इस बारे में दिये गये पंडित जी के भाषण के बाद हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद यह सोच कर कि गोआ में पुलिस एक्शन या मिलिटरी एक्शन में खर्चा ज्यादा होगा और उस को फिर रुपये के लिये अमरीका और रूस की तरफ़ जाना पड़ेगा यह कहा कि गोआ की समस्या को शान्तिमय ढंग से हल किया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री जी के इस बयान के बाद वित्त मंत्री को बयान देने की क्या ज़रूरत थी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, चाहें वह प्रधान मंत्री जी हों, चाहे वित्त मंत्री जी, एक ही जगह से, एक ही सेमिनार में जब तरह तरह के भाषण देते हैं, तो मालूम होता है कि यह मंत्रिमंडल एक नहीं है। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, जिन से आदमी यह सोचने लगता है--मुझे कहने में शर्म महसूस होती है--कि क्या यह मंत्रिमंडल है या शिवजी की बरात है। पता नहीं, क्या क्या बातें कौन कौन कह डालते हैं। मुझे मालूम नहीं कि वित्त मंत्री जी को ऐसी बातें कहने की क्या ज़रूरत थी। जब अफ्रीका और एशिया की ताकतें गोआ की आज़ादी की जंग में हिन्दुस्तान को मदद के लिए आने वाली थीं, उस वक्त उन्हों ने अपना भाषण दे कर पूज्य प्रधान मंत्री की चुनौती पर पानी फेर दिया।

लेकिन उस का जवाब भी पिन्टो साहब ने दे दिया। उन्हों ने कहा कि गोआ के मसले को शान्तिमय ढंग से हल करने के लिये हम ने चौदह साल तक इन्तज़ार किया है और अब साफ़ ज़ाहिर है कि शान्तिमय ढंग से यह मसला हल नहीं हो सकता। आप समाचारपत्रों को देखिये, उन के एडिटोरियल को पढ़िए। वे सब कहते हैं कि हम ने सालाज़ार सरकार को अपनी शक्ति दृढ़ बनाने का मौका दिया है। बाकायदा लिसबन से उन की आर्मी आ रही है। १९५७ की बात आज भी हमें याद है जबकि एक पत्र की शक्ल में गार्जियन में एक चीज़ छपी थी। मैं उस को पढ़ने के लिये तैयार हूं। यह चीज़ तब छपी थी जबकि हमारे नेशनलिस्ट को उन्होंने मारा था और मारने के बाद जीप के साथ बांध कर जिन्दा हालत में वे ले गये थे और ले जाने के बाद पैट्रोल से सोक किया गया और आग लगा कर तमाशा देखा गया। इस तरह के जो ज़ुल्म वहां पर हो रहे हैं, इन को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे शहीद वहां पहुंचे थे। हमारे यहां के सदस्य वहां गये थे। गोआ की जेलों में भी उन को एड़ियों और बेड़ियों की झंकार में एक इनकलाबी तराना ही था। मैं समझता हूं कि उस वक्त भी सालाज़ार की हुकूमत की नींव हिल गई थी और अगर उस हिलती हुई नींव को रोकने की कोशिश नहीं की गई होती तो उस के अच्छे नतीजे निकल सकते थे। मैं चाहता हूं कि आज भी कोई गलती आप न करें।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं जानता हूं कि आज भी यहां पर कहा जायगा कि यह हमारी अहिंसा की नीति के खिलाफ होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हैदराबाद के सिलसिले में वहां के निज़ाम ने जब तैयारियां बदली थीं और कहा था और यह दावा भी किया था कि रज़ाकारों की मदद से वह अपनी सत्ता को कायम रखेंगे तो इस नीति पर नहीं चला गया था और क्या यह बात सच नहीं है कि एक दफा के पुलिस एक्शन से उन की स्कीमों की तमाम इमारतें चूर चर हो गई और वह हमारी सरकार के कदमों में झुक गये।

गोआ को आज़ाद कराने के बारे में किसी कनवेंशन या सैमीनार की ही राय नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों की, हर खास और आम की राय है और वे चाहते हैं कि गोआ पर जो साम्राज्य-वादी शक्ति अपना पंजा जमाये बैठी है, उस आखिरी पंजे को हमारे देश की धरती से हटा दिया जाय। यही सवाल विदेशों में जो हमारे विद्यार्थी हैं, वे भी समय समय पर करते रहते हैं। श्री एम० सी० सीतलवाद, एटार्नी जनरल साहब जब वह हेग से वापिस लंदन आये तो वहां के विद्यार्थियों ने उन से सवाल किया और पूछा कि आखिर नो-एक्शन पालिसी सरकार की कब तक चलेगी। उन्होंने भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश की लेकिन उन को किसी भी तरह से इस से तसल्ली नहीं हुई। इस का कारण यह है कि लोग वहां पर हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनते और पढ़ते हैं। वे कहने लग गये हैं कि धीरज की भी कोई सीमा होनी चाहिये और इस की भी आखिर एक सीमा होती है। यह सीमा पार हो चुकी है। अखबारों में जो कुछ छपता है, उस को आप देखें। १९६० और १९६१ के जो अखबारात हैं, उन में गोआ के बारे में जो कुछ छपा है, आर्टिकल निकले हैं, उन के आधार पर भी मैं आप को बता सकता हूं वे समझते हैं कि एक वैहशी हुकूमत इंसानियत के जामे में हैवानियत का नंगा नाच कर रही है। हमारे नैशनल जो आज आन्दोलन कर रहे हैं और गोआ को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन की लाशों पर सालाज़ार नंगा नाच कर रहे हैं। यह नंगा नाच कब तक चलता रह सकता है, कब तक इस को चलते रहने की हम इजाज़त दे सकते हैं। ये तमाम जो खबरें हैं ये लोगों को पहुंचती हैं। मैं समझता हूं कि आज अगर यहां से इस पार्लियामेंट से, एक राय से हम लोग एक चुनौती दे दें तो उस का असर जरूर होगा और वह चुनौती जरूर ंग लायेगी। हिन्दुस्तान की सरकार का इस लोक सभा में, इस सदन में यह एक राय से कह देना कि गवर्नमेंट अगर इस सवाल के बारे में २६ जनवरी १९६२ तक कोई फैसला नहीं हुआ तो कुछ कदम उठायेगी और वह कदम ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई प्रोटेस्ट नोट भेज दिया जाता है जिस का जवाब तक नहीं आता है बल्कि ऐसा होगा जो अपना असर दिखायेगा। साफ तरीके से हमें कहना पड़ेगा कि आर्मी या पुलिस एक्शन हम लोग करेंगे।

मैं अपने माननीय सदस्य श्री श्रीनारायण दास जी के सबस्टीट्यूट मोशन को पढ़ कर के दंग रह गया। इस में आप फरमाते हैं कि सरकार उपयुक्त कार्यवाही करे। यहां तक तो मेरी समझ में यह आती है। इतनी सी अंग्रेज़ी तो मैं भी अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन बाद की अंग्रेज़ी ज़रा टेढ़ी है और वह सालाज़ार की अंग्रेज़ी मालूम पड़ती है, पुर्तगाली अंग्रेज़ी मालूम पड़ती है। वह कहते हैं :—

"इस के लिये जनमत-संग्रह कराया जाये।

श्री नाथ पाई : शेमफुल।

श्री स० मो० बनर्जी: आप सालाज़ार के बयानात को पढ़ें और उन को पढ़ने के बाद इस सबस्टीट्यूट मोशन को पढ़ें तो आप को सब चीज़ साफ हो जायगी। ऐसा कह कर क्या आप नहीं समझते

हैं कि आप पुर्तगाली साम्राज्यवादियों के हाथ में एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जिस का वे दुरुपयोग कर सकते हैं और क्या इस का मतलब यह नहीं होगा कि सालाजार साहब जो करते हैं ठीक करते हैं, जो कहते हैं ठीक कहते हैं और जो कुछ हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं, सब गलत कहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कोई एक्सेप्ट नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस को ऐसे मौके पर उन्होंने क्यों मूव किया है। मेरे पास सौ से ज्यादा चिट्ठियां आई हैं जिन में लोगों ने मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि इस प्रस्ताव के बारे में आप प्रधान् मंत्री जी की मिन्नत करें, उन के सामने आप सारी बातों को साफ तरीके से रखें और उन को विश्वास दिलाये कि यहां की जनता इस स्ट्रगल में उन का साथ देगी और उन से कहें कि एक गरजती हुई आवाज़ में, एक आज़ाद देश की आवाज़ में लोगों को आह्वान करें कि हम साम्राज्यवादियों के पंजे को हिन्दुस्तान की धरती पर जमे रहने नहीं देंगे।

मैं समझता हूं कि अब तो हमारा केस बिल्कुल साफ है। नागर हवेली और दादरा के बारे में वर्ल्ड कोर्ट का जो जजमेंट है वह हमारे हक में जाता है। अगर यह कहा जाता है कि नाटो के हाथ में कठपुतली है जिस को एक रस्सी इन के हाथ में है और ये नाचते रहते हैं, तो यह बात भी गलत है। सालाजार में यह मजाल कहां से आई कि वे यू० एन० में खड़े हो कर या दूसरी जगह खड़े हो कर कहें कि हमारे देश के लोग भूखों मरते हैं, फाकाकशी करते हैं? १५ अगस्त १९५५ के दिन जिस दिन हमारे नौजवान, करनैल सिंह, शाह, थोरट वगैरह तिरंगा झंडा ले कर आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त अगर हिन्दुस्तान की सरकार एक दफा कह देती कि हमारी मदद तुम्हारे साथ है तो विश्वास मानिये कि वह झंडा गोआ में भी लहराता। आज भी मौका है कि हम इस को करें।

इस मामले में बाहर वालों ने भी हमारा समर्थन किया है। एडलाई स्टिवेंशन ने जो यहां आये थे, १६ या १७ मार्च १९६१ को एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था गोवा के प्रश्न पर अमरीकी रवैया में स्पष्ट ही परिवर्तन लक्षित है।

स्टिवसन साहब वह भी कह गये हैं कि राइट आफ सैल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए। रूस के प्रधान मंत्री जब इस देश में आए थे तो उन्होनभी हमरा समर्थन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि १९५५ में हमारे कितने वालेंटीयर वहां गये थे। उस वक्त मैं भी एक सरकारी कर्मचारी था। मुझे भी श्री एम० एम० जोशी ने एक आहवा दिया था पूना में कि वालेंटीयर दिये जायें। मेरी सोलह साल की नौकरी थी। मैं ने कहा कि मैं चलूंगा। कोयम्बटूर से, मद्रास से और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से कोने कोने से शहीदों की टोलियां चलीं। वे देखना चाहते थे कि वहां पर क्या हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है और न ही कोई ऐसा सवाल है कि जिसका कोई विरोध हो। मुझे चिट्ठी लिखी सालाजार के किसी साहब ने गोआ से और इस तरह की मेरे पास तीन चार चिट्ठयां आई हैं जिनमें इस तरह चीजें लिखी हुई हैं :—

"सालाज़ार जिन्दाबाद" "तुम सोवियत रूस के गुर्गे हो"।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यकीन मानिये कि इन चिट्ठियों को पढ़ कर मुझे उतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा कि श्री श्रीनारायण दास जी के सबस्टीट्यूट मोशन को पढ़कर, हुआ है।

[श्री स० मो० बनर्जी]

गोआ से मुझे जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, वे सालाजार के दोस्त हो सकते हैं और उनको आप छोड़ दीजिये। लेकिन हिन्दुस्तान में आज के दिन अगर इस तरीके का प्रस्ताव पास किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे जम्हूरी उसूलों की बुनियादें ही हिल जायेंगी। हमें साम्राज्यवादी ताकत का मुकाबला करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आंधी उठी थी, अंगोला में, मार्च १९६१ में। वहां पर विद्रोह हुआ सरकार के खिलाफ और वहां की सरकार थर्रा गई। वहां पर लोगों ने कहा कि अफ्रीका का, अंगोला का हमारा मसला तभी हल हो सकता है अगर गोआ के बारे में फैसला हो जाये और मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग इसका फैसला कर लें और एक यह चुनौती चली जाये और उनको यह मालूम हो जाये कि हिन्दुस्तान की सरकार और लोग काफी सह चुके हैं, काफी लोग वहां पर मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो यह मसला आसानी से हल हो सकता है। जो वहां पर शहीद हो चुके हैं, उनकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है यह लीस्ट आफेंसिव है, लीस्ट कंट्रोवर्शल है। इस में यह नहीं कहा गया है कि अभी चलो बल्कि यह कहा गया है कि अल्टीमेटम दे दिया जाये। सालाजार साहब को साफ तरीके से यह बतला दिया जाय कि सालाजार साहब, आप मेहरबानी करके जाने का बन्दोबस्त कीजिये, वर्ना हम आप को भेज देंगे। और मैं समझता हूं कि यह मुमकिन होगा। अपने प्रधान मंत्री जी के बयानों को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे खुशी होती है, और यकीन मानिये आप, कि जो उन का आखिरी बयान निकला; मैं समझता हूं कि कम से कम यह उन के दिल का बयान था, और यह बात सामने आई कि वे इस बात को चाहते हैं।

इसलिये अपने प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मैं यह मांग करता हूं, सदन से, कि इस प्रस्ताव को नामंजूर न किया जाय, सिर्फ इसलिये कि बदकिस्मती से बैलट में यह मेरे नाम से आया है। मैं राष्ट्रीयता के नाम पर कोई बात नहीं कहना चाहता, मेरी कुर्बानी, राष्ट्रीय आन्दोलन में, शायद कुछ नहीं है : लेकिन आज जब यह सवाल उठता है तो कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं, और मेरे पास चिट्ठियां भी आई हैं, कि बनर्जी साहब, इसी प्रस्ताव की तरह से चीन के बारे में भी एक प्रस्ताव दे दीजिये। मैं एक चीज का यकीन दिलाना चाहता हूं, इस सदन में, कि हिन्दुस्तान की धरती के बारे में अगर कोई सवाल हुआ तो, मैं यह तो नहीं कहता कि राष्ट्रीयता की सारी मोनोपोली मेरी है, मैं यह तो नहीं कहता कि सारे हिन्दुस्तान की खिदमत में मैं ने जवानी खोदी, मैं तो एक मामूली सिपाही हूं, कभी कभी सरकार की लाठियां और गोलियां खाई हैं, लेकिन एक जीव हो सकता हूं उन लोगों में से जो कि इस सदन के ८० फी सदी लोगों में से नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा विश्वास दिलाता हूं कि अगर कभी देश की धरती के बारे में कोई सवाल उठा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने आवाहन किया तो देश के एक सच्चे नागरिक होने की हैसियत से मैं सिर्फ अपने को ही उन की खिदमत में पेश नहीं कर दूंगा बल्कि १३ साल के अपने एकलौते बच्चे को भी उन के चरणों में डाल कर कहूंगा कि अगर हिन्दुस्तान की धरती को बचाने के लिये निछावर होने की जरूरत हो तो वे उस की भी कुर्बानी दे दें।

मैं जजबाती आवेश में आकर यह चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ने देखा किस तरह से पूना में उन लोगों की लाशें लाई गईं, मैंने देखा कि किस तरह से गोलियों से परेशान हो कर वे लोग वहां आये थे। मैंने देखा था कि किस तरह से उन को मारा गया, गेस्टापो मेथड्स के तरीकों से मारा गया, पागल कर दिया गया और अन्धा कर दिया गया। यह हालतें मैं ने अपनी आंखों से देखीं। इस

लिये मैं समझता हूं कि यह साम्राज्यवाद का आखिरी पंजा हिन्दुस्तान से खत्म होना चाहिये, और मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी मेरे इस प्रस्ताव को मानेंगे और उसको सदन भी एक राय से पास करके सालाज़ार की हुकूमत के सामने भेजेगा ताकि हमारा जागा हुआ अफ़्रीका और जागे और साम्राज्यवाद का खातमा करके उसको कब्रिस्तान में भेज दिया जाय। साम्राज्यवाद की आखिरी जनाजा हिन्दुस्तान और अफ़्रीका के कन्धों पर निकले ताकि यह जनाजा बहुत अच्छी तरह से निकल सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किन्तु अपने वर्तमान स्वरूप में वह प्रस्ताव अधूरा है क्योंकि उसमें इस बात के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि जिसके भीतर पुर्तगाल को भारत छोड़ कर चला जाना चाहिये। यदि हम उन को अल्टिमेटम देंगे तो उसमें तारीख बतलानी आवश्यक है, और इस लिये मैंने संशोधन उपस्थित किया है कि पुर्तगाल से कहा जाय कि आगामी २६ जनवरी तक, जो कि भारत का गणराज्य दिवस है, पुर्तगाल गोवा, डामन और ड्यू को छोड़ कर चला जाय।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक गोवा गुलाम है तब तक भारत की आजादी अधूरी है। हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक भारत में पुर्तगाली बस्तियां कायम हैं। प्रश्न यह है कि इन बस्तियों की स्वतन्त्रता के लिये हम ने क्या किया है? गोवा के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है? हमने पुर्तगाल के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लिये, किन्तु उससे गोवा की आजादी निकट नहीं आई। हम ने इन बस्तियों में काम करने वाले पुर्तगाली शासन के विरुद्ध आर्थिक कदम उठाने की कोशिश की, उन का भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब यह सरकार का काम है कि वह बतलाये कि यदि गोवा की आजादी इस का लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वह क्या कर रही है।

जहां तक विश्व के जनमत का सवाल है, संयुक्तराष्ट्र संघ में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है, और उठानी चाहिये। लेकिन उसके परिणामस्वरूप गोवा की आजादी आ जायेगी इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। अंगोला में पुर्तगालियों ने अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी है। विश्व के मंचों से उसकी कठोर निन्दा की गई है, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्यवादियों पर इसका प्रभाव होगा, इसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब यदि कूटनीतिक, आर्थिक और जनमत के जागृत करने के प्रयत्न विफल हो गये, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है जिस के द्वारा हम इन पुर्तगाली बस्तियों को मुक्त देखना चाहते हैं। दो ही रास्त हो सकते हैं। या तो भारत की सरकार जनता को इन बस्तियों की मुक्ति के लिये कदम उठाने की छूट दे। सत्याग्रह आन्दोलन चला था और सारे देश से उस आन्दोलन में भाग लेने के लिये लोग गये थे। हो सकता था कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती कि पुर्तगाली शासन को गोवा छोड़ कर जाना पड़ता, लेकिन शासन ने उस सत्याग्रह को चलने नहीं दिया। अब यदि सत्याग्रह का रास्ता बन्द है और जनता शांतिपूर्ण प्रयत्नों से पुर्तगाल की जेलों में पड़े हुए भारतीय बन्धुओं की स्वतन्त्रता के लिये कोई कदम नहीं उठा सकती, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि गोवा की आजादी का उसके सामने कौनसा तरीका है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाजपेयी]

यह कहना कि पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध सारे संसार में रोष की लहर बढ़ रही है, अफ़ीका में प्रचन्ड आन्दोलन चल रहा है और पुर्तगाली साम्राज्यवाद के दिन इने गिने हैं, और अगर अफ़ीका से पुर्तगाली साम्राज्य खत्म हो गया तो गोवा में कितने दिन तक वह रह सकता है, भारत के लिये कोई स्वाभिमान की बात नहीं है। अफ़ीका के लोगों की आजादी से, उनके आजादी के प्रयत्नों से गोवा आजाद हो जाय, क्या स्वतन्त्र भारत की जनता के लिये और उसकी भारतीय सरकार के लिये यह कोई बड़े गौरव की बात होगी? सारे संसार में हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र संघ में पूंजीवाद की निन्दा में प्रस्ताव लाते हैं और साम्राज्वाद समाप्त होना चाहिये इस तरह की मांग करते हैं, मगर अपनी छाती पर हम पुर्तगाली साम्राज्यवाद को सहन कर रहे हैं। अगर हम पूंजीवाद की समाप्ति चाहते हैं तो उस समाप्ति का आरम्भ गोवा की मुक्ति से होना चाहिये, और इसके लिये सरकार के सामने एक ही रास्ता है। सब प्रयत्न करके वह देख चुकी है। और वह रास्ता यह है कि वह पुलिस कार्रवाई करे। इसके लिये पुर्तगाल को एक अल्टिमेटम देना आवश्यक है। कुछ दिनों से कहा जाने लगा है कि गोवा की आजादी के लिये अगर बल प्रयोग करना पड़े तो हम बल प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। वह गोवा की आजादी के लिये ही नहीं, भारत की भूमि का कोई भी भाग हो, यदि उस पर पुर्तगाल का कब्जा है या कम्यूनिस्ट चीन का कब्जा हो या पाकिस्तान का कब्जा हो, और उसकी आजादी के लिये बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो बल प्रयोग होना चाहिये। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है। जो सुरक्षा मंत्री पुर्तगाल के विरुद्ध बल-प्रयोग की बात करते हैं वह यह भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं कि लद्दाख में चीन की फौजें आगे बढ़ी हैं या वह फौजें आगे बढ़ रही हैं। वह कहते हैं कि वे चीनी फौजें नहीं हैं बल्कि कुछ चीनी तत्व हैं। और फिर कहा जाता है कि और मसले हम शान्ति के साथ तै करेंगे। हां गोआ में बल-प्रयोग हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि बल प्रयोग की हर एक सरकार को छूट होती है, और सब सवालों को शान्ति से हल करने के हमारे मंतव्य का यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सार्वभौम सत्ता पर, अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी सुरक्षा पर जो संकट आया है उसके लिये भी बल का प्रयोग नहीं कर सकते। अहिंसा का यह अर्थ नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि मेरी अहिंसा में तलवार चलाने की जगह है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ने काश्मीर को बचाने के लिये सेना भेजी थी। अहिंसा या शान्ति से समस्याओं को हल करने का हमारा निश्चय गोआ की आजादी में बाधक नहीं बन सकता।

हमने निश्चय किया है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी की आजादी पर आंच नहीं लायेंगे, हम किसी की स्वतंत्रता को ललचाई हुई आंखों से नहीं देखेंगे, हम किसी की सुरक्षा के लिए संकट का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि जो हमारी भूमि पर आक्रमण करेगा उसका हम मुकाबला नहीं करेंगे। और पुर्तगाली बस्तियां क्या हैं? भारत पर चार सौ साल से निरन्तर चलने वाला एक आक्रमण है, और इस आक्रमण को हटाने के लिए बलप्रयोग करना यह कोई अनैतिक कार्य नहीं है। यह वैध है, नैतिक है और अपनी सार्वभौम सत्ता की रक्षा के लिए यह हमारा कर्त्तव्य है। यह हमारे स्वाभिमान के अनुकूल है।

गोआ की गुलामी हमारी स्वतंत्रता को अधूरा बनाती है। गोआ की गुलामी हमारी सुरक्षा के लिये संकट पैदा कर रही है, गोआ की गुलामी भारत की जनता को आजादी के आलोक से वंचित

कर रही है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारी घोषणाओं का मजाक बना रही है। गोआ की गुलामी हमारे लिये एक चुनौती है, भारत की मरदानगी के लिए एक ललकार है, और अगर शासन समझता है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसकी घोषणाएं संसार में गंभीरतापूर्वक ली जानी चाहियें, तो उसके लिये एक ही रास्ता है कि गोआ की आजादी के लिये सक्रिय कदम उठाये। हमने पुर्तगाल से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए, उस के विरुद्ध आर्थिक नाकेबन्दी भी की परन्तु वह विफल रही। संसार के जनमत को जगा कर भी हम पुर्तगाल के हिंसापूर्ण हृदय को नहीं बदल सके। अब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता है कि हम पुर्तगाल से उस भाषा में बात करें जिस को वह समझता है। और पुर्तगाल एक ही भाषा को समझता है। पुर्तगाल से कह दिया जाय कि या तो तुम हमारी भूमि खाली कर दो नहीं तो जो तुम्हारी बची खुची सत्ता है उस को हम सागर में डुबो देंगे। भारत की जनता भारत की इन बस्तियों की गुलामी के कलंक के टीके को अब अपने माथे पर ज्यादा दिन बरदाश्त नहीं करेगी।

इसलिये मैं ने सुझाव दिया है कि आगामी २६ जनवरी सन् १९६२ तक की तिथि निर्धारित कर दी जाय और पुर्तगाल से कह दिया जाय कि इस तिथि तक भारत की भूमि खाली करके चले जाइये। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट निर्धारित करनी चाहिये कहा जाता है कि बल प्रयोग किया जायेगा। मगर उसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि बल प्रयोग की बात इसलिये की जा रही है कि भारत की जनता का ध्यान चीनी आक्रमण की ओर से हटाया जा सके। मैं तो इन आरोपों में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये आरोप लगाये जा रहे हैं और इन का सम्बन्ध बम्बई के एक चुनाव से जोड़ा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट शब्दों में घोषित करनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि हमारे प्रधान मंत्री जी कहें कि बल प्रयोग हो सकता है और हमारे वित्त मंत्री कहें कि बल प्रयोग करना ठीक नहीं है। इस से भ्रम पैदा होता है। इस से जो लोग गोआ की आजादी के लिये सहानुभूति रखते हैं उन को भी गलत विचार करने का मौका मिलता है। हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये, और मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रकार का लाभ उठा कर गोआ के संबंध में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करे।

जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो यही चाहूंगा कि २६ जनवरी तक का पुर्तगाल को अल्टीमेटम दिया जाय और अगर वह इस अवधि में नहीं जाता तो पुलिस कार्रवाई की जाय। वह लड़ाई नहीं होगी, पुलिस कार्रवाई होगी। इसी प्रकार पुर्तगाल को भारत की भूमि छोड़ने के लिये विवश किया जा सकता है। इससे विश्वयुद्ध आरम्भ होने की सम्भावना नहीं है और न यह आशंका है कि नाटो राष्ट्र इसमें आ कूदेंगे। इसकी कोई सम्भावना नहीं है। यह हमारे और पुर्तगाल के बीच का मामला है। इसके लिये हमारी सरकार में दृढ़ता होनी चाहिये, जरा पुरुषत्व चाहिये और गुलामी को मिलने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने का साहस चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १ और २ सभा के सामने हैं। संकल्प और संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : माननीय प्रस्तावक को बंगाल के शेर की खासियत मालूम होगी। हमें बंगाल के शेर के भांति ही बिना कोई चेतावनी दिये गोआ पर टूट पड़ना होगा। यही हमारे देश की प्रतिष्ठा और गरिमा के अनुरुप होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम ग्राल्वा]

हम गोग्रा के बारे में १९४७ में एक भारी गलती कर चुके हैं।

ब्रिटेन ग्रौर उसके प्रतिनिधियों ने इस मामले में हमारे साथ उचित ग्रौर न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं किया है।

१९५५-५६ में जब एक तरुण, श्री टोनी डिसूज़ा ने ग्रहिंसक सत्याग्रह किया था, तब ब्रिटेन के उच्च ग्रायुक्त ने हमारे वैदेशिक-कार्यालय को शायद एक विरोध-पत्र भेजा था। डिसूज़ा को ग्राठ वर्ष की सजा कर दी गई थी। उस ग्रान्दोलन में पांच हजार हिन्दू नारियों ने भाग लिया था। मैं उन का ग्रभिनन्दन करता हूं। लेकिन कांग्रेस दल ने ग्रहिंसा की नीति ग्रपनाई थी, इसलिये हमें उसका ग्रनुसरण करना पड़ा।

चूंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रहिंसापूर्ण नीति की बात करते हैं, इसलिये हमें ग्रपनी गृह-नीति भी उसी के ग्रनुरूप रखनी पड़ेगी। इसीलिये हमने ग्रपनी नौसेना ग्रौर वायुसेना को गोग्रा पर धावा करने का ग्रादेश नहीं दिया।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने, श्री गोरे ने, गोग्रा की जेलों की मुसीबत झेली है। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ग्रौर श्री देशपांडे ने भी वे यातनायें सही हैं। मैं उन का ग्रादर करता हूं। श्रीमती सहोदराबाई ने भी गोग्रा की सीमा पर गोली खाई थी।

इससे सिद्ध होता है कि भारत की सर्वोत्तम ग्रौर महान् नारियां ग्रंग्रेज़ी का एक शब्द तक नहीं जानतीं। ऐसी नारियों के रहते, हमें ग्रपने देश के भविष्य पर पूर्ण विश्वास है।

पाकिस्तान बड़ी सक्रियता से पुर्तगाली सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। वह ग्रासाम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ाने के लिये ग्रपने यहां से बड़ी तादाद में मुस्लिम भेज रहा है।

इसलिये हमारी सीमा सम्बन्धी समस्यायें बड़ी गम्भीर हैं। हमें उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। वास्तविक शक्ति से सम्पन्न देश बार-बार धमकियां देने में यकीन नहीं करते।

हमें ब्रिटिश सरकार ग्रौर पुर्तगाली सरकार के बीच भेद करना चाहिये। पुर्तगाली सरकार, ब्रिटिश सरकार की भांति उपनिवेशों से हटना नहीं चाहती। उस ने गोग्रा की संस्कृति चौपट कर दी है। वह लोगों को मराठी भाषा नहीं पढ़ने देना चाहती। उस का ईसाई धर्म उसे ग्रमानवीय ग्रत्याचार करने से नहीं रोकता।

पांच सौ वर्ष पूर्व जो भी स्थिति हो, ग्राज तो ईसाई धर्म के सब से बड़े पोप कभी भी नहीं कहेंगे कि गोग्रा पुर्तगाल का है। हमारे प्रधान मंत्री से पोप ने कहा भी था कि गोग्रा का मामला धार्मिक मामला नहीं है, जिस का मतलब है कि हम पुर्तगाल के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम पुर्तगाल को उसी भांति चुनौती नहीं दे सकते, जैसी कि हमने ब्रिटिश सरकार को दी थी। हमें ग्रपनी सीमाग्रों पर मंडराने वाले खतरे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने इस बार स्पष्ट कह दिया है कि गोग्रा के मामले में सैनिक कार्यवाही बिलकुल नामुमकिन नहीं है।

ग्रब ग्रमरीका ने भी गोग्रा के बारे में ग्रपना रवैया बदल दिया है। श्री स्टीवेन्सन ने कह दिया दिया है कि गोग्रा को ग्रात्म निर्णय का ग्रधिकार है।

हमें विश्व के जनमत को गोवा के प्रश्न पर और अधिक जागरूक बनाना चाहिये। तब हम चुनौती दिये बिना ही कारगर ढंग से कार्यवाही कर सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : गोआ इस बात का सूचक है कि राष्ट्र के अत्यधिक महत्वपूर्ण हितों के सम्बन्ध में भारत सरकार की वैदेशिक नीति त्रुटिपूर्ण है। हमारी वैदेशिक नीति अन्य देशों के हितों को ही बल देने में अधिक सफल रही है।

मुझे याद आता है कि १९४६ में डा० लोहिया ने गोआ में जयहिन्द आन्दोलन शुरू किया था। उस समय हम लोग स्वयंसेवक बन कर गये थे। परन्तु गांधी जी ने उन को लिखा कि वह नहीं चाहते कि किसी कार्यवाही के फलस्वरूप जवाहरलाल के लिये समस्या और भी पेचीदा बन जाये, क्योंकि दोनों में शक्ति के हस्तांतरण के लिये तब वार्ता चल रही थी। उसी के आधार पर, स्वयंसेवकों को अचानक वापस आने को आदेश दे दिया गया था।

परन्तु पिछले पन्द्रह वर्षों में हमारी वैसी सभी आशायें धूल में मिल चुकी हैं। इन पन्द्रह वर्षों के दौरान, हम ने गोआ के सम्बन्ध में भाषण देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। जबकि भारत स्वतंत्र होने के समय हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि गोआ की मुक्ति के बिना भारतीय स्वतंत्रता पूर्ण नहीं मानी जायेगी। प्रश्न यह है कि गोआ को मुक्त कराने से हमें रोकता कौन है? सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र तो वही होता है जो अपने हितों की रक्षा के लिये बल का भी प्रयोग कर सके।

अहिंसा की दुहाई दे कर, हमें अपनी कमजोरी नहीं छिपानी चाहिये।

हम गोआ के सम्बन्ध में विभिन्न समितियां बनाते चले जा रहे हैं। इस से अधिक अपमानजनक चीज और कोई नहीं हो सकती। इससे सालाजार को बड़ा बल मिलता है। यह तब, जबकि भारत की समूची जनता गोआ की मुक्ति के लिये कृत-संकल्प है।

कांग्रेस ने रावी के तट पर २६ जनवरी को भारत को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की थी। सरकार उस में असफल रही है। इसीलिये जनता ने स्वयं अहिंसक उपायों से गोआ को मुक्त कराने के लिये आन्दोलन छेड़ा था।

परन्तु बम्बई सरकार की पुलिस ने ही आन्दोलनकारियों के विरूद्ध लाठी-गोलियों का प्रयोग किया था। क्या सरकार इसी तरह गोआ को आजाद करा रही थी?

भारत के सभी इलाकों की जनता आंदोलनकारियों की पंक्ति में थी। उनका नारा था :

"..........की काली गोली,
सालाज़ार की सफेद गोली,
मौत में कोई फर्क नहीं है,
भारत गोवा अलग नहीं है।"

वे भारत सरकार की अहिंसक गोलियों के शिकार बनाये जा रहे थे।

मैं पूछता हूं कि भारत सरकार को रोकता कौन है?——वह खूब जानती है कि 'नाटो' इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण सरकार की अपनी कमज़ोरी, अनिश्चय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथपाई]

हमने विश्व के जनमत को अपनी न्यायपूर्ण मांग के पक्ष में करने के लिये कुछ भी नहीं किया। पुर्तगाली सरकार १९५६ से ही यूरोप में प्रचार करती आ रही है कि गोआ धर्म और भाषा की दृष्टि से पुर्तगाल का हिस्सा है।

रोम में पुर्तगाल के इस प्रचार के विरुद्ध कई देशों के तरुणों ने प्रदर्शन भी किया था। परन्तु हमारे दूतावास ने उसको तनिक भी महत्व नहीं दिया।

भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले हमारे अतिथि प्रधान मंत्रियों से कभी भी इसका उल्लेख तक नहीं किया। आखिर भारत सरकार की नीति है क्या? हमें दूसरे देशों से भीख तो नहीं मांगनी, मैं मानता हूं, पर उनकी राय बदलने को कोशिशें तो हमें करनी चाहिये।

हम न तो गोआ, और न हिमालय क्षेत्र, और न कश्मीर में ही एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र की भांति कदम उठा पा रहे हैं। भावी पीढ़ियां इसके लिये हमें कोसेंगी।

गोआ की दासता की पीड़ा भुगतते हुए अब पन्द्रह वर्ष हो चुके हैं। अब भी यदि भारत सरकार कदम नहीं उठायेगी, तो भारतीय जनता उसे विवश कर देगी।

मैं यह नहीं मानता कि गोवा के बारे में कांग्रेस की नीति में जो नया परिवर्तन दिख रहा है, वह केवल वोट मांगने के लिये है। मैं अपने को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह परिवर्तन जनमत के दबाव के कारण हुआ है।

मैं चाहता हूं कि सरकार अपने अनिश्चय को तिलांजलि दे।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मैं गोवा के सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस समय बम्बई सरकार ने भारतीय अन्दोलनकारियों को रोकने में बल का प्रयोग किया था। फिर भी वे ६५ मील तक पैदल बढ़ते चले गये थे।

मैं केवल एक पहलू पर जोर देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से पूछता हूं कि यदि भारत में कोई स्वतन्त्र गोआ सरकार बनाई जाये, तो क्या वह समर्थन करेगी और इसे सुविधायें देगी? यही कसौटी है। यदि भारत सरकार इसके लिये तैयार नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि गोवा के संबंध में गरम-गरम भाषण दे कर वह लोगों के वोट लेना चाहती है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर): हम वर्षों से गोवा की समस्या को शांति पूर्ण ढंग से हल करने की वार्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु गोआ के अधिकारी भारतीय राष्ट्र-जनों के साथ, क्रूरतापूर्ण वर्ताव करते आ रहे हैं।

आज पुर्तगाल के सभी उपनिवेशों में सालाज़ार सरकार के विरुद्ध विद्रोह की चिनगारियां ज्वाला में बदल रही हैं। हमें भी गोआ के स्वातन्त्र्य-संग्रामियों की सहायता करनी चाहिये। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि गोआ की मुक्ति के लिये हम शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं।

हम जब भी देश के एकीकरण की बात करें, हमें यह याद रखना चाहिये कि हमें अभी गोआ को भारत के साथ एक करना बाकी है। भारत सरकार को दादरा और नागर हवेली की स्वतंत्र

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को मान्यता देने में ही कई वर्ष लग गये हैं। अभी पिछले सत्र में ही हमने उसे पूर्ण मान्यता दी है। उस समय गोआ के बारे में कड़ी कार्यवाही करने के लिये कहा गया था। परन्तु गोआ के अधिकारियों ने हमारे यात्री-स्टीमर पर गोली बारी कर दी है। गोआ के अधिकारी हमारे देश में तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। गोआ पाकिस्तानी साजिशों का अड्डा बनता जा रहा है। इसलिये अब गोआ की मुक्ति का प्रश्न हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। इसीलिये मैं श्री स० मो० बनर्जी के इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

फ्रांस की सरकार ने पोंडीचेरी के प्रश्न पर बिल्कुल ही दूसरे ढंग से बर्ताव किया है। उसने हस्तांतरण की बात मान ली है। परन्तु पुर्तगाली सरकार का रुख सर्वथा विपरीत है।

अफ्रीका में भी पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध आन्दोलन चल रहे हैं। हमें इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिये, और गोआ की मुक्ति के बारे में दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्री बनर्जी चाहते हैं कि हम पुर्तगाली सरकार को गोआ के बारे में अन्तिम चुनौती दे दें। उनका कहना है कि पुर्तगालियों को २६ जनवरी तक गोआ खाली कर देने की चुनौती दे दी जाये। पर मेरा ख्याल है कि हम काफी चेतावनियां और चुनौतियां दे चुके हैं। अब उनकी जरूरत नहीं। मैं भी गोवा के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन गोआ-वासियों का भी आदर करता हूं जिन्होंने गोआ में आन्दोलन चलाया है।

हमारी सभा में ही ऐसे सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने गोआ के क्रूर अधिकारियों की यातनायें झेली हैं। इस से बढ़कर और क्या चीज़ होगी जो हमें दृढ़ता से कदम उठाने की याद दिलाये? स्पष्ट है कि पहली चुनौती हम दे चुके हैं।

हमने जो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये थे, उनको हटाना पड़ा, क्योंकि उससे हमारी जनता को असुविधा होती थी। . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१
३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४६५—८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०९	लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	४६५—६८
२१०	कांगड़ा में अखबारी कागज़ का कारखाना	४६८—७२
२११	राज्य सरकारों को सहायता	४७२—७५
२१२	नेपाल तथा चीन के बीच सीमा सम्बन्धी समझौता	४७५—७७
२१३	पाकिस्तान में लैफ्टिनेंट-कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा	४७८—८०
२१४	ब्रिटेन को भारतीय कपड़े की बिक्री	४८१—८२
२१५	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	४८२—८४
२१६	पुनर्वास मंत्रालय का समाप्त किया जाना	४८४—८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४८७—५४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०८	विदेशों में भारतीय क्रय मिशन	४८७
२१७	आस्ट्रेलिया को कालीनों का निर्यात	४८७—८८
२१८	चमड़े के सामान का निर्यात	४८८
२१९	प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण	४८८—८९
२२०	अनुशासन संहिता	४८९
२२१	रेडियो सक्रियता का स्तर	४८९—९०
२२२	मध्य प्रदेश में यूरेनियम	४९०
२२३	तिहाड़ गांव (दिल्ली) का नवनिर्माण	४९०—९१
२२४	मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरण का कारखाना	४९१
२२५	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड	४९१—९२
२२६	सरकारी होस्टलों में विभागीय भोजन-व्यवस्था	४९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२७	भारत म रेडियो-सक्रियता	४९३
२२८	तृतीय योजना के लिये शिल्पी तथा इंजीनियर	४९३-९४
२२९	कोचीन पत्तन में गोदी मजदूर योजना	४९४
२३०	अखिल भारतीय रेशम अनुसन्धान संस्थायें	३९४
२३१	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	४९५
२३२	केन्द्रीय क्रय समिति	४९५
२३३	रूई का रक्षित भंडार	४९६
२३४	सस्ते रेडियो सैटों का निर्माण	४९६-९७
२३५	फासफोरस संयंत्र	४९७
२३६	लंका के तट के निकट सोलह भारतीयों की मृत्यू	४९७
२३७	भारी बिजली उपकरण संयंत्र	४९८
२३८	रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संबर्द्धन परषिद्	४९८
२३९	चमड़ा का व्यापार	४९८-९९
२४०	भारी चादर पोत कारखाना	४९९
२४१	पाकिस्तान में पावन स्थान	४९९-५००
२४२	व्यापार शिष्टमंडल	५००
२४३	नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीफिल्म समारोह	५०१
२४४	सस्ते ट्रांजिस्टर सैट	५०२
२४५	उन्नीसवां भारतीय श्रम सम्मेलन	५०२
२४६	सोवियत रूस द्वारा आणिवक परीक्षण	५०३
२४७	बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति	५०३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६३	औद्योगिक बस्तियां	५०३-०४
३६४	माचिस के डिब्बे	५०४
३६५	अमरीका को चाय का निर्यात	५०४
३६६	फिल्म्स डिवीजन	५०५
३६७	पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योग	५०५
३६८	कैमरा कारखाने की स्थापना	५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३६९	नकली राल बनाने का कारखाना . .	५०५
३७०	सिलाई की मशीनों का निर्यात . . .	५०६
३७१	टेलीफोन आपरेटस का निर्यात . .	५०६
३७२	महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में समवाय	५०६–०७
३७३	फरीदाबाद में सरकारी कार्यालय के भवनों का निर्माण	५०७
३७४	खुले-सिनेमा गृह	५०७
३७५	भारत में स्कूटरों का निर्माण . . .	५०७–०८
३७६	तार द्वारा प्रसारण योजना . .	५०८
३७७	नेहरू-नून करार . .	५०८
३७८	राष्ट्रमंडलीय प्रेस यूनियन . .	५०८–०९
३७९	गंदी बस्तियों का हटाना . .	५०९
३८०	मेंगनीज़ अयस्क खनन उद्योग . .	५१०
३८१	कुल्ती में कर्मचारियों के लिये मकान .	५१०
३८२	नागा उपद्रवी	५१०–११
३८३	निर्यात वृद्धि के लिये अलग मंत्रालय . .	५११
३८४	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण	५११–१२
३८५	चीनी नक्शे	५१२
३८६	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सलाहकार समिति .	५१२
३८७	भारत में निर्मित हाथ की घड़ियां . . .	५१३
३८८	गुड़गांव में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति .	५१३
३८९	केन्द्रीय आवास निगम की स्थापना . .	५१४
३९०	पंजाब के लिये आवास बोर्ड की स्थापना .	५१४
३९१	हैदराबाद में शीशे की चादरें बनाने वाला संयंत्र . .	५१४–१५
३९२	उर्वरक कार्यक्रम	५१५
३९३	अहमादाबाद में 'रैन-बसेरा'	५१५
३९४	दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में बिजली पानी की सुविधायें	५१५
३९५	काश्मीर में प्रवीण कर्मचारियों तथा टेक्निशियनों की पदाली .	५१६
३९६	पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय तारों पर सेंसर प्रतिबन्ध .	५१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३६७	बैंक कर्मचारियों का सम्मेलन	५१६
३६८	ब्रिटेन में भारतीय चाय	५१६–१७
३६९	नांगल उर्वरक फैक्टरी	५१७
४००	लंका से भारतीयों का प्रत्यावर्तन	५१७
४०१	चाय बागान	५१८
४०२	राजस्थान के गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	५१९
४०३	ब्रिटेन में चाय का निर्यात	५१९
४०४	केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद्	५१९–२०
४०५	आसाम की औद्योगिक परियोजनायें	५२०
४०६	तिब्बती शरणार्थी	५२०–२१
४०७	केन्द्रीय सूचना सवा	५२१
४०८	केन्द्रीय सूचना सेवा	५२१–२२
४०९	पंजाब में कागज उद्योग	५२२
४१०	हरोभंगा योजना २	५२२–२३
४११	कपड़ा मिलें	५२३
४१२	कटंगा में राष्ट्र संघ को सेना के विरुद्ध जेट विमानों का प्रयोग	५२३–२४
४१३	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर	५२४
४१४	राजस्थान का औद्योगिक विकास	५२४
४१५	राजस्थान में उर्वरक कारखाना	५२४
४१६	दिल्ली में औद्योगिक प्रदर्शनी	५२५
४१७	चाय उत्पादन	५२५
४१८	अमृतसर की चाय मंडी	५२५–२६
४१९	कटंगा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सनिक कार्यवाहियां	५२६
४२०	भारत-भूटान सड़क	५२६
४२१	सीमेंट उद्योग	५२७
४२२	दिल्ली में दुकानों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	५२७–२८
४२३	समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का आयात	५२८
४२४	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली	५२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४२५	चीनियों द्वारा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को तिब्बत ले जाना	५२९
४२६	कोचीन से चाय का निर्यात . .	५२९
४२७	विदेशी फर्में और समवाय . .	५२९
४२८	चाय निबन्ध प्रतियोगिता . .	५३०
४२९	मेसर्स इंडिया स्टोन लाइम कम्पनी . .	५३०–३१
४३०	दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन .	५३१
४३१	दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्ध .	५३१
४३२	नई दिल्ली में पार्क और उद्यान	५३१–३२
४३३	केरल राज्य को आवंटित सीमेन्ट . . .	५३२
४३४	भारत की फिल्म संस्था	५३३
४३५	आकाशवाणी . .	५३३–३४
४३६	दिल्ली में दोमंजिले मकानों का निर्माण .	५३४
४३७	मेसर्स घोरी कोयला कम्पनी लिमिटेड . .	५३५
४३८	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा .	५३५
४३९	लौह अयस्क का निर्यात . . .	५३६
४४०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैसूर और आन्ध्र प्रदेश .	५३६
४४१	शिक्षित बेरोज़गार	५३६–३७
४४२	पाकिस्तान के राष्ट्रजनों की भारत तथा भारत के राष्ट्रजनों की पाकिस्तान यात्रा . .	५३७
४४३	पंजाब में नारियल जटा की वस्तुओं का उत्पादन . .	५३७–३८
४४४	पंजाब में रेशम उद्योग	५३८
४४५	पंजाब में शिक्षित बेरोज़गार	५३८–३९
४४६	अनुशासन संहिता का उल्लंघन . . .	५३९
४४७	पंजाब में कारखानों की स्थापना . .	५३९–४०
४४८	काफी की कीमत	५४०
४४९	पंजाब में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा . .	५४०
४५०	लौह अयस्क का निर्यात . .	५४०–४१
४५१	निर्यात गृहों की स्थापना	५४१
४५२	पाकिस्तानी पुलिसमैनों द्वारा मछियारों का अपहरण	५४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४५३ राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ . . . ५४१
४५४ पाकिस्तान द्वारा भारतीय भूप्रदेश पर कब्जा . . ५४१–४२
४५५ सूडान के लिये भारतीय टेक्नीशियन . . . ५४२
४५६ औद्योगिक विकास के लिये दिये गये ऋण . . . ५४२–४३
४५७ सूती कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार दल ५४३
४५८ कास्टिक सोडा ५४३
४५९ नागा विद्रोही ५४४
४६० घड़ियों का निर्माण ५४४

स्थगन प्रस्ताव ५४४–४५

अध्यक्ष महोदय ने करवार के निकट बम्बई-कोचीन यात्री जहाज एस० एस० साबरमती पर पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा कथित गोली चालये जाने के बारे में एक स्थगत प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री के० टी० के० तंगामणि, ई० वी० के० सम्पत और स० मो० बनर्जी ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४६–४७

(१) भारत में उपभोग के लिये पेट्रोलियम की चीजों के आयात तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में २० नवम्बर, १९६१ को पटल पर रखे गये वक्तव्य को शुद्ध करने वाला वक्तव्य।

(२) निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३४ में प्रकाशित कहवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, १९६१।

(२) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा-(३) के अन्तर्गत दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०५ में प्रकाशित कम्पनीज (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (तृतीय संशोधन) नियम, १९६१।

विषय

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(क) टिटैनियम डाइआक्साइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६१)।

(ख) दिनांक ८ सितम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ८ (१) टी० आर०/६१।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

(घ) विद्युत् मोटर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१)।

(ङ) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या ११(१)–टी० आर०/६१।

(च) दिनांक १६ अक्तूबर, १९६१ की सरकारी अधिसूचना संख्या ११(१)–टी० आर०/६१।

(छ) उपराक्त (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३२ में प्रकाशित नमक (रक्षित भंडार) (संशोधन) आदेश, १९६१ की प्रति।

(५) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) एक्ट, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७९ में प्रकाशित सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की प्रति।

(६) २१ सितम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में हुए बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दसवें सत्र के मुख्य निष्कर्ष की एक प्रति।

(७) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में कृष्ण मेनन समिति द्वारा और विभिन्न अन्य प्रतिवेदनों तथा अध्ययनों में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णयों के विवरण की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ५५५-५६

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-कार्य सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) ने २०-११-६१ को खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों पर दिये गये वक्तव्य में कुछ शुद्धियां कीं।

राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ५५८—५६

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने राज्य उपक्रमों संबंधी समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विधेयक—विचाराधीन ५६०-६१

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृति कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्तं नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ५६१

नब्बेवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . . ५६१—७१

८-६-६१ को प्रस्तुत किया गया नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प पर चर्चा जारी रही। संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . . ५७१—८३

श्री स० मो० बनर्जी ने गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों के हटने के संबंध में पुर्तगाली सरकार को अन्तिम चुनौती देने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा पारित किया जाना, तथा पंचायत राज के बारे में संकल्प पर विचार।

QMGIPND—LSIII—1545(Ai)LSD—23-12-61—125.